Par. S. 17. II. 6 53
485

अंक २
संख्या ६

बुधवार
८ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २६९५—२७३४]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २७३५—२७५६]

(मूल्य ४ आने)

218 P.S.D.

लोक सभा

बुधवार, ८ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजभाषा

*१२१३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने संघ की राज-भाषा (हिन्दी) में एकरूपता लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित राज-भाषा कोष का संकलन कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). सदन पटल पर विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। [**देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३५**]

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि विभिन्न रियासतों से सहायता ली जा रही है उसके लिये क्या किसी कमेटी

का निर्माण हुआ है। अगर हुआ है तो उसके मैम्बरों के क्या क्या नाम हैं और वह किन किन विषयों में विशेष योग्यता रखते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि जवाब में बतलाया गया है कि इस काम के लिये बोर्ड आफ साइंटिफिक टरमिनालाजी बनाया गया है। वही इस काम को कर रहा है। इस संबंध में जो काम स्टेटों में हो रहा है उसके लिये लिखा गया है कि वह उसको यहां भेज दें तो हम उन सुझावों से सहायता लें।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इसको भेजने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कोई पत्र लिखा गया है और अगर लिखा गया है तो यह काम इस वक्त किस स्टेज पर है ?

श्री के० डी० मालवीय: पत्र लिखा जा चुका है। वह एक सरकुलर है जिसकी तारीख जनवरी सन् १९५१ अथवा १९५२ है।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जो हालात हमें मालूम हैं वो ये हैं जिस वक्त से बोर्ड ने काम शुरू किया है यह बात उसके सामने रही है। खुद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंटों और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों की इस तरफ तवज्जह

दिलाई है । चुनाचे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में जितना काम हुआ था वो उन्होंने बोर्ड के हवाले कर दिया है, स्टेटस से कुछ चीजें आई हैं और बोर्ड ने उन पर गौर किया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जो इस जवाब में लिखा है कि "यह विशाल कार्य है और इसकी प्रगति अनिवार्यतः धीमी है ।" तो इस कोष के विषय में अब तक कितना काम हो चुका है और क्या और ज्यादा आदमी लगाकर इसको जल्दी खत्म कराया जा सकता है ?

मौलाना आजाद : मुझे अन्देशा है कि आनरेबल मेम्बर को इस काम की मुश्किलात का पूरा अन्दाज़ा नहीं है । वो यह ख्याल करते हैं कि जिस तरह मामूली इलफाज़ की डिक्शनरियां बनती हैं उसी तरह का यह काम भी है हालांकि यह काम बिल्कुल दूसरी तरह का है । हमें पहली मर्तबा हिन्दी में साइंटिफिक और टेकनीकल टर्मस बनाने हैं । हमको दर असल एक नई टकसाल बनानी है और नये सिक्के ढालने हैं । यह काम इस तरह का नहीं है कि जल्दबाजी के साथ कर दिया जाय । अगर जल्दबाजी के साथ कर दिया जायगा तो सारा काम बिगड़ जायगा । यह मैं वसूक के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड पूरी तेजी के साथ काम कर रहा है । केमिस्ट्री और फिजिक्स की पहली जिल्द तैयार हो गई है । अभी दस बारह दिन हुए हैं मैंने आर्डर दिया है कि इसको प्रेस में भेज दिया जाय । वह छपेगी और तमाम मुल्क में शाया की जायगी ताकि लोगों को देखने और राय देने का मौका मिले ।

सेठ गोविन्द दास : जितने प्रदेशों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे गये हैं उनमें से कितने प्रदेशों में वहां सामग्री आ गई है ?

मौलाना आजाद : वह अभी नहीं बतलाई जा सकती ।

श्री के० डी० मालवीय : इस संबंध में सभी स्टेटों को लिखा गया है ।

बहुत सी स्टेटों से सहयोग मिल रहा है । कुछ स्टेटों में जहां अपने अपने विभिन्न सिद्धान्तों पर काम हो रहा है उनका ध्यान इस तरफ दिलाया गया है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जो बोर्ड यह काम कर रहा है उसके मेम्बरों के नाम क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जो बोर्ड आफ साइंटिफिक टरमिनालाजी बना है उसके मेम्बरों के नाम यह हैं :—

विज्ञान के विशेषज्ञ लोग ये हैं :

डाक्टर एस० एच० भटनागर, डा० डी० एस० कोठारी, डा० बेनी प्रसाद, डा० के० एन० भाल, डा० जे० सी० घोष, प्रो० एम मुजीब, डा० के० मित्रा ।

जो लोग फिलालाजिस्ट हैं उनके नाम ये हैं :

डा० सी० आर० रेड्डी, डा० एस० के० चटर्जी, आचार्य नरेन्द्र देव, श्री काका कालेलकर, डा० जाफर अली खां असर, डा० यदुवंशी,

और इसके चेयरमेन हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया के एजुकेशनल ऐडवाइज़र ।

सेठ गोविन्द दास: बोर्ड में जिन सदस्यों को रखा गया है क्या उनके सम्बंध में उन संस्थाओं से कोई सिफ़ारिशें मांगी गई थीं कि जिन संस्थाओं ने इस विषय में बहुत बड़ा काम किया है ?

मौलाना आजाद : नहीं, गवर्नमेंट नें खुद गौर किया और फिर गौर करके यह बोर्ड बनाया है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा

करेंगे कि बोर्ड के जो सदस्य मुकर्रर किये गये हैं वह किस किस विषय के विशेषज्ञ हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने जिन वैज्ञानिकों का जिक्र किया है उनमें से डाक्टर ऐस० ऐस० भटनागर कैमिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, डाक्टर डी० एस० कोठारी फिजिक्स के विशेषज्ञ हैं, डा० बेनीराम बाटनी के विशेषज्ञ हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह सब पूछने की आज्ञा नहीं दे सकता ।

श्री मेघनाद साहा : इस कार्य के लिये पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं अथवा अवैतनिक कार्यकर्ता ?

श्री के० डी० मालवीय : वे सब अवैतनिक कार्यकर्ता हैं ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : हम पूरे समय एक ही प्रश्न में व्यस्त नहीं रह सकते भले ही वह कितना ही महत्त्वपूर्ण हो । दूसरा प्रश्न ।

दावों का पुष्टिकरण

*१२१४. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों ने पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के संबंध में जो दावे प्रस्तुत किये हैं क्या इनकी प्रामाणिकता का कार्य पूरा हो गया है ?

(ख) यदि उक्त कार्य पूरा हो चुका है तो अभी तक प्रमाणित किये गये दावों का कुल कितना मूल्य है ?

(ग) प्रामाणीकरण के सम्बंध में कौन सी सम्पत्ति की गणना नहीं की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) २१ मार्च, १९५२ तक लगभग १,६०० सम्पत्ति-पत्र प्रमाणित होना शेष थे । इन में टोची, कुर्रम और अन्य देर से आने वाले ४१४ देशान्तरगामी सम्मिलित हैं ।

(ख) खेद है कि यह सूचना अभी नहीं दी जा सकती ।

(ग) (i) धार्मिक न्यास (ट्रस्ट) से सम्बंधित पूंजी ;

(ii) उन व्यक्तियों की विशेष प्रकार की ग्राम्य-गृह-सम्पत्ति जिन्हें भारत में कृषियोग्य भूमि दे दी गई है ; और

(iii) गांवों के निकट खुली हुई जमीनें ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय जी (ग) के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की साधारण रुपरेखा बता सकते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इन सब आंकड़ों की अन्तिम रूप से गणना की जा रही है । योजना के प्रकाशित हो जाने पर सब आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रस्तुत किये गये दावों की कुल कितनी संख्या है ?

श्री ए० पी० जैन : दावों की संख्या के विषय में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को मालूम है कि नियत समय के अन्दर प्रस्तुत किये गये सैंकड़ों दावों के विषय में, जिनकी रसीदें भी दावेदारों के पास हैं मुख्य दावा आयुक्त के कार्यालय में कोई पता नहीं चल रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं । कुछ दावों का पता नहीं चल सका और उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त की गई हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हू कि इस प्रमाणित योजना के अनुसार दावों में कुल कितनी रकम घटा दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन : हमने यह आंकड़े मालूम नहीं किये हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि ऐसे अनेक दावेदार हैं जिन्हें अपने दावे के प्रार्थनापत्रों पर मिले आदेशों की प्रतिलिपियां नहीं मिली है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे यह विदित नहीं है किन्तु यदि ऐसे दावेदार हैं जिन्हें आदेशों की प्रतिलिपि नहीं मिली है तो प्रार्थनापत्र देने पर उन्हें प्राप्त हो सकती है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को मालूम है कि दावेदारों के इन दोनों वर्गों को नवीन पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : मैंने कहा था कि कुछ दावों का पता नहीं चल रहा था, अब उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त कर ली गई हैं और कदाचित माननीय सदस्य इसी ओर निर्देश कर रहे हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि दावेदार गत ८ महीने से अधिक समय से आदेशों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने का प्रयन्त कर रहे हैं और उन्हें ये प्राप्त नहीं हो सकी हैं ?

श्री ए० पी० जैन : नवीनतम स्थिति यह है कि उन्हें प्रतिलिपियां प्राप्त हो सकती हैं । मुझे यह मालूम नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति ने पहले कभी प्रार्थनापत्र दिया हो और उसे प्रतिलिपि न मिली ।

नागरिक सुरक्षा

*१२१५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागरिक सुरक्षा के सम्बंध में गृहकार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित की गई प्राविधिक उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो उसमें क्या सिफारिशें हैं ; और

(ग) कौन सी सिफ़ारिशों की जांच की जाकर उन्हें स्वीकृत किया जा चुका है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). प्राविधिक उपसमिति नागरिक सुरक्षा पर पत्र-योजना तैयार करने में सलंग्न है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न उद्भव नहीं होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : १९५१-५२ के वृत्तान्त में कहा गया था कि पत्र-योजना तैयार हो रही है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि समिति इस विषय में कहां तक पहुंच चुकी है ?

श्री दातार : समिति ने पत्र-योजना किसी सीमा तक पूरी कर ली है और अनेक पुस्तिकाएं तैयार हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं प्राविधिक उपसमिति की रचना और उसके कर्मचारी वृन्द के विषय में जान सकता हूं ?

श्री दातार : मुझे भय है कि मैं न तो उपसमिति की रचना का वर्णन कर सकता हूं और न उसके द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों का ।

पश्चिमी बंगाल के बाहर भेजे गये विस्थापित व्यक्ति

*१२१६. **श्री बी० के० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पश्चिमी बंगाल में आने वाले उन पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की संख्या जिन्हें १९५२ में पश्चिमी बंगाल के बाहर अन्य राज्यों में भेज दिया गया ;

(ख) क्या उनमें से कोई पुनः पश्चिमी बंगाल में आ गये हैं ;

(ग) उन्होंने साधारणतया किस धन्दे को अपनाया है ; और

(घ) क्या कोई ऐसी विशेष योजनाएं हैं जहां इन्हें बड़ी संख्या में काम में लगाया जा सकता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ७,८०६ व्यक्ति ।

(ख) जी हां; लगभग १,१५० व्यक्ति ।

(ग) और (घ). अधिकांश व्यक्ति कृषक हैं और वे भूमि पर बस रहे हैं ।

श्री बी० के० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष के लिये भी कोई योजना है और यदि है तो बंगाल के बाहर बसने वाले व्यक्तियों की योजना के विषय में क्या मैं कुछ जान सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन : हम पश्चिम बंगाल के बाहर प्रत्येक व्यक्ति को बसाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु दुर्भाग्यवश लोग पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं जाना चाहते हैं और यदि वे बाहर जाते हैं तो वे अपने स्थान को अपक्रान्त कर देते हैं अथवा पुनर्वास के अभाव में पश्चिमी बंगाल लौट जाते हैं । अतः योजना का अन्तिम स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता किन्तु हम पश्चिमी बंगाल के बाहर इतने व्यक्तियों को बसाने का प्रयत्न करेंगे जितने कि सम्भव हैं ।

श्री बी० के० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ अपक्रमणार्थी पुनर्वास के अपने मूल स्थान को लौट गये हैं ? यदि ऐसा है तो उनकी क्या संख्या है ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ अपक्रमणार्थी पुनर्वास के अपने मूल स्थान को वापस चले गये हैं । मुझे खेद है कि मैं उनकी संख्या नहीं बतला सकता ।

श्री के० के० बसु : क्या हम जान सकते हैं कि इन कृषकों को साधारणतया कितनी न्यूनतम भूमि दी जाती है ?

श्री ए० पी० जैन : मेरा विश्वास है कि पश्चिमी बंगाल में ६ बीघा न्यूनतम भूमि दी जाती है ।

श्री के० के० बसु : मैं बंगाल के बाहर दी जाने वाली भूमि का क्षेत्र जानना चाहता था । क्या ६ बीघे से माननीय मंत्री का अभिप्राय पश्चिमी बंगाल के मापदण्ड से है ?

श्री ए० पी० जैन : सम्पूर्ण भारत में मापदण्ड समान है । एक बीघा एकड़ का लगभग ५/८ वां भाग है ।

श्री के० के बसु : यह सही नहीं है; मंत्री महोदय नहीं जानते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यदि वह नहीं जानते हैं तो उन्हें स्वयं ही संतोष कर लेने दो ।

अनुसूचित और अनुसूचित बैंक

*१२१७. **श्री सी० आर० इय्युन्नी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) विगत पांच वर्षों में पुनर्गठित किये जाने वाले अनुसूचित और अनुसूचित बैंकों की संख्या यदि कोई है ;

(ख) इस अवधि में परिसमापन होने वाले बैंकों द्वारा ऋणदाताओं के दायित्व को दिये गये लाभविभाग का प्रतिशत अथवा अनुपात ; और

(ग) औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य वार किये गये वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न समूहों में बैंकों की संख्या ?

वित्त उप मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) व्यवस्था-योजना के अनुसार २८ फर्वरी, १९५३ को इन बैंकों की संख्या इस प्रकार है— ६ अनुसूचित बैंक और २३ अनुसूचित बैंक, कुल २९ बैंक ।

(ख) सूचना संग्रहीत की जा रही है और यथोचित समय में सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

(ग) अखिल भारत औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद), जिसमें अपेक्षित सूचना सन्निहित हैं, शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष मिशन का आगमन

***१२१८. सरदार ए० एस० सहगल** : क्या वित्त मंत्री २ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३० की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतलायेंगे कि यह क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिशन के भारत में वाणिज्य और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों को देखने और प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मिलने की योजना बनाई गई है ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिशन अपने भारतभ्रमण के पश्चात् लौट गया है । यहां ठहरने की अवधि में मिशन के सदस्य वाणिज्यकीय और औद्योगिक केन्द्रों में दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता गये थे तथा उन्होंने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से भेंट की थी ।

राज्यों की सेनाओं से अलग किये गये कर्मचारी

***१२१९. श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्यों की सेनाओं से अलग किये गये कर्मचारियों को पेंशन आदि उचित अधिकार दिये जा चुके हैं ; और

(ख) क्या ट्रावनकोर-कोचीन राज्य की सेना के अलग किये गये पदाधिकारियों ने इस सम्बंध में शिकायत की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ४१,८५९ में से ३८,६३८ मामलों में यथानियम स्वीकृती दी जा चुकी है । केवल वही मामले अनिर्णीत हैं जिन में नौकरी के मूल दस्तावेजों की प्रामाणिकता प्रविष्ट नहीं की गई है अथवा जिनके विषय में राज्य के नियम और विनियमन का स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

(ख) ट्रावनकोर-कोचीन राज्य सेना के केवल दो पदाधिकारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इसका अर्थ मैं यह समझूं कि ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के अन्य समस्त पदाधिकारियों को उनके उचित अधिकार दिये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : केवल दो पदाधिकारियों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; स्पष्ट है कि अन्य व्यक्तियों के दावे स्वीकृत कर लिये गये होंगे ।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : इस स्थिति में जब कि इतने व्यक्तियों के दावे तय किये जा चुके हैं अभी और कितने मामले तय होना शेष है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने पहले बतलाया है ४१,८५९ मामलों में से ३८,६३८ तय कर दिये गये हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या आप इनमें से ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के अलग आंकड़े बता सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सूचना क्या मुझे देनी होगी, माननीय सदस्य मेरी ओर सम्बोधन कर रहे हैं ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं हैदराबाद राज्य के उन सैन्यवियोजित सैनिकों की संख्या जान सकता हूं जिन्हें अभी उपदान नहीं दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : १९५० में इनकी वास्तविक संख्या ६,७४३ थी; इनमें से ३५६ व्यक्ति चुने गये हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि ट्रावनकोर-कोचीन राज्य की सेना के १,५०० व्यक्ति नौकरी से अलग कर दिये गये थे और क्या यह भी सच है कि ये सैनिक भारतीय सेना से अलग किये गये थे उनकी पेंशन का हिसाब ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में व्यवहार्य दरों के अनुसार किया गया था ?

सरदार मजीठिया : स्थिति यह है । जो व्यक्ति भारतीय सेना में नौकरी करने के इच्छुक थे किन्तु इसके उपयुक्त नहीं समझे गये उनके मामलों में विशेष व्यवस्था की गई और उन्हें पेंशन विशेष दरों पर दी गई । भारतीय सेना में संलग्न होने वाले व्यक्तियों को स्वभावतः अन्य भारतीय पदों के अनुसार ही पेंशन दी जायगी । जो व्यक्ति अनुपयुक्त समझे गये थे, निश्चित है कि उन्हें उसी दर से पेंशन दी जायगी जो कि राज्य की सेना के नियमानुसार प्रचलित थीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सैनिकों की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता केवल पेंशन की परिगणना करते समय ही निर्धारित की गई थी अथवा एकीकरण के समय उस पर विचार किया गया था ?

सरदार मजीठिया : एकीकरण के समय ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि उन्हें तुरंत ही अलग नहीं किया गया था किन्तु उन्हें भारतीय सेना में कुछ समय तक रखा गया और फिर पुरानी दरों से पेंशन के अधिकार सहित पृथक कर दिया गया ?

सरदार मजीठिया : स्थिति इस प्रकार है । अनेक विचारणीय विन्दु हैं । जैसा कि मैंने पहले बताया है उन व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया था जिन्होंने इच्छा प्रकट की थी किन्तु उपयुक्त नहीं समझे गये । इस कार्य के लिये राज्य के अभिलेखों और उनकी नामावलि आदि की कई बार जांच करने की आवश्यकता थी । इस कार्य में कुछ देर हो गई किन्तु यह अनिवार्य था ।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य के लिये किसी सेना निवृत्ति-वेतन संहिता (आर्मी पेंशन कोड) का अनुसरण किया जा रहा है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : विभिन्न राज्यों में प्रचलित सेना-निवृत्ति वेतन संहिता के अनुसार इन सैनिकों को जिनके विषय में मेरे मित्र उत्सुक हैं कुल आठ या बारह आना पेंशन मिलती अतः जिन व्यक्तियों ने केन्द्रीय सेवा में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की थी किन्तु इसके उपयुक्त नहीं थे उन्हें विशेष दरों के अनुसार पेंशन दी गई थी अन्यथा इन्हीं विशिष्ट नियमों के आधार पर उन्हें पेंशन मिलती ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि वृहद् संख्या में अभी मामले अनिर्णीत हैं और अभी निवृत्ति वेतन देना शेष है । मैं जानना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों को कठिनाई से बचाने के लिये क्या अन्तरिम भत्ते की कोई व्यवस्था की गई है ?

सरदार मजीठिया : यह सम्भव नहीं है । इसका परिणाम स्वाभाविक है । इसके लिये समय चाहिये । वे भारतीय सेना के अन्य सैनिकों के समान स्तर पर ही समझे जाते हैं ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जानना चाहता हूं कि एकीकरण के समय राज्य की सेनाओं से पृथक किये गये कर्मचारियों को क्या कोई वैकल्पिक नौकरी दी गई थी ?

सरदार मजीठिया : इसके लिये प्रयत्न किये गये थे । इन मामलों को निबटाने के लिये संस्थाएं हैं और वैकल्पिक नौकरी देने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री पी० टी० चाको : इस तरह कितने व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं भूतपूर्व ट्रावनकोर-कोचीन सेना के उन सैनिकों का प्रतिशत जानना चाहता हूं जिन्होंने समुद्र पार के देशों में अत्यंत पराक्रम पूर्ण कार्य किये हैं ?

सरदार मजीठिया : यह विषय प्रस्तुत प्रश्न से असम्बंधित है ।

श्री वी० पी० नायर : कह दीजिये कि वे अनुपयुक्त थे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस किस्म के लोगों को कृषि योग्य भूमि पर बसाने के लिये कहां कहां पर प्रबंध किया गया है ?

श्री त्यागी : इस वास्ते अगर नोटिस दिया जाये तो यह जानने का प्रयत्न किया जायगा क्योंकि इसके लिये सारे हिन्दुस्तान भर के खेतों का ब्योरा लेना पड़ेगा ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान वेतन-निवृत्ति संहिता के संशोधित करने के सम्बंध में कोई प्रस्ताव है ?

श्री त्यागी : जी हां, श्रीमान् । जैसा कि मैंने बजट पर वाद विवाद के समय कहा था साधारण निवृत्ति-वेतन संहिता संशोधित की जा रही है । उसकी परीक्षा की जा रही है । सरकार शीघ्र ही इस स्थिति में पहुंचेगी कि इसके परिणाम को प्रकट कर सके ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को भेज देने का यह भेदपूर्ण व्यवहार ट्रावनकोर-कोचीन राज्य की सेना के लिये ही है और के लिये नहीं ।

सरदार मजीठिया : यह सच नहीं है, श्रीमान् ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

*१२२०. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९५२ में प्रकाशित पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) क्या ऐसे नियम बनाने का विचार है जिनसे कि ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिश पुस्तकालय की भांति अपने देश में प्रकाशित सभी पुस्तकों की प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय को उपलब्ध हो सकें ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) १०२१.

(ख) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है .

सेठ गोविन्द दास : अभी यह जो १२२० पुस्तकों का माननीय मंत्री जी ने हवाला दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कितने दिनों के अन्दर प्राप्त हुई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : लाइब्रेरियन से हमारे पास जो आंकड़े आये हैं, वह सन् ४९ तक के हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आकड़े हमारे पास लाइब्रेरियन

से आये हैं उनसे ज्यादा स्टेट्स से आ चुके हैं।

सेठ गोविन्द दास : 'ख' के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह विषय विचाराधीन है । क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि न्युयार्क की पब्लिक लाइब्रेरी में और वाशिंगटन की कांग्रेस की लाइब्रेरी में जो कुछ अमरीका में छपता है, उसकी तीन तीन प्रतियां आती हैं और वह दोनों जगह भेज दी जाती हैं, तो क्या इस तरह की योजना पर यहां भी विचार हो रहा है कि अपने देश में प्रकाशित सभी पुस्तकों की तीन तीन प्रतियां कलकत्ते और दिल्ली की लाइब्रेरीज़ में उपलब्ध हो सकें ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): जी हां, सरकार इस तरह के एक विधेयक पर विचार कर रही है ।

श्री मेघनाद साहा : राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकें खरीदने के लिये वार्षिक अनुदान कितना है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

विद्वानों की गणना

*१२२१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश में राष्ट्रभाषा के विभिन्न विद्वानों, लेखकों आदि की गणना की गई है ?

(ख) क्या यह सच है कि कार्यकर्ताओं के अभाव में एक समुचित शब्दकोष का सम्पादन, परिभाषिक शब्दावली और विविध सरकारी पत्रों के राष्ट्रभाषा के निर्माण कार्य में देर हो गई है ?

(ग) क्या इन व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के सम्बंध में कोई योजना अथवा प्रस्ताव विचाराधीन है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । विभिन्न विज्ञानों से सम्बंधित वैज्ञानिक शब्दों का हिन्दीकोष तैयार करने का कार्य विज्ञान सम्बंधी पारिभाषिक शब्दों की परिषद् तथा भौतिक शास्त्र, वनस्पति, रसायन, गणित, समाज विज्ञान आदि से सम्बंधित उसकी दस विशेषज्ञ समितियों के निर्देशन और परीक्षण में प्रारम्भ हो गया है । शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हिन्दी विभाग भी केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पूछने पर टेकनीकल अथवा अन्य शब्दों के हिन्दी समानान्तर खोजने में सहायता प्रदान करता रहा है।

(ग) नहीं, श्रीमान् । पारिभाषिक शब्दों के शब्द कोषों का निर्माण करने में वैज्ञानिकों, भाषाविदों और अनुवादकों की सेवाओं की आवश्यकता है जो कि इस कार्य के लिये पहले से ही प्रयुक्त की जा रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार को मालूम है कि देश में ऐसे विद्वान हैं जो कि राष्ट्रभाषा के भी विद्वान हैं, और हमारे देश की प्रादेशिक भाषाओं के भी विद्वान हैं, इन विशेषज्ञों की सहायता लेने से इस काम में अधिक सहायता मिल सकती है तो क्या कारण है कि उनकी फेहरिस्त तैयार नहीं की गई और उनकी सेवाओं से फायदा नहीं उठाया गया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस काम का ठीक तरीका यही हो सकता था कि पहले एक्सपर्ट्स का एक बोर्ड बनाया जाय ।

वह पूरी तरह ग़ौरो फ़िक्र करके डिक्शनरी तैयार करे फिर उसे शाया किया जाय ताकि मुल्क के तमाम बड़े बड़े आलमों और विद्वानों को इसे देखने और राय कायम करने का मौका मिले। फिर इन सबकी रायें बोर्ड के पास आयें और बोर्ड उनसे फायदा उठाकर जो तब्दीलियां ज़रूरी समझे करे। चुनाचे इसी तरीके पर काम हो रहा है। मैं ने थोड़ी देर हुई आपको बतलाया था कि काम का एक हिस्सा तैयार हो गया है और छपने के लिये प्रेस में चला गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं इस सम्बंध में पूछ सकता हूं कि सरकार ने इस चालू वर्ष में इस पर कितनी रकम खर्च करने का निश्चय किया है और अगले पांच वर्षों में कितने खर्च का अनुमान है ?

श्री के० डी० मालवीय: अब तक इस पर लगभग २२ हज़ार रुपया खर्च हुआ है, और भविष्य में जो भी रकम खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार उसे खर्च करने को तैयार है।

श्री मेघनाद साहा: मंत्रालय ने इस कार्य के लिये पूर्णकालीन कार्यकर्त्ता रखे हैं अथवा केवल अवैतनिक ?

श्री के० डी० मालवीय: इस काम में पूर्णकालीन कार्यकर्ता भी हैं।

श्री रघुनाथ सिंह: जो कमेटी आपने मुकर्रर की है इसमें भाषाविज्ञ किस भाषा के हैं ? अरबी, फारसी, संस्कृत किसके जानकार हैं।

श्री के० डी० मालवीय: बोर्ड आफ टर्मिनालाजी के दस विशेषेज्ञों की कमेटियां बनी हैं और वह जो बहुत से विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं उनसे काम ले रही हैं। हर ज़रूरी भाषा के जानकार कमेटियों को सहायता देने को हैं।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक इस कोष का सम्बंध है, क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि मध्य प्रदेश में इस सम्बंध में बहुत बड़ा काम हुआ है और क्या वहां से कोई जानकारी केन्द्रीय सरकार को इस सम्बंध में प्राप्त हुई है ?

मौलाना आज़ाद: मध्य प्रदेश को भी लिखा गया था और हमें उम्मीद है कि वह भी वही तरीका अख्तियार करेगी जो दूसरे स्टेटों ने किया है।

श्री टी० एस० ए० चट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने वैज्ञानिक शब्दों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा स्वीकार करने में सहमति प्रकट नहीं की है ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक संभव है अंतर्भाव यही है कि वैज्ञानिक शब्दों के लिये अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली ग्रहण कर लेनी चाहिये।

मौलाना आज़ाद: मैं ज़रा इस बात को साफ़ कर दूं सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड आफ एजूकेशन के सामने यह मामला गया था उसने यह फैसला किया कि जहां तक मुमकिन हो इन्टरनेशनल इल्फाज़ को हमें अख्तियार कर लेना चाहिये लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि बोर्ड का काम हलका हो गया और उसके जिम्मे अब सिर्फ यही काम रह गया है कि इन्टरनेशनल इल्फाज़ को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दे। इसे सैंकड़ों टर्म्स हिन्दी के भी बनाने पड़ते हैं और बनाने पड़ेंगे। आपको मालूम है कि हर इल्म में बहुत से इल्फाज़ ऐसे होते हैं जो आमतौर पर बोले जाते हैं लेकिन जब एक खास इल्म में आते हैं तो एक टर्म बन जाते हैं मसलन 'एक्शन" और "रीएक्शन" का लफ्ज़ है जो आमतौर पर अंग्रेज़ी में बोला जाता है लेकिन केमिस्ट्री में यह एक खास टर्म है। अब अगर आप यह कहें कि "एक्शन" और

"रीएक्शन" को हम हिन्दी में ले लें तो यह गलत होगा । हम आम अंग्रेज़ी लफ्ज़ों को हिन्दी में नहीं ले सकते । इस तरह के लफ्ज़ों के लिये हिन्दी के टर्मस् ढालने पड़ेंगे क्योंकि "एक्शन " और "रीएक्शन" अंग्रेज़ी ज़बान के आम अल्फाज़ हैं, इंटरनेशनल टर्म्स नहीं हैं । लेकिन हां जब हमारे सामने "आक्सीजन" का लफ्ज़ आयगा तो हमें मानना पड़ेगा कि यह एक इंटरनेशनल टर्म है और उसे ज्यों का त्यों हिन्दी में ले लेना चाहिये । बोर्ड इसी ढंग पर काम कर रहा है । सैकड़ों टर्म्स उसने हिन्दी के ढाले हैं और बहुत से टर्म्स इंटरनेशनल चुन लिये हैं ।

श्री टी० एन० सिंह: क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि विभिन्न प्रान्तों और संस्थाओं ने भी इसी तरह का कार्य किया है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन प्रयत्नों के सहयोगीकरण के लिये कभी विचार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, श्रीमान् । ऐसा किया गया है ।

सेठ गोविन्द दास: क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि अभी उन्होंने जो दृष्टान्त दिया वह भी कोई अंतर्राष्ट्रीय शब्द नहीं है और हर भाषा में उसके लिये भी अलग अलग प्रयोग होता है । ऐसी हालत में क्या माननीय मंत्री जी ने या इन विशेषज्ञों की कमेटी ने यह निश्चय किया है कि हमारी जो वैज्ञानिक शब्दावली होगी वह मूल रूप से संस्कृत से ली जायगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अगर इजाज़त हो तो में इसका जवाब दे दूं । जितने ऐसे मुल्क हैं जहां सायंस बड़ी हुई है वहां 'आक्सीजन' के लिये एक ही शब्द है । जहां बढ़ी हुई नहीं है वहां के लिये सेठ जी बतला दें कि किस मुल्क में उसके लिये क्या कहा जाता है ?

सेठ गोविन्द दास: मैं इस सम्बंध में आपके सामने पूरा नोट पेश करूंगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: रोज़मर्रा का सवाल दूसरा है । सायंस के बढ़ने में तो सायंस की तरक्की है न कि भाषा की । अगर सायंस गिर जाती है तो न भाषा की बेहतरी है न सायंस की ।

योजनाओं की कार्यप्रणाली

*१२२२. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन सी योजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान समिति से राष्ट्रीय नमूना परिमाप (नेशनल सेम्पल सर्वे) में परावर्तित कर दी गई है ?

(ख) यह परावर्तित क्यों किया गया है ?

(ग) क्या इस कार्य का स्वरूप स्थायी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान समिति से निम्न योजनाएँ नेशनल सेम्पल परिमाप में परावर्तित कर दी गई हैं :

(i) प्रमुख खाद्य फसलों को काटने की सहयोगी योजनाएँ (अधिक अन्न उपजाओ निर्धारण परिमाप सहित); और

(ii) कृषि सम्बन्धी गणना के सम्बंध में प्राथमिक अन्वेषणा ।

(ख) अधिक उन्नत और व्यवस्थित सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से नेशनल सेम्पल सर्वे को केन्द्रीय मध्यवर्ती अभिकरण (सेन्ट्रल कोकल एजेंसी) में विकसित करने का निर्णय किया गया है जिसके अंतर्गत नेशनल सेम्पल सर्वे की सब योजनाएँ संचालित

की जा सकें। इस निर्णय के अनुसार (क) भाग के उत्तर में वर्णित योजनाएँ नेशनल सेम्पल सर्वे में परावर्तित कर दी गई हैं।

(ग) फसल परिमाप की सहयोगी योजनाएं १ अप्रैल, १९५० से ३१ मार्च १९५५ तक पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की गई हैं किन्तु इस अवधि के आगे बढ़ने की संभावना है। कृषि-परिमाप की प्रारम्भिक अन्वेषणा से सम्बंधित योजनाएँ ज्यों की त्यों हैं और उनका स्थायी स्वरूप दृष्टिगत नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी-वर्ग ने आंकड़े संग्रह कर लिये हैं और इस वर्ष के अंत तक अंतिम परिणाम उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

श्री के० सी० सोधिया : संघटन के बजट पर इस परावर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है।

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे सूचना चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि आंकड़े एकत्र करने वाले क्षेत्र सम्बंधी कर्मचारी सेम्पल परिमाप विभाग के विशेषज्ञ कर्मचारियों में से हैं अथवा विभागीय हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, सम्पूर्ण राष्ट्रीय सेम्पल परिमाप संघटन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्यों के विभाग के अंतर्गत हैं। उनके पास दूसरे कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि कलकत्ता के सांख्यकीय इंस्टीट्यूट और गोखले इंस्टीट्यूट, पूना आदि अन्य संस्थाओं को अपने कार्य का कुछ भाग प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय सेम्पल परिमाप संघटन अपने ही कर्मचारियों को रखता है।

श्री के० सी० सोधिया: क्या प्रदेशीय संघटनों को भी कुछ अनुदान दिया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख: प्रदेशीय संघटनों को कोई काम अर्पण नहीं किया गया है और इसलिये उन्हें अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता है।

सहायक अधीक्षक

*१२२३. **श्री रामानन्द दास**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्विभाजन और पुनर्गठन) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कितने सहायक लिये गये हैं ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार): दो।

श्री रामानन्द दास: क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जाति के सहायकों की संख्या कितनी है ?

श्री दातार: मैं केवल अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की संख्या बता सकता हूं। प्रथम श्रेणी--२, द्वितीय श्रेणी--१, तृतीय श्रेणी में दो और चतुर्थ श्रेणी में चालीस हैं।

श्री बी० एन० कुरील: क्या मैं अधीक्षकों के स्थान पर लिये जाने वाले सहायकों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री दातार: मुझे सूचना चाहिये।

श्री नानादास: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार परीक्षा के आधार पर अधीक्षकों की नियुक्ति करने का विचार कर रही है ?

श्री दातार: अधीक्षकों की नियुक्ति ज्येष्ठता के साथ ही विभागीय परीक्षा के आधार पर निर्भर है।

श्री नानादास: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार परीक्षा के आधार पर अधीक्षकों की नियुक्ति करना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या परीक्षण के आधार पर उनकी भरती की जाती है ?

श्री दातार : नहीं ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि गृह-मंत्रालय ने यह शर्त रखी है कि केवल वे ही व्यक्ति उस स्थान के लिये विचारणीय होंगे जिन्होंने १९४२ में नौकरी की थी जब कि संरक्षण नहीं था आदि।

श्री दातार : मुझे ज्ञात नहीं है ।

श्री ई० इय्यानी : सहायक अधीक्षक के पद तक उन्नति करने के लिये नौकरी की कम से कम कितनी अवधि की आवश्यकता है ?

श्री दातार : पांच वर्ष ।

श्री नानादास : अनुसूचित जाति के अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री दातार : प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण है किन्तु पदोन्नति के सम्बंध में कोई संरक्षण नहीं है ।

तम्बाकू पर अन्तःशुल्क

*१२२४. **श्री झूलन सिन्हा : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सारन ज़िले के गोपाल गंज और सीवन तालुके तथा बिहार के अन्य भागों में तम्बाकू की फसल पर केन्द्रीय अंतःशुल्क वसूल किया जा रहा है यद्यपि दिसम्बर १९५२ और जनवरी १९५३ में वर्षा और आंधी के परिणाम स्वरूप यह फसल सर्वथा नष्ट हो गई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि तम्बाकू पैदा करने वालों ने इस दैवी विपत्ति के प्रादुर्भाव से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए अंतःशुल्क की माफी के लिये औपचारिक प्रतिनिधित्व किया था और इस प्रतिनिधित्व पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) यह समाचार प्राप्त हुआ है कि सारन ज़िले के गोपाल गंज और सीवन तालुके और दरभंगा ज़िले के समष्टिपुर तालुके के उत्तरी भाग में १६ जनवरी १९५३ की रात्रि में भयानक वर्षा और तूफान आये थे ; सरकार को इस क्षेत्र में १९५२ में हुई तम्बाकू की हानि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । केन्द्रीय अंतःशुल्क उसी समय वसूल किया जाता है जब कि फसल के पश्चात तम्बाकू सुखा ली जाती है और वह उत्पादन तथा बिक्री के लिये तैयार हो जाती है ।

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में आंधी और वर्षा के परिणाम स्वरूप तम्बाकू की फसल को क्षति पहुंचने के समाचार तम्बाकू पैदा करने और सुखाने वालों से प्राप्त हुए हैं । उन पर शीघ्र ही विचार किया जा रहा है और तम्बाकू सुखाने वालों द्वारा वास्तविक मात्रा में सुखाई गई तम्बाकू के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व और हानि का अनुमान करने के लिये खेतों का परिमाप किया जा रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : कहा जाता है कि आंधी और वर्षा के परिणामस्वरूप फसल बिगड़ गई है । क्या सरकार ने तम्बाकू की किस्म में खराबी होने से कुछ छूट दी है और शुल्क वसूल करते समय उसके मूल्य की कमी पर ध्यान दिया है ?

श्री ए० सी० गुहा : स्थिति यह है कि जब तम्बाकू सुखा ली जाती है, बिकने योग्य हो जाती है और किसी प्रयोजन के उपयुक्त बन जाती है तभी उसके उपयोग की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार उस पर कर लगाया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या चम्पारन में ओला पड़ा है अथवा नहीं और पड़ा है तो कितने की क्षति हुई है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रश्न इन दो क्षेत्रों से सम्बंधित है और मेरे पास उन्हीं दोनों क्षेत्रों के विषय में सूचना है ।

श्री टी० एन० सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जायगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुखाई हुई विशेष प्रकार की तम्बाकू पर ही कर लगाया जाता है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : उत्पादन-मूल्य लागत-व्यय से कम होने की अवस्था में क्या अन्तःशुल्क विभाग से कुछ छूट मिलने की आशा है ?

श्री ए० सी० गुहा : किन्हीं स्पष्ट मामलों में प्रतिनिधित्व किये जाने पर ही छूट दी जाती है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इस सम्बंध में कोई जांच करा रही है कि किसानों को कितनी क्षति हुई है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अंग्रेज़ी जानते हैं तो उन्हें अंग्रेज़ी में बोलना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं हिन्दी समझ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य थोड़ा धीमें किन्तु निश्चयात्मक और स्पष्ट स्वर में बोलें ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार जांच करा रही है कि किसानों की ओले से कितनी क्षति हुई है ?

श्री ए० सी० गुहा : जी हां, फसल खराब होती है तो किसानों को नुकसान होता ही है । किन्तु सुखा लेने के उपरान्त बिकने के लिये जाते समय ही उस पर कर लिया जाता है ।

महाराज वीर विक्रम कालेज, अगरतल्ला की पुनर्गठन योजना

*१२२५. **श्री दशरथ देव :** शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अगरतल्ला, त्रिपुरा के महाराज बीर बिक्रम कालेज में पुनर्गठन योजना प्रारम्भ की जा रही है ; और

(ख) यदि यह सत्य है तो कालेज के वर्तमान कर्मचारी वृन्द—स्थायी, अस्थायी अथवा परीक्षाधीन—इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कितने कम किये जायेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रश्न की जांच की जा रही है और अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

"बी" श्रेणी के राज्यों में केन्द्रीय खज़ाने की शाखाओं और प्रादेशिक कार्यालयों की समाप्ति

*१२२६. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने 'बी' श्रेणी के राज्यों में केन्द्रीय खज़ाने की शाखाओं और प्रादेशिक कर्यालयों को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ?

(ख) यदि उक्त संवाद सत्य है तो उन्हें समाप्त करने में कितना समय लगेगा?

(ग) क्या सरकार इन कार्यालयों द्वारा किये गये कार्यों पर श्वेत-पत्र प्रकाशित करने का विचार रखती है ?

(घ) इन कार्यालयों के बन्द हो जाने से कितने व्यक्तियों के बेकार हो जाने की संभावना है ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) प्रादेशिक कार्यलयों के विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है । जहां तक केन्द्रीय सरकार के खज़ानों का संबंध है उन्हें बन्द कर दिया जायगा क्योंकि इनका कार्य राज्यों के स्थानीय खज़ानों ने ले लिया है ।

(ख) और (घ). ये प्रश्न उद्भव नहीं होते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या आप बता सकगे कि जिस मक़सद से इनकी नियुक्ति की गई है वह मक़सद पूरा हो रहा है या हुआ है ? इसका उत्तर नहीं छपा है ।

डा० काटजू : आप खज़ाने के बारे में दरियाफ्त फरमाते हैं या रीजिनल आफिसेज़ के बारे में ?

श्री बलवन्त सिंह मेहता : रीजिनल आफिसेज़ के बारे में ।

डा० काटजू : कुछ प्रान्तों में उठ रहे हैं, कुछ में बाकी हैं ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता । जितने बाकी हैं वे कब तक उठ जावेंगे ?

डा० काटजू : अभी तो चलते रहेंगे, आशा यही है ।

राजस्थान के राज्यों में प्राचीन अभिलेख

*१२२७. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** (क) शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान की विभिन्न 'देशी रियासतों' में पड़े हुए प्राचीन अभिलेखों की अमूल्य निधि का शोध करने और उसके सम्बंध में विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिये एक समिति की स्थापना की है ?

(ख) यदि यह सत्य है तो क्या सरकार भारत संघ के 'बी' श्रेणी के राज्यों के प्रत्येक भाग के लिये समिति निर्माण करने का विचार कर रही है जहां कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हस्तलिपियां, चित्र और मुगल काल से लेकर अंग्रेज़ी सत्ता तक की मुद्राएं गर्हित हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान्, किन्तु प्रत्येक मामले पर उसके महत्व के अनुसार विचार किया जायगा ।

श्री बलवन्त सिंह महता : राजस्थान में ऐसे कई मठ, मन्दिर, जैन उपाश्रय तथा व्यक्तिगत भंडार भी हैं, जहां ऐसी सामग्री बहुत मात्रा में पाई जाती है, मगर वह वहां नष्ट हो रही है । क्या कमेटी उसकी भी जांच करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, हां । इस कमेटी का विचार है कि ऐसी समस्त सामग्री का संरक्षण करे ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या भारत सरकार कहीं भी ऐसी पाई जाने वाली वस्तु की सुरक्षा करने का विचार करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो एक सुझाव है ।

मेसर्स होपकिन्स विलियम्स लिमिटेड के कारखाने का क्रय

*१२२८. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मेसर्स होपकिन्स विलियम्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड के कारखाने तथा अन्य सम्पत्ति को खरीदने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्पत्ति का मूल्य-निर्धारण किया गया है, यदि किया गया है तो वह कितना है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस तथ्य से परिचित है कि ट्रावनकोर-कोचीन सरकार ने इस समवाय (कम्पनी) की समस्त सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण कर लिया है और वह इसको खरीदने का विचार भी कर रही है; और

(घ) कम्पनी (समवाय) के संचालन से ट्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार को होने वाली आमदनी से क्या सरकार परिचित है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यह विषय भारत सरकार और ट्रावनकोर कोचीन सरकार के बीच विचाराधीन है।

(ख) जी, हां, श्रीमान्। यह विषय अभी भी विचाराधीन है और मूल्य निर्धारण के परिणाम को प्रकट करना जनहित में नहीं है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) राज्य सरकार से सूचना मँगाई गई है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को मालूम है कि मेसर्स होपकिन्स विलियम्स खनिज की असली मालिक ट्रावनकोर-कोचीन सरकार के केवल खदान अभिकर्त्ता हैं अथवा ठेकेदार हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : १९४६ के करार के अनुसार स्थिति इस प्रकार है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय के सचिव ने जब कि वह ब्रिटेन गये थे कर्नल होवर्ड से भेंट की थी और क्या इस संबंध में उनसे बातचीत की थी ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ बातें हुई थीं और इस संबंध में अधिक वार्ता इसी देश में हो रही हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि ट्रावनकोर-कोचीन राज्य को इस कारखाने से ३० लाख रु० वार्षिक से अधिक मिलता है और क्या इस कारखाने को लेते समय भारत-सरकार ट्रावनकोर-कोचीन सरकार को मुआवज़ा देगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इन सब प्रश्नों पर भारत सरकार और ट्रावनकोर कोचीन सरकार के बीच बातचीत हो रही है। अभी कुछ भी कहना समयोचित नहीं है।

श्री ए० एम० टामस : क्या इस कारखाने ने अभी तक लाभांश घोषित किये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं होपकिन्स लिमिटेड द्वारा घोषित किसी भी लाभांश से परिचित नहीं हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इलमेनाइट में एक प्रतिशत मोनोजाइट के विशेष निर्देश पर ज़ोर दे रही है ताकि ट्रावनकोर-कोचीन सरकार को बालू निर्माण में कठिनाइयों का सामना करना पड़े ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप को स्वीकार नहीं करता हूं लेकिन प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर 'हां' है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह सत्य है कि इस कारखाने का कार्यभार ले लेने के पश्चात् संचालन के सम्बंध में मंत्रालय ने अमेरिका की नेशनल लीड से बातचीत की थी अथवा अभी बातचीत चल रही है ।

श्री के० डी० मालवीय: मुझे यह मालूम नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह: प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण के सम्बंध में लेखा-परीक्षा विभाग से सलाह ली थी ?

श्री के० डी० मालवीय: अभी वह श्रेणी नहीं आई है ।

श्री मात्तन : क्या सरकार कम्पनी को अपने हाथ में ले रही है अथवा उसे खरीद रही है या वह केवल शेयर खरीद रही है ?

श्री के० डी० मालवीय: कम्पनी के नियंत्रक अंश खरीदने का ही विचार है ।

श्री मात्तन : कितने अंश खरीदने का विचार है ? पूरे शेयर अथवा शेअरों का नियंत्रक सूद ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने पहले ही कह दिया है, नियंत्रक शेयर खरीदने का विचार है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जानना चाहती हूं कि बजट के अन्दर ११ लाख रु० की जो निधि अलग निश्चित की गई है क्या मेसर्स होपकिन्स विलियम्स लिमिटेड से शेयर खरीदने में उसमें से कुछ निधि प्रयुक्त की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं, श्रीमान्, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ।

श्री पुन्नूस: क्या सरकार को यह मालूम है कि जहां तक राज्य से इसका सम्बंध है यह उद्योग राष्ट्रीय उद्योग है और यह कम्पनी केवल ठेकेदार अथवा अभिकर्त्ता की भांति काम करती है और तब क्या सरकार यह बतलायेगी कि वह ऐसी अवस्था में कम्पनी से क्यों वार्त्ता कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है ।

राष्ट्रीय न्यादर्श परिमाप संघटन

*१२२९. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बहुसूत्री राष्ट्रीय न्यादर्श परिमाप संघटन (नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइज़ेशन) कितने समय से कार्य कर रही है ?

(ख) इस संघटन के सुपुर्द कौन सा काम किया गया है ?

(ग) क्या वह आवधिक विवरण प्रस्तुत करती है ?

(घ) यदि ऐसा है तो अन्तिम विवरण कब प्राप्त हुआ था ?

(ङ) क्या सरकार इसके कार्यों का संक्षिप्त वर्णन प्रकाशित करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) राष्ट्रीय न्यादर्श परिमाप योजना का अनुमोदन स्थायी वित्त समिति ने अप्रैल १९५० में किया था । प्रारम्भिक व्यवस्था के पश्चात् फील्ड कार्य अक्टूबर १९५० में प्रारम्भ किया गया था ।

(ख) परिवार का गठन, आयु, लिंग और परिवार के सदस्यों का व्यवसाय, उपभोक्ताओं

के व्यय के आधार पर, कृषि तथा अ-कृषि उत्पादन के स्वरूप और मूल्य पर; कुशल और अकुशल श्रमिकों आदि के विभिन्न प्रकारों की दैनिक मजदूरियों की दरों पर राष्ट्रीय न्यादर्श परिमाप का कार्य न्यादर्श के आधार पर जनवर्णना तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों के सम्बंध में आंकड़े एकत्रित करना है । योजना अनुसार यह परिमाप बारी बारी से वर्ष में लगभग तीन बार किया जायगा । इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की इच्छानुसार विशेष परिमाप भी किये जाते हैं ।

(ग) जी, हां, श्रीमान् ।

(घ) प्रथम बारी अक्टूबर १९५०, मार्च १९५१, का प्रतिवेदन दिसम्बर १९५२ में प्राप्त हुआ था ।

(ङ) प्रारम्भ से चौथी बारी अर्थात नवम्बर १९५२ तक उसकी कार्यवाहियों का लेखा सामान्य प्रतिवेदन सं० एक राष्ट्रीय न्यादर्श परिमाप में दिया हुआ है । इस प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में पहले से ही रख दी गई हैं । अद्यावत स्थिति को बतलाने के लिये संस्था की कार्यवाहियां प्रत्येक बारी के परिमाप के प्रतिवेदन में सम्मिलित की जायेंगी ।

श्री के० सी० सोधिया : इस संघटन के बजट में प्रतिवर्ष १२ लाख रु० की वृद्धि क्यों हो गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि यह जानकारी कल प्राप्त की गई होती तो अधिक श्रेयस्कर होता । भारतीय कृषि अनुसंधान समिति से अन्य काम ले लेने पर जिसके सम्बंध में कल निर्देश किया गया था इस प्रश्न का क्षेत्र विस्तृत हो गया है । इसके अतिरिक्त, मेरा विश्वास है कि और क्षेत्र पहली बार सम्मिलित किये गये हैं ।

श्री दाभी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संसद के सदस्यों को विवरण की प्रतियां वितरित करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्रतियां पुस्तकालय में हैं और वे सदस्यों को प्राप्त हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इस संगठन के बजट में ५ ई शीर्षक के अंतर्गत बड़े अनुदान का उपबंध है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह किन अभिकरणों को दिया जाता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जिन दस्तावेजों की ओर माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं वे मेरे पास इस समय नहीं हैं । मेरा विश्वास है कि यह अनुदान भारतीय सांख्यकीय संस्था को कुछ काम करने के लिये दिया गया है ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संस्था की क्षेत्रीय और प्रादेशिक शाखाएँ हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसकी कोई क्षेत्रीय शाखाएं नहीं हैं ।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री जी ने मंत्रालयों के संकेत पर विशेष रूप से किये गये मरिमाप की ओर निर्देश किया था । अभी तक कौन से विषेश परिमाप और किस मंत्रालय की ओर से किये गये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त प्रमुख रूप से श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की ओर से परिमाप किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न । १२३० । सदस्य अनुपस्थित । दूसरा प्रश्न १२३२ ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न १२३१, श्रीमान् ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपमार्जित कर दिया गया है। यदि कोई बात संशोधन करनी हो तो मैं उसे पुनः ले लूंगा। सं० १२३२।

शिक्षा विशेषज्ञ समिति

*१२३२. **श्री रघुरामय्या** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) उसमानिया विश्वविद्यालय के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई शिक्षा विशेषज्ञ समिति के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ख) विश्वविद्यालय को केन्द्रीय नियंत्रण में हस्तान्तरित करने सहित समस्त विन्दुओं पर जन सम्मति प्राप्त करने के लिये क्या इसे निर्भर किया जायगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) समिति की स्थापना सम्बंधी प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि जिसमें निर्देश-पद भी सम्मिलित हैं सदन पटल पर रख दी गई है। [देखो परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३६]

(ख) नहीं।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रस्ताव की प्रथम पंक्ति की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि "भारत सरकार ने हैदराबाद सरकार की सम्मति से उसमानिया विश्वविद्यालय को केन्द्रीय संस्था के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय किया ....." मुझे स्मरण है पिछली बार जब इस प्रश्न को लिया गया था माननीय शिक्षा उपमंत्री ने यह उत्तर दिया था (**कुछ माननीय सदस्य**: यह तो भाषण है) कि अभी अन्तिम और अपरिवर्त्तनीय निर्णय नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो वक्तव्यों में किस तरह सामंजस्य हो सकता है .....

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न पर मैं जानना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया गया था वह प्रश्न संख्या १२३२ का ही उत्तर है।

डा० काटजू: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य-प्रश्न कौन सा है ?

श्री रघुरामय्या: मैं उत्तरों की अस्थिरता की ओर संकेत करने का प्रयत्न कर रहा था। पिछली बार यह पूछने पर कि उसमानिया विश्वविद्यालय को केन्द्र द्वारा ले लेने के प्रश्न पर अन्तिम और स्थायी निर्णय किया गया है अथवा नहीं यह कहा गया था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है और समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर निर्णय किया जायगा। यहां लिखा हुआ है, "[भारत सरकार ने हैदराबाद सरकार [की] सम्मति से उसमानिया विश्वविद्यालय को केन्द्रीय संस्था के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय कर लिया है ....." यदि दोनों वक्तव्यों में सामंजस्य स्थापित कर दिया जाय तो मैं आभारी हो जाऊंगा।

डा० काटजू: मेरा विश्वास है कि प्रस्ताव सही स्थिति प्रकट करता है।

डा० सुरेश चन्द्र: विशेषज्ञ समिति की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं और इसकी कार्यवाही के क्या परिणाम हैं ?

डा० काटजू : मैं नहीं सोचता कि अभी तक समिति की कोई बैठक हुई है ?

डा० सुरेश चन्द्र: क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक इस समिति की बैठक क्यों नहीं हुई है ?

डा० काटजू : मेरा विचार है कि यह प्रश्न समिति से पूछना चाहिये।

डा० सुरेश चन्द्र : श्रीमान्, समिति सदन के समक्ष उपस्थित नहीं है, माननीय मंत्री जी को ही कारण बताने चाहिये ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बंध में अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड की सम्मति ली गई थी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : नहीं उसका इससे कीई सम्बंध नहीं है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय के पास इस समिति की नियुक्ति के विरोध में जनता की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया है ?

मौलाना आजाद : नहीं, हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है ?

श्री मेघनाद साहा : जब समिति की बैठक नहीं होती है तो क्या यह देखना मंत्रालय का कर्त्तव्य नहीं है कि समिति क्यों नहीं मिलती है ?

मौलाना आजाद : मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा किन्तु प्रत्येक दशा में यह देखना राज्य सरकार का काम है कि कार्य का संचालन किस प्रकार होता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : जब मेम्बरों को मिलने का वक्त नहीं है तो उनको मुकर्रर क्यों किया गया ?

मौलाना आजाद : मैं नहीं सोचता कि समयाभाव के कारण समिति की बैठक नहीं हुई; इसके कुछ अन्य कारण होंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने अथवा न करने का निर्णय समिति की सिफारिशों पर ही निश्चित किया जायगा ?

मौलाना आजाद : समिति यह अभिनिश्चित करने के लिये नियुक्त की गई है कि इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत करने के फलस्वरूप कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी जिन पर विचार करना चाहिये । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही हमारे सामने पूरा चित्र होगा ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या माननीय मंत्री जी के वक्तव्य का यह अर्थ है कि उसमानिया विश्वविद्यालय को केन्द्र में परावर्तित करने का अभी स्थायी निर्णय नहीं किया गया है ?

मौलाना आजाद : कृपा करके प्रश्न दोहरा दीजिये ।

डा० सुरेश चन्द्र : मेरा सवाल यह है कि आप के बयान से ऐसा मालूम होता है कि अभी तक इस यूनिवर्सिटी का सेंटर में आना तय नहीं हुआ है, क्या यह सच है ?

मौलाना आजाद : नहीं, मेरा यह अभिप्राय नहीं था । मेरा मतलब था कि विशेषज्ञ समिति केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सर्जना से उत्पन्न गम्भीर और महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करेगी ताकि हमारे सम्मुख पूरी तस्वीर तैयार हो सके।

श्री रघुरामय्या : सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये वक्तव्य के अधिक स्पष्टीकरण के सम्बंध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि हैदराबाद में केवल यही एकमात्र विश्वविद्यालय है क्या भारत सरकार ने इस निर्णय के पूर्व हैदराबाद की लोकप्रिय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुषद् (सीनेट) से सलाह ली थी ?

मौलाना आजाद : स्पष्ट है कि भारत सरकार ने राज्य की सलाह से ही यह निर्णय किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां; यह उनके परामर्श से किया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जगजीत चीनी मिल के श्रमिकों और प्रबन्ध में परस्पर विवाद

*** १२३०. श्री ए०एन० विद्यालंकार :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जगजीत चीनी मिल, फगवाड़ा (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, जहां वर्तमान में राष्ट्रपति का शासन है) के प्रबंधकों और मजदूरों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है और लगभग १००० मजदूरों को छुट्टी लेने के लिये विवश कर दिया गया है तथा मिल ने काम बंद कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दो मजदूरों ने भूख हड़ताल कर रखी है; और

(ग) यदि सरकार कुछ कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार रखती है तो वह कौन सी कार्यवाही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जगजीत शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, फगवाड़ा के प्रबन्ध और श्रमिकों में औद्योगिक विवाद था । मजदूरों की अवैधानिक हड़ताल के परिणामस्वरूप ५ मार्च १९५३ को मिल बन्द हो गया ।

(ख) मजदूरों ने २४ फर्वरी १९५३ को भूख हड़ताल की थी किन्तु ११ मार्च १९५३ को समाप्त कर दी ।

(ग) कारखाने के प्रबन्धकों से काम आरम्भ करने के लिये कहा गया था किन्तु मशीन में खराबी हो जाने से वे ऐसा नहीं कर सके ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी की संख्या

***९४८. श्री रामानन्द दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन और समूहीकरण) योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी (स्थायी और अस्थायी) में कितनी संख्या है ?

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अभी तक कितने व्यक्ति नियुक्त किये जा चुके हैं ?

(ग) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सेवा की विभिन्न श्रेणियों की अधिकृत स्थायी संख्या निम्न प्रकार है :—

प्रथम श्रेणी :	अवर सचिव .	१८०
द्वितीय श्रेणी :	अधीक्षक	३००
तृतीय श्रेणी :	सहायक अधीक्षक	४००
चतुर्थ श्रेणी :	सहायक	१८००

द्वितीय श्रेणी की अधिकृत अस्थायी संख्या छुट्टी, शिष्ट-मण्डल आदि पर गये हुए पदाधिकारियों को छोड़कर 'बी' वर्ग के उपयुक्त स्थायी पदाधिकारियों की उपलब्धि और उनकी आवश्यकता देखकर हर छटे महीने निश्चित की जाती है । पहली नवम्बर १९५२ से प्रारम्भ होने वाले आधे वर्ष के लिये अस्थायी संख्या २७४ निश्चित की गई है । अवर सचिव, सहायक अधीक्षक और सहायक की कार्यवाहक नियुक्तियां उसी सीमा तक की जाती हैं जो इन स्थानों के लिये आवश्यक है और इन वर्गों की अस्थायी संख्या के विषय में कोई औपचारिक आदेश प्रचारित नहीं किये गये हैं । लगभग ३६० और १२०० की संख्या का क्रमशः सहायक अधीक्षकों और सहायकों का एक

नियमित अस्थायी स्थापन निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है ।

	स्थायी	अस्थायी
(ख) प्रथम श्रेणी :	१६७	११९
द्वितीय श्रेणी :	२६७	१८७
तृतीय श्रेणी :	२८९	३९०
चतुर्थ श्रेणी :	८५८६	....

टिप्पणी :—केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनौपचारिक अस्थायी नियुक्तियां नियमित अस्थायी स्थापना के निर्माण के पश्चात की जायेंगी ।

(ग)	स्थायी	अस्थायी
प्रथम श्रेणी :	२	...
द्वितीय श्रेणी :	१	...
तृतीय श्रेणी :	...	२
चतुर्थ श्रेणी :	४०	...

स्थायी नियुक्तियों के सम्बंध में ८ उम्मीदवारों के प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं । (ख) भाग के उत्तर में दी गई टिप्पणी भी देखो ।

सोनपुरा में विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय कृषकों में परस्पर विवाद

९४९. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रूद्रसागर में धान के खेतों के अधिकार के सम्बन्ध में सोनपुरा के विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय कृषकों में विवाद उत्पन्न हो गया था ?

(ख) क्या यह सच है कि इस तनाव को दृष्टिगत करते हुए डिविजन पदाधिकारी को उस क्षेत्र में भारतीय दंड विधान की धारा १४४ प्रचारित करनी पड़ी ।

(ग) क्या सरकार को विदित है कि यदि यह विशाल क्षेत्र कृषि से विरत रहा तो देश की उत्पादन राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि 'बोरो धान' के बीज बोने की ऋतु लगभग बीत रही है ?

(ङ) इस विवाद को शीघ्र ही समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ङ). सोनपुरा में रुद्रसागर क्षेत्र की बोरो धान के लिये उपयुक्त दलदल वाली भूमि के अधिकार के सम्बंध में कुछ विस्थापित और कृषकों में विवाद उत्पन्न हो गया था । चूंकि शान्ति भंग होने का भय था दंड विधान की १४४ वीं धारा प्रचारित की गई । विवाद से प्रभावित क्षेत्र अत्यंत सीमित होने के परिणाम-स्वरूप उत्पादन को कोई हानि नहीं हुई है । यह विवाद पुनर्वासित मछवाहों और षड़ौसी कृषकों के बीच हुआ था । यह भूमि सरकारी सम्पत्ति है और उनमें से किसी का भी इस पर अधिकार नहीं था ।

जस्त गलाने का संयंत्र

९५०. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विशेषज्ञों की समिति ने जस्त गलाने के संबंध की स्थापना के सम्बंध में अपना प्रतिवेदन उपस्थित कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो उस की क्या क्या सिफारिशें हैं ।

(ग) यदि नहीं तो समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन उपस्थित करने की आशा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). सम्बंधित ज्ञातव्य प्रकट करने के लिये सदन पटल पर वृत्तान्त प्रस्तुत कर दिया गया है । [**देखो परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ७**]

दावों की प्रामाणिकता

९५१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक कितने दावों की पुष्टि की जा चुकी है ; और

(ख) दावे करने वालों को सरकार मुआवजा देना कब प्रारम्भ करेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) २१ मार्च, १९५३ तक जिन सम्पत्ति पत्रों की प्रामाणिकता की जा चुकी है उनकी कुल संख्या ११,६४,२८६ थी ।

(ख) मुआवजे की योजना मंत्रालय ने पूण कर ली है और सरकार उस पर सक्रिय विचार कर रही है । सरकार द्वारा योजना स्वीकृत कर लेने पर भुगतान प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

भुगतान का संतुलन

९५२. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री १९५२-५३ की हमारी ब्रिटेन से भुगतान के संतुलन की स्थिति बतलाने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): अप्रैल से दिसम्बर १९५२ के काल के लिये ब्रिटेन के साथ चालू खाते पर भारत के भुगतानों के संतुलन की स्थिति ने प्रयोगात्मक अनुमानों के अनुसार ५९·२ करोड़ रु० का घाटा दिखाया था ।

पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को ऋण

९५३. **सरदार हुक्म सिंह:**
श्री अजीत सिंह:

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे .

(क) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को पेशगी दी गई तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किये गये ऋण की रकम ;

(ख) उन ऋणों की रकम जिनकी अभी वसूली नहीं हुई है और अभी तक यथार्थ रूप में वसूल होने वाली रकम; और

(ग) स्वेच्छापूर्वक प्रतिदान किये गये ऋण की रकम और भूमि-राजस्व की परिशेष-राशि के रूप में बलपूर्वक प्राप्त की गई रकम कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और उचित समय में सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा ऋण

९५४. **सरदार हुक्म सिंह:**
श्री अजीत सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर १९५२ तक पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये ऋण की रकम ;

(ख) ३१ दिसम्बर १९५२ तक प्रार्थियों को दी गई वास्तविक राशि; और

(ग) उन प्रार्थनापत्रों की संख्या जो अभी अनिर्णीत है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) ३१ दिसम्बर १९५२ तक पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा विस्थापित व्यक्तियों की स्वीकृत की गई राशि ९·३० करोड़ रुपये है । यह आंकड़े १·१६ करोड़ रु० के उस ऋण के कुल योग से अलग है जो कि पहले स्वीकृत कर दिया गया था किन्तु बाद में विलोप कर दिया गया ।

(ख) उक्त तिथि तक वस्तुत: दी गई रकम लगभग ५·२९ करोड़ रु० है ।

(ग) ३१ मार्च १९५३ तक विचाराधीन प्रार्थनापत्रों की संख्या लगभग २३,६०० है ।

आयकर पुनर्वाद अभिकरण

९५५. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में काम करने वाली आयकर पुनर्वाद अभिकरण की न्याय-पीठ (बेंचों) की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या इन सब बेंचों की स्थिति स्थायी धरातल पर है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) कुल आठ बेंचें स्थापित की गई हैं जिनमें से बम्बई और मद्रास में दो दो तथा कलकत्ता, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से प्रत्येक स्थान पर एक एक बेंच है ।

(ख) नहीं। ६ बेंचें स्थायी हैं और दो अस्थायी ।

भूगर्भ अनुसन्धान

९५६. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन भारतीय विश्वविद्यालयों में विविध भूगर्भ अनुसंधान विभाग हैं ?

(ख) इन विभागों में से कितने स्थानों में भूगर्भ रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता है ?

(ग) भूगर्भ-रसायन किस प्रकार गुप्त खनिज उपनिधि मालूम करने में सहायता प्रदान करता है ?

(घ) संसार के किन देशों में भूगर्भ रसायन कार्य सफलता पूर्वक संचालित किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) अलीगढ़, आंध्र, बनारस, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पूना, सागर, राजपूताना, ट्रावनकोर मैसूर, और जम्मू और काश्मीर विश्वविद्यालय ।

(ख) अलीगढ़, आंध्र, बनारस, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, और राजपूताना विश्वविद्यालयों में भूगर्भ-रसायन शास्त्र का अध्यापन होता है ।

(ग) भूगर्भ-रासायनिक पद्धतियों का उद्देश्य विस्तृत सीमा में प्रकृति प्रदत्त खनिज पदार्थ—चट्टानें, धातुएं, ऋतु तथा जमीन के कटाव से उत्पन्न वस्तुएं, प्राकृतिक-जल और वनस्पति आदि विभिन्न रासायनिकों का पता लगाना और अर्थनिक्षेप करना है ।

(घ) भूगर्भ रासायनिक विधि स्केन्डिनेविया के देशों में और रूस, अमरीका, कनाडा और इंगलैंड में सफलतापूर्वक संचालित की गई है। आस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी यही पद्धति अपनाई जा रही है ।

भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं में स्थायी कमीशन (आज्ञप्ति)

९५७. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या रक्षा मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय सेना से एकीकरण के समय भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं के पदाधिकारियों में से कितने मुक्त कर दिये गये अथवा उन्हें अल्प सेवा नियमित आज्ञप्ति (शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन) दी गई ?

(ख) मुक्त किये गये पदाधिकारियों में से पी० एस० सी० (प्रादेशिक सशस्त्र दण्डधर-गण) और प्रदेशों तथा केन्द्र की पुलिस में कितने व्यक्ति लिये गये ?

(ग) सरकार उन सब पदाधिकारियों को किस भांति काम में लगाने अथवा मुआवजा देने का विचार कर रही है जिनके पास भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं में स्थायी कमीशन थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३१० पदाधिकारियों को अल्प सेवा नियमित कमीशन प्रदान किये गये हैं और

७११ मुक्त कर दिय गये हैं अथवा उन्होंने नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया है ।

(ख) १३३ पदाधिकारी सरकारी नौकरियों में ले लिये गये हैं । प्रादेशिक सशस्त्र दण्डधर-गण और प्रदेशों तथा केन्द्र की पुलिस में अंतर्निधान किय गये पदाधिकारियों के सम्बंध में सूचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) रिक्त स्थानों की सीमित संख्या होने से समस्त पदाधिकारियों को सरकारी नौकरी में लेना सम्भव नहीं है । इन व्यक्तियों को अर्द्धसरकारी और निजी उद्योगों में काम दिलाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । जो पदाधिकारी नहीं लिये जा सके उन्हें निम्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं :—

(i) दस वर्ष से कम सेवा वाले पदाधिकारियों को वह उपदान दिया गया है जो सेवा से मुक्त होने पर दिया जाता है।

(ii) दस वर्ष से अधिक सेवा वाले पदाधिकारी विशेष उपदान के अतिरिक्त अवकाश-वेतन प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

फ्रांसीसी स्नातकों को परिषद्यता

९५८. **डा० रामसुभग सिंह : शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने फ्रांसीसी स्नातकों को अनुसंधान कार्य तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिय परिषद्यताएँ प्रदान की हैं ; और

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो इन परिषद्यताओं की संख्या कितनी है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५०-५१ में ९ तदर्थ परिषद्यतायें प्रदान की गई हैं । १९५३-५४ में ६ परिषद्यताएं प्रदान करने की योजना है ।

भारत में अनिवार्य शिक्षा पर यूनेस्को द्वारा प्रतिवेदन

९५९. **श्री एस० एन० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को भारत में अनिवार्य शिक्षा पर यूनेस्को का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचारविमर्श किया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सरकार को यूनेस्को का 'भारत में अनिवार्य शिक्षा' अध्ययन-पत्र मिल गया है । यह सरकार के लिये प्रतिवेदन नहीं है किन्तु एक परिशीलन है जिसे लेखकों ने व्यक्तिगत सामर्थ्य में यूनेस्को में प्रस्तुत किया है ।

(ख) यह प्रश्न उद्भव नहीं होता है ।

मनीपुर राज्य में विस्थापित व्यक्ति

९६०. **श्री गिडवानी :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मनीपुर राज्य में विस्थापित व्यक्तियों की कितनी संख्या है ?

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति भूमि पर बसा दिये हैं ?

(ग) कितने व्यक्तियों को और किस प्रयोजनार्थ ऋण दिया गया है ?

(घ) कितने परिवारों के लिये रहने के स्थान का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

(ङ) कितने व्यक्तियों को लाभपूर्वक स्थिति में नौकरी में रखा गया है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १,७१९ विस्थापित व्यक्ति ।

(ख) ४०६ परिवार ।

(ग) पशु, कृषि-उपकरण और बीज खरीदने के लिये ३८९ कृषक परिवारों को ऋण दिया गया है और बढ़ई का काम करने वाले १२ परिवारों को केवल मकान बनाने के लिये ऋण दिये गये हैं ।

(घ) रहने के लिये बनी हुई इमारतें नहीं दी गईं । ४१८ परिवारों को मकान के लिये भूमि अथवा मकान बनाने के लिये ऋण स्वीकृत किये गये ।

(ङ) मनीपुर में भेजे गये लगभग सब परिवार लाभपूर्वक स्थिति में नौकरी में लगे हुए हैं ।

मीन-कृषि परामर्शदाता का मनीपुर आगमन

९६१. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत के भूगर्भपरिमाप संचालक और खाद्य तथा कृषि संघटन के मीन-कृषि परामर्श-दाता श्री सुदंर लाल होरा, डी० एस० सी०, एफ० एन० आई० को मनीपुर में संप्रेषित किया है ।

(ख) यदि उक्त तथ्य सही है तो उनकी यात्रा का क्या प्रयोजन है और उन्होंने वहां क्या किया है ?

प्राकृतिक **संसाधन तथा वैज्ञानिक अनु-सन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). डा० होरा ११ फरवरी १९५३ को भारत के भूगर्भ-परिमाप पदाधिकारियों के दल के आगामी कार्य का निरीक्षण और संचालन करने गये थे । यह दल मनीपुर घाटी में बन सम्बंधी परिमाप करने गया था ।

निर्वाचन याचिकायें (हैदराबाद)

९६२. **श्री एच० जी० वैष्णव** : (क) क्या **विधि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य विधान सभा के निर्वाचन तथा इस राज्य से संसदीय निर्वाचन के सम्बंध में अभी तक कितनी निर्वाचन याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं ?

(ख) इनमें से कितनी याचिकाएँ अभी निर्वाचन अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) हैदराबाद राज्य विधान सभा के सम्बंध में तीन निर्वाचन-याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं। संसदीय निर्वाचन के सम्बंध में इस राज्य से अभी तक एक भी याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) निर्वाचन अधिकरण के समक्ष एक याचिका अभी भी विचाराधीन है ।

संयुक्त स्कन्द समवाय

९६३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कितने संयुक्त स्कंद समवाय (जोइंट स्टाक कम्पनियां) १९५२ में अपने आप ही बंद हो गईं ;

(ख) कितने संयुक्त स्कंद समवायों को सरकार ने जांच के पश्चात १९५२ में बंद करने का आदेश दिया था ; और

(ग) कितने संयुक्त स्कन्द समवायों को उसी अवधि में दूसरी कम्पनियों के साथ मिला दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना संग्रह की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

९६४. **सेठ गोविन्द दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कौन सा राज्य शिक्षा की निम्नलिखित श्रेणियों पर प्रति व्यक्ति के अनुपात से अधिकतम व्यय कर रहा है।

(१) प्रारम्भिक शिक्षा

(२) माध्यमिक शिक्षा

(३) उच्च (विश्वविद्यालय) शिक्षा;

(ख) कौन-सा राज्य उच्च शिक्षा पर अधिकतम व्यय करता है ; और

(ग) कौन सा वयस्क शिक्षा में अग्रणी है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख) . सदन पटल पर विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। **[देखो परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) जिस तरह प्रश्न प्रस्तुत किया गया है उसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

विदेशों में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियां

९६५. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में पंजाब राज्य के कितने छात्रों ने विदेशों में अध्ययन करने के लिये छात्र-वृत्तियों के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस प्रकार के प्रार्थनापत्रों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। 'स' और 'द' श्रेणी के राज्यों को प्रतिवर्ष तक छात्रवृत्ति के अतिरिक्त भारत सरकार विदेश में अध्ययन के लिये कोई छात्रवृत्तियां नहीं देती है।

"जन कल्याण"

९६६. **श्री दशरथ देब :** क्या राज्य-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगरतल्ला में "जन कल्याण" नामक साप्ताहिक पत्र है ;

(ख) क्या उक्त पत्र प्रकट रूप से साम्यवाद का प्रचार करता है ;

(ग) क्या पत्र अपने सम्पादकीय में विस्थापित व्यक्तियों को आदि तथा अल्प-संख्यक जाति वालों पर आक्रमण करने के लिये प्रोत्साहित करता है ; और

(घ) क्या इस पत्र को त्रिपुरा की सरकार द्वारा विज्ञापन के रूप में सहायता दी जाती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, पत्र प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में साम्यवाद का प्रचार नहीं करता है।

(ग) इस तरह का सम्पादकीय देखने में नहीं आया है।

(घ) जी नहीं, त्रिपुरा के अन्य स्थानीय पत्रों की भांति इस पत्र को प्रकाशनार्थ विज्ञापन दिये जाते हैं।

त्रिपुरा में बन्दूकों की जब्ती

९६७. **श्री दशरथ देब :** (क) क्या राज्यमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लायसेंस नवीनीकरण के नाम पर बेलोनिया और सेवरूम (त्रिपुरा) के किसानों से त्रिपुरा सरकार ने कितनी गज्जी और छर्रेदार बन्दूकें जब्त की गई थीं और वर्तमान समय सहित वे न्यायालय में कब तक रोकी गई ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि बेलोनिया और सेवरूम के अधिकांश क्षेत्र

घने जंगल हैं और फसल प्राय: जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाती है ?

(ग) क्या यह सच है कि महाराजा के शासन काल में प्रत्येक आदि-कृषक (कृषि सम्बंधी और जूमिया) और यहां तक कि मैदानों के भी सब खेतीहरों को हाथी और सूअर आदि जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिये बन्दूकें रखने की अनुमति थी ?

(घ) क्या सरकार उन्हें अपनी उत्पादित फसलों की रक्षा करने के लिये पुन: वही सुविधाएं देने पर विचार कर रही है ?

(ङ) क्या सरकार का विचार है कि फसल करने की आगामी ऋतु के पूर्व ही उन्हें रोक रखी गई बन्दूकें लौटा दी जायेंगी?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) सेवरूम डिविजन में ८८ गन्जी और ६ छर्रेदार और १३६ गन्जी और १० छर्रेदार बन्दूकें बेलोनिया से जब्त की गई थीं क्योंकि बन्दूक रखने वालों ने अपने लायसेंस नवीकरण नहीं कराये थे ।

(ख) जी हां, बेलोनिया और सेवरूम डिविजन घन जंगलों से घिरे हुए हैं और संभव है कि जंगली जानवरों से फसलों को हानि होती है ।

(ग) महाराजा के शासन काल के राज्य म त्रिपुरा राज्य शस्त्र अधिनियम, १९११ लागू था । इस अधिनियम की सातवीं धारा के अनुसार यदि कोई राज्यवासी अपने उपयोग के लिय शस्त्र रखने की इच्छा रखता था तो उसे इस शस्त्र को रजिस्ट्रेशन करने के लिये डिविजनल पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था । लाइसेंस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

(घ) अब शस्त्रों के लाइसेंस जारी करने का कार्य भारतीय शस्त्र अधिनियम, १८७८ तथा इस के अन्तर्गत नियमों के अनुसार होता है । इस अधिनियम के अनुसार जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिये उदारता पूर्वक बन्दूकों के लायसेंस दिये जाते हैं ।

(ङ) बन्दूकें उनके उचित मालिकों को क्रमश: लौटाई जा रही हैं जो कि अब शस्त्र रखने के लिये नियमानुसार लायसेंस ले रहे हैं ।

भारत शासन-विधान, १९३५ की १७५वीं धारा के अन्तर्गत करार

९६८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों के पास भारत शासन-विधान की १७५वीं धारा अथवा भारत संविधान के अधिकरण २९९ के निदेश के अंतर्गत हस्ताक्षर युक्त वैध करार हैं और कितने कर्मचारियों के पास नहीं हैं ?

(ख) क्या इस करार के अभाव में कर्मचारी कानूनी सुरक्षा से बञ्चित रहते हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) सरकार के अंतर्गत नागरिक सेवाओं अथवा नागरिक पदों पर बहुसंख्यक व्यक्ति सूचना अथवा नियुक्ति पत्र द्वारा नियुक्त किये गये हैं और उनसे किसी प्रकार का औपचारिक करार नहीं किया गया है । औपचारिक करार केवल उन्हीं व्यक्तियों से किये जाते हैं जिनके कार्यकाल, पारिश्रमिक अथवा नौकरी की अन्य शर्तें सामान्य सेवा नियमों के अन्तर्गत नियोजित साधारण सरकारी कर्मचारियों से भिन्न होती हैं ।

(ख) औपचारिक करार की अनुपस्थिति किसी भी सरकारी कर्मचारी को संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा से वञ्चित नहीं करती है ।

युद्धास्त्र कारखाने

९६९. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५२ में भारत में कितने युद्धास्त्र कारखाने थे ?

(ख) उनमें से कितने अभी पूर्ण उत्पादन कर रहे हैं ?

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५२ को इन कारखानों में कितने युरोपियन कार्य नियोजित थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) बीस ।

(ख) उन्नीस ।

त्रिपुरा में आदिजाति विस्थापित व्यक्ति

९७०. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अभी तक पुनर्वासित किया जा चुका है ?

(ग) उन्हें कुल कितनी रकम ऋण में दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ४६६ परिवार।

(ख) १६९ परिवार ।

(ग) अभी तक केवल ५०,७०० रु० की रकम दी गई है ।

त्रिपुरा में भूमि

९७१. **श्री दशरथ देव:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में जमीन के एक भाग को नामजारी करने के लिये सरकार ने कितना शुल्क वसूल किया है ;

(ख) मुकदमें बाजों से निर्णय की प्रतिलिपियां जारी करने के लिये कितना प्रभार प्राप्त किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा त्रिपुरा में मुकदमा दायर करने में अधिक व्यय होता है ; और

(घ) क्या इस शुल्क को कम करने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) कृषकों कि अधिसम्पत्ति के सम्बंध में न्यायालय शुल्क खरीदने के लिये स्थित्यन्तर व्यय आठ आना है; वकालत नामा १२ आना; प्रक्रिया शुल्क १० आना; नगरपालिका के बाहर का बाजार प्रति कानी दो रुपये नगरपालिका के एक वर्ष के किराये सहित ।

दायाधिकार के मामले में प्रति व्यक्ति एक रुपया और दूसरा व्यय पूर्ववत: है । तालुक के लिये क्रय के मामले में स्थित्यन्तर शुल्क वार्षिक राजस्व का दस प्रतिशत और दायाधिकार नजर के मामले में प्रति व्यक्ति दो रुपया है ?

(ख) फौजदारी मामलों में न्यायालय शुल्क आठ आना है । पचास रुपयों से कम मूल्य वाले दीवानी मुकदमों का न्यायालय शुल्क आठ आना और पचास रुपयों से अधिक के लिये एक रुपया है । प्रमाणित पत्रों की प्रतिलिपि का व्यय प्रति अंग्रेजी के प्रति एक सौ शब्दों के लिये आठ आने और अप्रामाणीकृत पत्रों की प्रतिलिपि का प्रत्येक सौ शब्दों का प्रभार साढ़े चार आने हैं। बंगाली में प्रमाणिक पत्रों के लिये सौ शब्दों के लिये साढ़े चार आने और अप्रामाणिक के लिये सौ शब्दों के दो आने हैं ।

(ग) प्राप्य समय के भीतर उनकी तुलना सम्भव नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

हिन्दी कक्षायें

९७२. **श्रीमती शकुन्तला :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के अध्ययन के लिये दिल्ली में हिन्दी की कक्षाएं आरम्भ कर दी हैं; और

(ख) यदि यह सही है तो क्या उक्त कक्षाएं राज्यपत्रित पदाधिकारियों के लिये भी हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां ।

यूनेस्को यात्रा पारिषद्यता

९७३. **श्रीमती शकुन्तला :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को पेरिस में १९५२ में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गर्ल गाइड्स में भाग लेने के लिये यूनैस्को यात्रा पारिषद्यता प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि यह बात सही है तो पारिषद्यता के लिये निर्णय करने के पूर्व भारत सरकार ने अखिल भारत गर्ल गाइड्स एसोसियेशन से परामर्श लिया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

विदेशियों को छात्रवृत्तियां

९७४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन देशों के निवासियों को सरकार ने भारत में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं उनमें से किन देशों ने भारतियों को अपने यहां अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : भारत सरकार की साधारण सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित देशों में से टर्की, मिश्र और ईरान में वहां अध्ययन करने के लिये भारतियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं ।

बनारस के आय-कर विभाग में चलाये गये मामले

९७५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बनारस के आय-कर विभाग में १९५२-५३ में कुल कितने मामले चलाये गये ; और

(ख) इनमें से कितने मामले क्रमश : छै मास, नौ मास और एक वर्ष पश्चात निर्णीत किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यह सूचना जो कि स्पष्टत: रकम निर्धारित करने, पुनर्विचार और पुनरीक्षा मामलों से सम्बंधित है तब तक संग्रह नहीं की जा सकती जब तक की बनारस में अभिनिर्धारण के हज़ारों अभिलेखों की जांच नहीं कर ली जाती । यदि माननीय सदस्य मुझे जानकारी दें तो मैं देर से निपटाये जाने वाले विशेष मामलों की अवश्य जांच करूंगा ।

हिन्दी वैज्ञानिक शब्द संकलन बोर्ड

९७६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों तथा शब्दावली के संकलन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड अथवा समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ।

(ख) इस बोर्ड अथवा समिति से सम्बंध विभिन्न चीज़ों पर अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ग) क्या कुछ या उपसमितियां भी बनाई गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन पर अब तक कितना आवर्त्तक या अनावश्यक व्यय किया गया है या इस समय किया जा रहा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ). सदन पटल पर विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है **[देखो परिशिष्ट, ८, अनुबन्ध संख्या ३९].**

अनुसूचित जातियों आदि के लिये स्वतन्त्र मंत्रालय

९७७. श्री रिशांग किशिंग: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के वे राज्य जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया है और वह कार्य कर रहा है ;

(ख) वह व्यवस्था जिसके द्वारा केन्द्र ने राज्यों में अनुसूचित जातियों, आदि-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिये विभाजिन विशेष निधि व्यय की गई है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों, आदि जातियों और पिछड़े वर्गों के आयोग और केन्द्र तथा उक्त राज्य में परस्पर कार्य का सहयोगीकरण किस प्रकार होता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जिन राज्यों में अनुसूचित जातियों, आदिजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये स्वतंत्र विभाग हैं उनके नाम ये हैं :—

आसाम
बिहार
मध्य प्रदेश
उड़ीसा
बम्बई
पश्चिम बंगाल
हैदराबाद
मध्य भारत
पेप्सू
राजस्थान
ट्रावनकोर-कोचीन
विंध्य प्रदेश

ऊपर जिन राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है उनमें से कुछ में इन विभागों के लिये स्वतंत्र मंत्रालय हैं और अन्य में मंत्री महोदय इन विभागों का भी कार्य करते हैं ।

(ख) उन राज्यों में जहां कि अलग विभाग हैं निधियां इन्हीं विभागों द्वारा खर्च की जाती हैं । उन राज्यों में जहां स्वतंत्र विभाग नहीं हैं यह कार्य उस विभाग के सुपुर्द कर दिया जाता है जो कि अनुसूचित जातियों, आदिजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास से सम्बंधित है ।

(ग) केन्द्र के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदि जातियों के आयुक्त जिनकी ओर माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं राज्य की सरकारों को अनुसूचित जातियों, आदिजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बंधित समस्त मामलों में परामर्श देते हैं, वह उन्हें विभिन्न कल्याण योजनाओं के निर्माण में सहायता देते हैं और यह देखने के लिये पूर्ण प्रयत्नशील रहते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं उचित रूप में अभिपूरित की जाती हैं ।

Par. S. 18. III. 8. 53
285.

अंक ३ बुधवार

संख्या ८ ८ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:०:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक—असमाप्त [पृष्ठ भाग ३०२१—३०५३]

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग ३०५३—३०९४]

273 PSD

(मूल्य ६ आने)

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, ८ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शूल्क) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा ४ अप्रैल, १९५३ को प्रस्तुत किए गए निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा :

> "खादी और अन्य हथकरघा उद्योगों के विकास तथा खादी और अन्य हथकरघा उद्योगों के विक्रय को बढ़ाने के प्रयोजनों से धन एकत्र करने के लिए कपड़े के उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क के आरोपण तथा संग्रह की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव के साथ साथ दो प्रस्तुत संशोधनों पर भी विचार होगा। प्रश्न १२३१ को छोड़ दिया गया है। इसके कारण मैं बाद में देखकर बतलाऊंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): श्रीमान् औचित्य प्रश्न के हेतु, हमारी सूचना है कि विधेयक के पारित होने से पहले ही मिलों के बने वस्त्र पर शुल्क वसूल किया जा रहा है। ऐसा करना असांविधानिक तथा अवैध है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। ऐसा प्रश्न केवल विधेयक की अग्रेतर प्रगति के बारे में ही उठाया जा सकता है, चाहे वे अवैध रूप से हजारों कर भी क्यों न वसूल कर रहे हों। इसके अतिरिक्त १९३१ में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसके अन्तर्गत उन्हें अस्थायी रूप से करों को वसूल करने का अधिकार है।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरी) : यह विधेयक पिछली शोचनीय नीति में परिवर्तन का प्रतीक है। अभी तक कपड़ा मिलों को अधिमान दिया जाता रहा है तथा हथकरघे के उद्योग की सर्वथा उपेक्षा की जाती रही है। एक हथकरघे तथा कुटीर उद्योग प्रधान क्षेत्र से आने के कारण मैं इस विधेयक का और भी स्वागत करता हूं।

जन मत तथा सरकारी नीति हथकरघे के उद्योग के सम्बन्ध में 'जिस की लाठी

[श्री सी० आर० नरसिंहन्]

उसी की भैंस', व्यवहार को अब सहन नहीं करेगी। मिल उद्योग के पक्षपातियों को 'जिओ तथा जीने दो' सिद्धान्त का अनुसरण करना होगा।

वर्ष १९४९ तथा वर्ष १९५० में राजकोषीय आयोग ने संरक्षित तथा कुटीर उद्योगों के बारे में विचार करते हुए कहा था कि संरक्षित उद्योगों को समाज विरोधी व्यवहार नहीं करना चाहिये। उन्हें संगत उद्योगों को भी उन्नत करना चाहिये। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि परस्पर विवाद की अवस्था में सरकार विभिन्न सुविधाओं के बारे में कुटीर उद्योगों का पक्ष ले।

हथकरघे के उद्योग को समाप्त नहीं होने दिया जा सकता तथा निश्चय ही जुलाहों के मिटा दिए जाने का सहन नहीं हो सकता। हमारे हां लाखों व्यक्ति हैं जो परम्परा से इस पेशे में निपुण चले आते हैं। उस उद्योग के चलाए रखने के उपाय अवश्य ही होने चाहियें। मुख्य उद्योगों से टक्कर की दिशा में सरकार को कुटीर उद्योगों की अवश्य ही सहायता करनी चाहिये। मेरा अनुमान है कि प्रस्तावित शुल्क से सामूहिक परियोजनाओं का विकास होगा। मेरी आशा है कि मंत्री महोदय धन की बांट के समय कपड़ा बुनने के उद्योग को नई योजनाओं में शामिल कर के इसकी उचित सहायता करेंगे।

इस विधेयक से जुलाहों को एक नई आशा बन्धती है। इससे उनके लिए एक नवयुग का निर्माण हुआ है।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : मैं इस विधेयक का कई एक कारणों से स्वागत करता हूं। प्रथम तो इस लिए कि इससे पंच-वर्षीय योजना की पूर्ति में सहायता मिलती है; दूसरे इससे बेकारी को कुछ सीमा तक दूर करने की चेष्टा की गई है। दोनों प्रश्न हमारे देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्य के मामले में स्वावलम्बी होने तथा विदेशों से अनाज के निर्यात को बन्द करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। हमें कपड़े के सम्बन्ध में भी स्वावलम्बता को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। वर्ष १९५२ में मिल तथा हथकरघे के उत्पादन-मात्रा उत्साहजनक है। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि दोनों उद्योगों को जीवित रहना चाहिये क्योंकि उनसे हमारे देश के लाखों व्यक्तियों को काम मिलता है। ठीक है कि इस समय कृषि पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, परन्तु हर बेकार व्यक्ति को भूमि का देना असम्भव है। साथ ही हमें देखना चाहिये कि दोनों उद्योगों में परस्पर अनुचित प्रतियोगिता न होने पाए। इसके लिए हमें इन उद्योगों को यदि पृथक पृथक स्थानों पर चलाने की व्यवस्था करनी पड़े तो करनी चाहिये। यह निश्चित करना भी उचित होगा कि मिलें अमुक 'काऊंट' से कम 'काऊंट' के धागे का प्रयोग न करें। धोतियों के उत्पादन के बारे में मिलों की पूरी समर्थता का ६० प्रतिशत निश्चित करना भी एक ठीक उपाए है। ये प्रबन्ध किए जाने चाहियें कि मिलें हथकरघे के कपड़े को बिल्कुल तैयार न करें।

यह सोचना भी लाभकारी होगा कि हथकरघे के उद्योग में सहकारी संस्थाएं कहां तक सहायक हो सकती हैं। माननीय मंत्री ने अगले दिन उनकी बहुत प्रशंसा की थी। परन्तु हमारा अनुभव इसके बिल्कुल

विपरीत है। बीते दिनों में कई मामलों में इन संस्थाओं ने भारी ग़लतियां की हैं। धन के ग़बन की रिपोर्ट आई हैं तथा चोर बाज़ारी आदि की कई शिकायतें मिली हैं। मैं इन संस्थाओं के विरुद्ध नहीं हूं तथा उन के काम में बाधा नहीं डालना चाहता; परन्तु इनके विधान से त्रुटियों को बिल्कुल निकाल देने के पक्ष में हूं। उन पर कड़ी देख भाल करनी चाहिये।

सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि हथकरघे के कपड़े तथा खद्दर के दाम असामान्य रुप से न चढ़ जायें तथा कि वे उचित सीमा तक ही रहें। भारत की सब से बड़ी समस्या यह है कि दैनिक आवश्यकताओं के लिए कपड़ा तथा अनाज उचित दामों पर मिलता रहे इन वस्तुओं के मूल्यों के असामान्य रूप से अधिक होने के कारण देश में इस समय बहुत असंतोष ह। जन साधारण को यह विश्वास होना चाहिये कि सरकार इन दोनों उद्योगों को उन्नत करना चाहती है। सरकार आसानी से यह फैसला कर सकती है कि जहां तक सरकारी इमारतों का सम्बन्ध है, उन के सजाने के लिये तथा घरेलू प्रयोजनों से जो कपड़ा खरीदा जायगा, वह या तो हथकरघे का होगा या खद्दर होगा।

अगले दिन श्री सोमानी के इस वक्तव्य से मुझ बहुत आश्चर्य हुआ कि मिल के कपड़े के उद्योग को केवल इस लिये क्षति नहीं पहुंचनी चाहिये कि हथकरघे तथा खद्दर के उद्योग को उन्नत करना है। मैं सादर पूछना चाहता हूं। कि अभी तक जो मिल के कपड़े के उद्योग ने उन्नति की है, उस से किस उद्योग को क्षति पहुंचती रही है? श्रीमान, इसका उत्तर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की १९५२-५३ सम्बन्धी रिपोर्ट में मिल जाता है। उस से स्पष्ट पता चल जाता है कि किस प्रकार मिल के उपलब्ध कपड़े की मात्रा के बढ़ जाने से हथकरघे के उद्योग में व्यस्त अनेक व्यक्तियों की जीविका को हानि पहुंची है।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए।]

खद्दर के उद्योग का भी यही हाल हुआ। मिल के कपड़े के मूल्य बहुत कम होने से खद्दर बनाने वाले अनेक व्यक्तियों को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। इस रिपोर्ट में श्री सोमानी के प्रश्न का काफी उत्तर है।

श्रीमान, मैं इस विधेयक का पूरा पूरा समर्थन करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : अपने भाषण को आरम्भ करने से पहले मैं अस्थायी कर-संग्रह अधिनियम, १९३१ को इस विधेयक पर लागू करने के सम्बन्ध में घोर विरोध प्रकट करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि कितने ही संशोधन क्यों न प्रस्तुत किये जायें, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथा कि हमारी आवाज़ को अब उतना महत्व नहीं दिया जायगा।

मैं इस विधेयक को एक बहुत अस्थायी प्रकार का विधान समझता हूं। मेरा इस विधेयक के पीछे काम कर रही मूल विचारधारा से ही मतभेद है। मेरा विश्वास औद्योगीकरण में है तथा मैं खादी उद्योग के दक्यानूसी ढंग से विश्वास के पक्ष में नहीं हूं। मेरा यह विकास है कि मानवीय शक्ति तथा क्रियाशीलता का यथासम्भव लाभ उठाया जाना चाहिये। टेकनिकल निपुणता का अधिकतम

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

प्रयोग किया जाना चाहिए । हमें काम के घण्टों में कमी करनी चाहिये । तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा को बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहियें । भविष्य म खादी या हथकरघे के उद्योग का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है । यदि हम अपने हथकरघे के उद्योग को शनैः शनैः बिजली की शक्ति से चलाये जाने के क्रम पर नहीं लाते तो हम मिल के कपड़े के उद्योग का विकेन्द्रीकरण नहीं कर सकते । आज का संसार प्रतियोगिता का है—पूंजीपतियों की प्रतियोगिता का । जनसाधारण से हम पुराने समय की ओर लौटने के लिए नहीं कह सकते । व्यक्तिगत रूप से अपनी जीविका के सम्बन्ध में केवल खद्दर पर निर्भर करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

इस मामले का एक और पहलू भी है । स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमने 'खादी' के उत्पादन का राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया था । हमारे पर यह नैतिक भार है कि उस शरारत को यथासम्भव अब समाप्त करें । इस नाते मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मैं बड़े उद्योगों का पक्षपात नहीं करता । मुझे यह दुःख नहीं है कि कपड़ा मिलों पर कर लगाया गया है, मेरा दुःख यह है कि जनसाधारण को अब अधिक कर का भार सहन करना होगा तथा कठिनाई का सामना करना होगा। इस समय भी सारी धोतियां चोर बाज़ार में पहुंच चुकी है ।

अगले दिन नारियल तथा नारियल के तेल पर आधे घंटे की चर्चा में माननीय मंत्री ने चढ़ते हुए दामों को नियंत्रित करने के विषय में बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया था । परन्तु मध्य मार्च में निर्वाह दशनांक ३८६ था जो पिछले वर्ष के उसी काल की तुलना में २१·२ अधिक था । इस का अर्थ है कि निर्वाह-व्यय बढ़ता जा रहा है जिस से गरीबों को बहुत कठिनाई का सामना हो रहा है । अतएव माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि दरमियाने तथा गाढ़े कपड़े को कर से मुक्त कर दें । खादी तथा हथकरघे के लिये दूसरे तरीकों से व्यवस्था की जा सकती है ।

कपड़े के निर्यात से इतना लाभ हो रहा है कि इस में सख्त प्रतियोगिता चल रही है । दक्षिण भारत के कपड़ा उत्पादकों को शिकायत है कि दिल्ली, बम्बई तथा अहमदाबाद के उत्पादक सारे के सारे निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं । मुझे समझ नहीं आती कि निर्यात किए जाने वाले कपड़े को इस कर से छूट क्यों दी गई है ।

यह सब कुछ होते हुए भी मेरा यह कहना है कि मेरे हृदय में खद्दर के प्रति सहानुभूति है । परन्तु मैं एकाधिकार के प्रयत्न का समर्थन नहीं कर सकता । किसी संस्था को खादी के उत्पादन तथा बेचने का एकाधिकार नहीं दिया जा सकता । निस्संदेह इस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है । मद्रास में इस संस्था के एकाधिकार पर उच्चतम न्यायालय में आपत्ति की गई थी जो मुझ पता नहीं, कहां तक सफल हुई है । अस्तु, इस विधेयक तथा इस विधेयक से एकत्र किए गए धन का उक्त संस्था को एकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । इसके विपरीत कताई वालों को अधिक दामों के दिए जाने तथा जनसाधारण को सस्ते दामों पर

बेचने के सम्बन्ध में प्रतियोगिता का हमें स्वागत करना चाहिये।

शुल्क पहले से एकत्र हो चुका। इस बारे में एक औचित्य प्रश्न को अनियमित घोषित किया जा चुका है। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में धैर्य से काम लें तथा शुल्क के आरोपण को १५ मई तक स्थगित कर दें। निश्चय ही मेरा संशोधन उचित समय पर प्रस्तुत होगा, परन्तु मैं जानता हूं कि बिना मंत्री महोदय की सहमति के वह स्वीकार नहीं होगा।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर): मैं तो इस उपकर को बेरोजगारी-कर कहूंगी; अतः लोगों को इसके देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिये। हम सब हा यह मानते हैं कि हथकरघा तथा खादी दो ऐसे उद्योग हैं जो हमें बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कृषि तथा खादी हमारे राष्ट्र रूपी शरीर के दो फेफड़े हैं। आचार्य विनोबा भावे ने भी अपनी एक प्रार्थना सभा में कहा था कि यद्यपि देश में पर्याप्त खाद्य विद्यमान है, परन्तु लोगों की क्रय शक्ति बहुत क्षीण है इसलिये वे खरीद नहीं सकते। जब राजा जी ने गत सितम्बर में इस सम्बन्ध में अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था तो मैंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सब शाखाओं को एक परिपत्र भेजा था और उस वक्तव्य पर उन सब की राय मांगी थी। मद्रास, एर्नाकुलम, पश्चिमी बंगाल और पंजाब से मुझे उत्तर मिल गये हैं। उन सब ने तो राजा जी के वक्तव्य का समर्थन किया है। उन के सुझावों में ये ये बातें शामिल हैं: जुलाहों को सूत दिये जाने को प्राथमिकता दी जाये; बिजली से चलने वाले करघों को केवल वही सूत दिया जाये जो मिलों की आवश्यकता पूरी करके बचे, अतिरिक्त बिजली से चलने वाले करघों की स्थापना के लिये अनुज्ञप्तियां न दी जायें और सरकार तथा राज्यों में की कल्याण संस्थाओं द्वारा हथकरघा उत्पादों का प्रचार किया जाये।

इस समय हथकरघा उद्योग को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह सूत के संभरण के सम्बन्ध में है। जुलाहों को सूत पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। जब खादी तथा हथकरघा बोर्ड स्थापित हो जाये तो उसे इस बात का यत्न करना चाहिये कि जुलाहों को सूत पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे और उन्हें रंग आदि प्राप्त करने तथा कपड़ा बेचने में भी कठिनाई न हो।

कुछ वर्ष पूर्व, पूना में हुए एक मंत्रि-सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि जो क्षेत्र इस प्रयोजनार्थ छांटे जायें उनमें मिल के बने कपड़ों के आने पर सरकार द्वारा रोक लगा दी जाये। मुझे आशा है कि बोर्ड उन गांवों की सहायता करेगा जो भविष्य में ऐसी रोक लगाये जाने की मांग करें।

अन्त में मैं यह कहूंगी कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए खादी तथा हथकरघा ही दो उद्योग हैं जो बेकार लोगों को कम से कम आंशिक रूप से रोजगार तो दिला ही सकते हैं।

श्रीमती अम्मूस्वामीनाथन (डिन्डीगल): मैं समझती हूं कि एक ऐसे विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने की बहुत आवश्यकता थी। अतः मैं माननीय

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा उक्त विधेयक प्रस्तुत किये जाने पर अत्यन्त प्रसन्न हूं ।

आज इस देश में जितने भी बेकार लोग हैं उनमें जुलाहों की स्थिति सब से अधिक खराब है । कुछ मास पूर्व, सलेम तथा मदुरई के जुलाहे लगभग भूखे मरने लगे थे; इसके दो मुख्य कारण थे : एक तो यह कि उन्हें पर्याप्त सूत नहीं मिल रहा था और दूसरा यह कि जो कपड़ा उनके पास था वे उसे बेच नहीं सक रहे थे । उन्हें ये दो कठिनाइयां थीं । मैं विशेष रूप से खंड ४, भाग (ङ) तथा (च) का स्वागत करती हूं । इससे जुलाहों को खादी तथा अन्य हथकरघा उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी । भाग (छ) भी अच्छा है क्योंकि यह खादी तथा हथकरघे से बने अन्य कपड़ों के निर्माता ों में परस्पर सहयोग के विषय में है ।

एक और चीज यह है कि जहां तक कपड़े की खूबसूरती का प्रश्न है, मिलों का बना कपड़ा हथकरघे के बने कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकता । क्या मिल की बनी साड़ियां बंगलौर की बौर्डरदार साड़ियों या बनारस की ज़री की साड़ियों के समान आकर्षक हो सकती हैं ? इसके अलावा हाथ के बने कपड़े को पहन कर जो सुख मिलता है वह मिल के बने कपड़े को पहन कर नहीं मिलता ।

हथकरघा उद्योग स्त्रियों को उनके घरों में ी काम देता है । वे घर म बैठी सूत कात सकती हैं । प्रायः वे घरों में एक दो हथकरघे भी लगा लेती हैं और कपड़ा बुनती हैं । मिलों में बने कपड़े के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है । परन्तु मैं यह समझती हूं कि अब समय आ गया है जबकि सरकार को चाहिये कि वह इस उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहन दे । लगभग ६० प्रतिशत हथकरघा उत्पाद दक्षिण भारत में तैयार होते हैं; अतः हम दक्षिण भारतीयों को इस उद्योग में विशेष दिलचस्पी है क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि इन बेचारों की कठिनाइयां बढ़ें । मुझे आशा है कि सरकार इस बात का यत्न करेगी कि सस्ती किस्म का पर्याप्त कपड़ा प्राप्य हो सके ताकि कम आय वाले लोग हथकरघों से बना कपड़ा खरीद सकें और इस तरह इस उद्योग को भी प्रोत्साहन मिल सके । वैसे आज कल भी हथकरघे से बने कपड़ों का मूल्य उतना अधिक नहीं है जितना कि पहले था । मिल का बना कपड़ा ही कौन सा सस्ता है ? हां, एक समय था जब मिल का कपड़ा हथकरघे के कपड़े से सस्ता था, परन्तु आज मैं नहीं समझती कि वह सस्ता है ।

मैं चाहती हूं कि न केवल यह विधेयक ही पारित किया जाये बल्कि यहां प्रत्येक सदस्य को ऐसे विधेयक पूरःस्थापित किये जान पर बहुत प्रसन्न होना चाहिये । सरकार को भी चाहिये कि वह स्थिति के प्रति जागरूक रहे और मूल्यों को बढ़ने न दे । यदि इस विधान को उचित रूप से क्रियान्वित किया गया तो बहुत से बेकार लोगों को रोज़गार मिल जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करती हूं और ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री को बधाई देती हूं ।

श्री राघवय्या (ओंगोल) : भारत सरकार ने हथकरघा उद्योग पर आये संकट को

गम्भीरता को पूरी तरह समझे बिना ही यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। यदि ऐसा न किया गया होता तो मैं इस विधेयक का सबसे पहले समर्थन करता। यह तो ठीक है कि खादी खेती करने वाले लोगों की जीविका में योग देती है, परन्तु यह कहना कि इससे गांवों में बेरोजगारी कम हो जायेगी, ठीक नहीं है। यह सच है कि हथकरघा उद्योग को बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। परन्तु सरकार बड़ी देर में चेती। खैर, वह चेती तो—यही सन्तोषजनक बात है।

परन्तु यह विधान—जो सब बातों को समझ कर तैयार नहीं किया गया है—जुलाहों को फायदे की बजाय नुकसान ही पहुंचायेगा। इससे जुलाहों की मांगें किसी भी सीमा तक पूरी नहीं होंगी। यदि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों को ही लिया जाये तो यह मालूम होगा कि देश में ३० लाख हथकरघे हैं। एक हथकरघे पर औसतन पांच व्यक्ति आश्रित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देश में कोई डेढ़ करोड़ लोग हथकरघा उद्योग से जीविका अर्जित करते हैं। अब यह उपकर लगाने से जो ६ करोड़ रुपये की आय होगी यदि वह इन दो करोड़ व्यक्तियों में बांटी जाये तो प्रति व्यक्ति ३ रुपये हिस्से में आते हैं। तो इससे तो समस्या प्रस्थायी रूप से भी हल नहीं होगी।

सरकार पटसन उद्योग, चाय उद्योग आदि कितने ही उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। परन्तु वह हथकरघा उद्योग के प्रति किंचित मात्र सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं कर रही है। यदि सरकार को इस उद्योग के प्रति तनिक भी सहानुभूति है तो मैं निवेदन करूंगा कि वह बारह करोड़, या छै करोड़ ही, इस उद्योग के लिये अलग रख दे ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योव एक स्थित स्थान प्राप्त कर सके।

मैं कुछ और उदाहरण देकर या समझाने की चेष्टा करूंगा कि वास्तव में यह विधेयक हथकरघा उद्योग का कल्याण नहीं करेगा। कितनी ही बार कपड़े के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न उठाया गया है। इस विषय में मैं यह कहूंगा कि यह प्रतिबन्ध तो भारत सरकार और मिल-मालिकों के बीच हुए किसी गुप्त समझौते के परिणाम स्वरूप लगाया गया है। युद्ध समाप्त होने के बाद लोगों की क्रय-शक्ति कम हो गई और मिलों में कपड़े का स्टाक बहुत मात्रा में इकट्ठा हो गया। सरकार ने इसका ऐसा तरीका निकाला कि जिससे मिल-मालिक भी खुश हो जायं और जुलाहों तथा उनके समर्थकों को भी सन्तोष हो जाये। एक ओर तो उसने कपड़े के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा कर मिल-मालिकों को अपना सारा स्टाक निकाल देने का मौका दे दिया और दूसरी ओर जुलाहों को भी यह दर्शा दिया कि उक्त प्रतिबन्ध उसने उन्हीं के हितार्थ लगाया है। यही कारण है कि मेरे माननीय मित्र श्री सोमानी ने, जो मिल-मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रस्तुत विधान पर इतना जोरदार भाषण दिया है, क्योंकि इससे उनकी आकांक्षायें भी पूरी होती हैं।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): यदि मिल-मालिकों तथा सरकार के बीच बतलाया गया "गुप्त समझौता" भंग कर दिया जाये और वस्त्र-उद्योग को बिना किसी प्रतिबन्ध के उत्पादन करने दिया जाये तो उद्योग बहुत कृतज्ञ होगा।

श्री राघवय्या : मैं अपने माननीय मित्र के सुझाव का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ेगा और बढ़े हुए उत्पादन के फलस्वरूप कीमतों में कमी आयेगी। कीमतों में कमी आने पर लोग कपड़ा खरीद सकेंगे। इस से सभी का फायदा होगा।

कल श्री सोमानी ने यह भी कहा कि हथकरघा उद्योग और वस्त्र उद्योग एक दूसरे के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। यह बात भी ठीक नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

हम तो यह कहते हैं कि आज भी वस्त्र-उद्योग तथा हथकरघों को पूरा-पूरा उत्पादन करना चाहिये। इससे उपभोक्ताओं तथा मिल वालों दोनों का ही लाभ होगा।

यदि मंत्रालय के आंकड़ों को देखा जाये तो यह जान कर बड़ा अचम्भा होता है कि पिछले तीन मासों से जुलाहों को अधिक सूत दिया जा रहा है। सूत तो उन्हें अधिक दिया जा रहा है परन्तु जुलाहों के पास अनबिके कपड़े का स्टाक भी अधिकाधिक मात्रा में जमा होता जा रहा है। अब पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के देशों में हमारे हथकरघों के कपड़े की बिक्री नहीं रही है। सरकार ने भी इन कपड़ों के लिये मंडियां ढूंढने के लिये कोई विशेष उपाय नहीं किये हैं। बाहर का तो कहना ही क्या, देश के अन्दर भी कपड़े की बिक्री बढ़ाने के लिये कोई पग नहीं उठाये गये हैं। सरकार उस दिशा में पूर्णतः असफल रही है। जुलाहों को दिये जाने वाले सूत की मात्रा में अधिकाधिक वृद्धि होना तथा इसके साथ-साथ कपड़े का अनबिका स्टाक जमा होना इस बात का सूचक है कि सरकार की हथकरघा उद्योग के प्रति सहानुभूति झूठी सहानुभूति है। सरकार तो इस उद्योग का गला ही घोंट देना चाहती है ताकि यह सदैव के लिये समाप्त हो जाये। भूख से मरने वालों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि इस उद्योग के प्रति कितनी उपेक्षा बरती जा रही है। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह उल्लिखित किया गया है कि हथकरघा उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में स्थायी स्थान है।

श्री राघवय्या : मेरा निवेदन है कि हमारा दल इस विधेयक का समर्थन करने में किसी से पीछे नहीं है। किन्तु दो करोड़ लोग जो इस उद्योग पर निर्भर हैं, ६ करोड़ रुपये की छोटी सी राशि से, जो कि हमें मिल के कपड़े पर लगाये गये उपकर से प्राप्त होगा, संतुष्ट नहीं हो जायेंगे। यह उपकर भी उपभोक्ताओं के लिए न्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि यह मध्यम श्रेणी के कपड़े और उन किस्मों के कपड़े पर लगाया गया है जिसका उपयोग भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या—मध्यम श्रेणी, निम्न मध्यम श्रेणी और गरीब श्रेणी—करती है। मेरे विचार में यह उपकर केवल फाइन और सुपरफाइन कपड़े पर लगाना चाहिए और इस की दर को भी बढ़ा देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एल बेकारी निधि भी अलग रखनी चाहिए, जिस से बेकार बुनकरों की सहायता की जा सके।

मेरा अगला सुझाव यह है कि स्वयं सरकार को ही हथकरघा और खादी के कपड़े का मुख्त खरीदार बनना चाहिए। खादी में खाकी कपड़ा सब से बढ़िया मिलता है। सरकार अपनी रक्षा सेवाओं के लिए यह कपड़ा क्यों नहीं खरीदती? अपने

चपरासियों और अन्य कर्मचारियों के लिए खादी क्यों नहीं खरीदती ?

मेरा चौथा सुझाव यह है कि सूत सस्ती दरों पर संभरण किया जाये और पांचवां यह है कि हमें इस विधेयक के उद्देश्यों को अधिक विशाल बनाना चाहिए ताकि हथकरघा बुनकरों को अन्य प्रकार की सहायता भी दी जा सके और इस विधेयक में अन्य खंड भी सम्मिलित किय जा सकें।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : सब से पहले मैं खादी के प्रश्न को लेता हूं। इस देश में खादी एक लाभदायक विषय बन सकती है, मुझे इस में संदेह है, क्योंकि सरकार के रवैये से यह स्पष्ट है कि उसे गांधी जी की खादी अर्थ-व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं और खादी को मिल के कपड़े का स्थान देना उस का उद्देश्य नहीं है।

हमें इस विधेयक के उपबंधों की जांच योजना आयोग की रिपोर्ट के प्रकाश में करनी चाहिए। योजना आयोग ने खादी के बारे में क्या कहा है ? उस ने देश में उपभोग के प्रयोजन के लिए खादी के उत्पादन के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया। माननीय मंत्री यह स्पष्ट नहीं कर सके कि खादी संस्थाएं इस एक करोड़ रुपये का कैसे उपयोग करेंगी। यदि सहायता प्राप्त खादी को देश के बहुत कम लोग खरीदें और अधिकांश लोग इसे इस कारण न खरीद सकें कि यह उन की क्रय शक्ति के बाहर है, तो इस एक करोड़ रुपये से जो आज आप खर्च कर रहे हैं, आप को कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में यह स्पष्ट करें कि जहां तक उपभोक्ताओं के लिए कपड़े के उत्पादन का सम्बन्ध है, भारत की भविष्य की अर्थ व्यवस्था में खादी का ठीक ठीक क्या स्थान है। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के द्वारा खादी लाभदायक आधार पर आधारित हो जायेगी।

अब मैं हथकरघा के प्रश्न को लेता हूं। इस उद्योग में लाखों लोग हैं और यह कहना ठीक होगा कि ४५ प्रतिशत से अधिक हथकरघा बुनकर दक्षिण भारत में हैं और ३० लाख हथकरघों में से अधिकांश दक्षिण भारत में हैं। और इन की दशा हाल में नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से अत्यन्त असंतोषजनक रही है। बरीसाल, टंगेल और ढाका से हज़ारों बुनकर पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों में आ बसे हैं, किन्तु कुछ आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण वे अपना माल तैयार नहीं कर सकते, जो कि विदेशी मंडियों में बिक सकता है।

१९५२ में अप्रैल से अक्तूबर तक २९० लाख गज़ खड्डी का कपड़ा विभिन्न विदेशों को भेजा गया था। इस में से २६० लाख गज़ केवल दक्षिण भारत से निर्यात किया गया। अब भी अधिकतर कपड़ा दक्षिण भारत से निर्यात किया जाता है। अतः दक्षिण भारत के बुनकरों की समस्या की ओर भारत सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

खड्डी के सम्बन्ध में, मैं सदन को कुछ आंकड़े नोट करने के लिये कहूंगा। खड्डी के उत्पादन का वर्तमान सामर्थ्य ३०,००० लाख गज़ है, किन्तु वर्तमान उत्पादन या १९५० का उत्पादन केवल ८,१०० लाख गज़ था। अब कुछ बढ़ गया है। किन्तु १९५५/५६ के लिये उत्पादन का अधिकतम अनुमान १७,००० लाख गज़ है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री अनुभव करते होंगे कि यह कितना कम है।

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

इस देश में खड्डी के कपड़े का उत्पादन बढ़ान के लिए कोई योजना नहीं है और उत्पादन को अधिकतम सामर्थ्य तक ले जाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है । १९५५/५६ में यदि भारत ने अपने निश्चित सामर्थ्य में से जो कि ३०,००० लाख गज़ है, केवल १७,००० लाख गज़ कपड़ा तैयार कर लिया, तो क्या उस की संतुष्टि हो जायेगी । माननीय मंत्री को इस का स्पष्टीकरण करना चाहिए । किन्तु प्रश्न यह है कि यदि आप १९५५/५६ में १७,००० लाख गज़ का लक्ष्य प्राप्त करना भी चाहते हैं, तो कसे करेंगे ? मैं समझता हूं कि हमारे सामने तीन कठिनाइयां हैं। पहली यह है कि बुनकरों को सूत किस मूल्य पर दिया जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार साहाय्य देगी ? दूसरी यह है कि क्या बुनकरों के लिये अन्य प्रकार का कपड़ा तैयार करना सम्भव है, जिस की देशी या विदेशी मंडियों में खपत हो सके ? यदि यह निर्णय किया जाता है तो इन लाखों लोगों को ऐसा करने के समर्थ बनाने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ? तीसरी और सब से महत्वपूर्ण कठिनाई माल को बिकवाने के बारे में है । सहकारी संस्थाओं के होते हुए भी ये गरीब बुनकर दलालों और साहूकारों के रहम पर होते हैं। यदि वे कोई अच्छी चीज़ तैयार करते हैं तो वे इस लाभ पर बेच नहीं सकते । उन्हें घाटे पर बेचना पड़ता है जिसके फल-स्वरूप उन्हें थोड़े ही समय में अपना काम बन्द करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि एक विपणन संस्था स्थापित की जाये, जो इन लोगों का माल खरीद कर, इसे साहाय्यप्राप्त या लाभदायक मूल्यों पर बेच सके।

अब हम मिल उद्योग के भविष्य के मामले पर विचार करते हैं। सरकार की नीति यह है कि कपड़ा मिलों के बिना काम नहीं चल सकता और भारत में ये मिलें कायम रहनी चाहिऐं । यह नीति ठीक है, क्योंकि इस के सिवा और कोई नीति हो ही नहीं सकती । अतः इस से अधिक, गम्भीर गलती नहीं हो सकती कि उन्हें एकाएक बन्द कर दिया जाये, ताकि अन्य दिशाओं में विशेषतया खड्डी उद्योग में प्रगति की जा सके । अतः कोई एसी योजना अपनाना जिस से कि मिलों के उत्पादन को अस्वाभाविक तरीके से घटाया जाये बहुत हानिकारक होगा । यदि मिलों को बन्द रखा गया, तो बहुत बेकारी फैल जायेगी और कपड़े के मूल्यों में भी वृद्धि हो जायेगी । अतः एक ओर तो हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिस के अनुसार कपड़ा मिलें अधिक से अधिक कपड़ा तैयार करें और दूसरी ओर हथकरघा बुनकरों को भी अधिकतम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाये और दोनों का तैयार किया हुआ माल देश के अन्दर तथा बाहर बिकवाया जाये । मैं कई एक ऐसे मामले जानता हूं जिन में कुछ मिलों को, जो कि सरकार की नीति के अनुसार स्थापित की गई थीं कहा गया है कि वे अपन अधिकतम सामर्थ्य के अनुसार उत्पादन न करें, क्योंकि सरकार के निर्णय यह हैं कि उन्हें अपना २५ प्रतिशत सूत खड्डियों के लिए सुरक्षित रखना होगा । उनका यह सूत न तो बिक सकता है और न ही वे इस का कपड़ा तैयार कर सकती हैं । इस से हथकरघा बुनकरों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचता । अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मिलों के

उत्पादन को घटाने की गलती न करे। यदि कपड़ा मिलों का उत्पादन कम हो, या कुछ भी न हो, तो आप को उत्पाद-शुल्क कहां से मिलेगा ? इस के साथ ही में इस बात पर माननीय मंत्री से सहमत हूं कि जब तक कुछ किस्म के कपड़ों का उत्पादन खड्डी उद्योग के लिए सुरक्षित नहीं होगा, आप इस उद्योग को वह प्रारम्भिक प्रोत्साहन, जो इसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है, नहीं दे सकेंगे।

अब मैं सरकारी खरीद के प्रश्न को लेता हूं। सन् १९५० में यह तय किया गया था कि सरकार जितना कपड़ा खरीदेगी उस का एक तिहाई खादी और हथकरघे का कपड़ा लेगी। उस समय विशेषरूप से प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस का विरोध किया था। अब श्री महावीर त्यागी वर्दी के लिए घटिया कपड़ा लेना स्वीकार करते हैं। यदि सरकार इस के विषय में निश्चय नहीं करेगी तो कुछ न हो सकेगा। सरकार ने गत वर्ष ९ करोड़ रुपये का कपड़ा खरीदा था। यदि यह सामान्य नियम बना दिया जाये कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए हथकरघे का कपड़ा और खादी खरीदें तो सारी समस्या मिट जाएगी। यदि उन लोगों को थोड़ी प्रशिक्षा दी जाय तो वे उत्तम कपड़ा बना सकेंगे।

उपकर द्वारा प्राप्त राशि केन्द्रीय नीति के अनुसार ही खर्च की जाए। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सब विभाग इस नीति का पूर्ण अनुसरण करें। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए सूत की कीमत कम करनी पड़ेगी तथा उत्तम विपणन संगठन बनाना पड़ेगा। देश में १०० करोड़ रुपये का हथकरघे के कपड़े का उत्पादन होता है अतएव सूत के लिये १० करोड़ रुपए सहायता के रूप में देने पड़ेंगे। इस सहायता से इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। तथा बहुत से गरीब लोगों का पेटपालन हो सकेगा। उपकर द्वारा प्राप्त आय को व्यर्थ में नष्ट नहीं कर देना चाहिए। सरकार, न मालूम क्या करना चाहती है। खादी को उसने अस्वीकार कर दिया है। स्पष्ट रूप से उसे यह कह देना चाहिए कि गांधी जी के अर्थशास्त्र में उसे विश्वास नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था की जो रूपरेखा आपने बनाई है उसमें खादी के लिए कोई स्थान नहीं है। हथकरघे का उद्योग चल सकता है यदि हम निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करें। हम वस्तुओं की कीमतें अधिक नहीं बढ़ा सकते। उससे जीवन स्तर बढ़ जाएगा। मूल्यों को कम बनाए रखना आवश्यक है। परिव्यय लेखापालों द्वारा आप मिलों के उत्पादन की जांच करवाइए। यदि कुछ त्रुटियों के कारण उन्हें आवश्यकता से अधिक लाभ मिलता हो तो वह राशि लेली जा सकती है तथा उसका उपयोग हथकरघे उद्योग के लिए किया जा सकता है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मिलों से अधिकतम उत्पादन हो सके जिससे कि देश की मांग पूरी हो और विदेशों में हमारा कपड़ा बिकता रहे। हथकरघे उद्योग को सबल बनाना भी हमारा कर्तव्य है।

इसके पश्चात् बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा होना शेष है। सदस्य इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि बजे के बाद संवरण किया जाए। अं में यह तय हुआ कि पहले विनियो

[डा० स० पी० मुकर्जी]

विधेयक लिया जाए तथा उसके पश्चात् विवाद जारी रखा जाए । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई सदस्य १५ मिनिट से अधिक न बोले ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर]

सभापति महोदय : सेठ गोविन्द दास ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं और इस स्वागत करते हुए बहुत थोड़ी सी बातें आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं । मैं ने अभी अपने साम्यवादी सदस्यों में से दो के भाषण सुने और दोनों ने एक प्रकार से इस विधेयक का विरोध किया है । श्री नायर साहब ने कहा कि यह विधेयक यथार्थ में इस देश के लिए इसलिए हितकर नहीं है कि इस से हमारे यहां के खरीदारों के हितों को धक्का पहुंचता और गरीबों को कोई लाभ नहीं होता । यह कहते हुए उन्होंने आप के सामने कुछ अंक उपस्थित किये जो खादी से सम्बन्ध रखते हैं । उन्हों ने अपने भाषण में यह कहा कि खादी पर जो कुछ खर्च होता है उस में से आठ आने कपास पर जाते हैं, चार आने कातने वाले और बुनने वाले को मिलते हैं और चार आने व्यवस्था पर खर्च होते हैं । मुझे आश्चर्य हुआ उन के इन अंकों को सुन कर क्योंकि हम लोग जो गये ३३ वर्षों से खादी का काम करते आये हैं वे इन अंकों का कुछ ज्ञान रखते हैं । परन्तु इतने पर भी मैं ने इन अंकों के सम्बन्ध में दिल्ली के खादी भंडार से कुछ जानकारी प्राप्त की और वह जानकारी इस प्रकार है । कपास के ऊपर श्री नायर साहब के कहने अनुसार आठ आने खर्च नहीं होते हैं । कपास के ऊपर केवल तीन आने ६ पाई खर्च होते हैं । जिनिंग के ऊपर ६ पाई, पूनिया बनाने पर यानी कार्डिंग पर ९ पाई, कताई के ऊपर पांच आना तीन पाई, बुनाई के ऊपर दो आना तीन पाई, धुलाई अर्थात् ब्लीचिंग के ऊपर ५ पाई और इस्तरी कराई अर्थात् प्रेसिंग के ऊपर ३ पाई और व्यवस्था पर केवल तीन आने । इन आंकड़ों से मालूम होता है कि तीन आने जो व्यवस्था के ऊपर खर्च होते हैं उन को छोड़ कर सब का सब धन खादी के ऊपर जो व्यय किया जाता है वह यहां के ऊपर को जाता है ।

इसके बाद हमारे दूसरे साम्यवादी सज्जन जिन्होंने अपने को हाथ के करघे चलाने वालों का बड़ा भारी हितैषी बताया उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह डाली उन्होंने कह डाला कि यह विधेयक तो मिल चलाने वालों और सरकार का एक मिला हुआ षड्यंत्र है, कांसपिरेसी है । उनके दूसरे मित्र ने जो बातें कहीं वे उन्होंने नहीं कहीं । उन्होंने खरीदारों के सम्बन्ध में बहुत कम कहा । उन्होंने एक दूसरी ही चीज़ ली और वह यह ली कि यह विधेयक तो यथार्थ में हाथ का करघा चलाने वालों को कोई सहायता ही नहीं पहुंचाता ।

मैं ने जैसा पहले भी कई बार निवेदन किया है कि हमारे साम्यवादी भाइयों को तो हम या हमारी सरकार कोई भी बात क्यों न कहे, वह उचित नहीं जान पड़ती, उन को वह देश के लिये लाभप्रद नहीं जान पड़ती । इसका कारण है । उन की दृष्टि यथार्थ में इस दे में रहती ही नहीं, वे सदा रूस और चीन की ओर देखा करते हैं । रूस और चीन की ओर देखते हुए उन के देश की क्या परिस्थिति है, उन के देश में किन बातों से यहां

की ग़रीब जनता को लाभ पहुंच सकता है, इन सब बातों को वे नहीं सोचते। वे चाहते हैं कि हम इस देश में शासन की व्यवस्था और समाज की व्यवस्था रूस और चीन के सदृश्य कर दें। जब तक हम यह करने को तैयार न हों, तब तक उन्हें सरकार के या हमारे किसी कार्य में कोई लाभ दृष्टिगोचर नहीं होता। जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है, मैं आप से कहना चाहता हूं कि यदि उन की भी कुछ उचित बातें हों, तो हम उन्हें स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। कम से कम मुझे श्रीयुत नायर साहब के पश्चात् जो साम्यवादी सदस्य बोले और श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जो निवेदन किया, उस में एक बात में बहुत बड़ा तथ्य दिखाई देता है और वह यह कि यदि हम इस विधेयक को ही अपना अन्तिम ध्येय मान लें, तो हमारे देश का यद्यपि लाभ होगा पर उतना लाभ नहीं होगा कि जितना होना चाहिये। उत्पादन करने वालों को सच्ची सहायता तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि, जैसा श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने सुझाया और जैसा हमारे दूसरे साम्यवादी सज्जन ने सुझाया कि जो कुछ उत्पादन होता है उसकी खरीद की भी व्यवस्था हो। हम ने अनेक बार देखा है, खादी भंडारों में और जो लोग हाथ के क़रघे चलाते हैं उन के यहां भी जोकि कुछ उत्पादन होता है, वह पड़ा रहता है। उसके खरीदार नहीं होते। इसलिये मुझे एक बात समझ में नहीं आई और अब तक नहीं आ रही है कि कांग्रेस की जो सरकार है, अपनी हर एक आवश्यकता, जो भी कपड़े के सम्बन्ध में हो, उसके लिए वह खादी क्यों नहीं खरीदती? इस विषय में श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जो कुछ कहा है उस से मैं सर्वथा सहमत हूं कि सरकार, केन्द्रीय सरकार और हमारे प्रदेशों की सरकार, सब को अपनी आवश्यकता का जितना भी कपड़ा है उस के लिये खादी ही खरीदनी चाहिये। यदि उस ने यह सब कपड़ा खादी का खरीदा तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक से जो लाभ होना चाहिये वह होगा, अन्यथा लाभ तो होगा पर वह लाभ पूरी मात्रा में नहीं हो सकता।

फिर एक बात यहां पर और सुझाई गयी और उस बात में भी मुझे बहुत तथ्य दिखाई देता है कि हमारे जितने भी मिल इस देश में जहां भी स्थापित हों, उनके लिए एक योजना बनानी चाहिये कि मिल किस प्रकार का कपड़ा बनावे और हमारे हाथ के करघे किस प्रकार का कपड़ा। जैसे तौलिया, टेबुल क्लाथ, परदे का कपड़ा, कई प्रकार की साड़ियां मिलों में नहीं बनना चाहिये, ये सब चीजें हाथ के क़रघों से बननी चाहियें और मिलों को मुमानियत हो जानी चाहिये सब चीजों की उत्पत्ति करने की, वरना मिलों में और हाथ के करघों में जो एक प्रकार की स्पर्द्धा है वह बनी रहेगी, खरीदारों को जिस मूल्य पर यह कपड़ा मिलना चाहिये उस पर नहीं मिलेगा और हाथ के करघे के उद्योग को पूरी मदद नहीं मिलेगी। इसलिये जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इसमें भी मैं श्री श्यामा-प्रसाद मुकर्जी से सहमत हूं और मैं यह समझता हूं कि यदि इस बात का प्रयत्न किया जाय और पूरी जांच करके इस बात की एक योजना बनाई जाय कि किस किस प्रकार का कपड़ा मिलों को बनाना चाहिये और किस किस प्रकार का कपड़ा हाथ के करघे वालों को बनाना चाहिये तो एक सुन्दर योजना बन सकती है जिससे मिलों को भी हानि नहीं पहुंचेगी

[सेठ गोविन्द दास]

और हाथ के करघे के उद्योग को भी लाभ पहुंचेगा ।

आज कल देश में एक कार्य और चल रहा है और वह सच्चा गांधीवादी कार्य है । वह कार्य है स्वावलम्बन का। कई जगह कपड़ा बनाया जाता है, कताई होती है, बुनाई होती है, स्वयं धारण करने के लिये । मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी जांच की जाय और जो संस्थायें इस प्रकार का कार्य करती हैं या जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं, उन को बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाने चाहियें । वे पुरस्कार कई रूपों में दिये जा सकते हैं ।

इस सारे कार्य के लिये देश में एक स्वदेशी की भावना को उत्पन्न करना नितान्त आवश्यक है । मुझे वह समय याद है कि जब सन् १९२० में पहले पहल कांग्रेस ने महात्मा गांधी के असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार किया था और जिस में विलायती कपड़े की होलियां जलीं थीं । सब से पहले होली बम्बई में जलाई गई थी और उस एक होली के परिणामस्वरूप जितना खादी का प्रचार हुआ था उस के सामने जो दूसरे छोटे मोटे प्रयत्न थे वे नगण्य हो गये थे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर]

इस स्वदेशी की भावना का मैं ने सब से अधिक अभी अपने वैदेशिक भ्रमण में जापान में देखा । जापान में स्वदेशी की इतनी अधिक भावना है कि जिसको आप यहां कल्पना नहीं कर सकते । वहां छोटी से बड़ी चीज़, सब की सब देश में उत्पन्न हुई काम में आती हैं । बड़ी से बड़ी मैशीनरी को आप देखें चाहे छोटे से छोटे सामान को आप देखें, सब का सब जापान का बनाया हुआ है । स्वराज्य प्राप्त करने के पहले सन् १९०५ में जब बंग-भंग का आन्दोलन हुआ, उस समय मैं तो बहुत छोटा था, सब से पहले और उसके पश्चात् सन् १९२० में जब पहले पहल हमने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया तब स्वदेशी की जिस भावना को हमने जागृत किया था वह भावना स्वराज्य मिलने के पश्चात् नष्टप्रभ हो गयी है ।

५ म० प०

जब तक हम स्वदेशी की भावना को इस देश में फिर से नहीं लायेंगे और सरकार भी इस प्रयत्न में जब तक हमारा साथ नहीं देगी, तब तक हमारे इन उद्योग धंधों की बढ़ती नहीं हो सकती इसलिए मैं आपसे अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों के ऊपर ध्यान करके यह विधेयक तो बहुत सुन्दर है ही, परन्तु इस विधेयक को केवल एक आरम्भिक कदम मान इस विधेयक के पश्चात् हमको इस दिशा की एक निश्चित योजना बनानी चाहिये...

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा बन्द कर हम अब विनियोग विधेयक लेंगे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् यह विधेयक १५ अप्रैल को व्ययगत हो जायगा ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : हम इसे कल ले सकते हैं । आज विनियोग विधेयक ले लें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि यह कल न लिया गया तो...

श्री सत्यनारायण सिन्हा : हम अवश्य लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब हम विनियोग विधेयक लेंगे । माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन पूरा करें ।

सेठ गोविन्द दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक मिनट में अपना भाषण समाप्त किये देता हूं । अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम को पूरी योजना बना कर इस काम को करना चाहिये यह विधेयक तो केवल हमारे कार्य को आरम्भ कर रहा है, यह मान कर चलना है, लेकिन अगर हम यह मान लेंगे कि यह विधेयक पास हो जाने से ही सब काम समाप्त हो जाता है तो हमारा काम होने वाला नहीं है । इतने पर भी मैं विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव* करता हूं कि :

> "वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का शोधन और विनियोग करने को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से उक्त विधेयक प्रस्तुत किया तथा कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर होने वाले विवाद के क्षत्र के बारे में मुझे कुछ कहना है। गत वर्ष यह तय हुआ था कि सदन के विभिन्न दल ऐसी महत्वपूर्ण बातें मेरे पास भेजें जिन पर आयव्ययक के वाद-विवाद में चर्चा न हुई हो ताकि सरकार उन का उत्तर दे सके। मेरे पास बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें लिख कर भेजी हैं। मैं नहीं चाहता था कि इतनी अधिक संख्या में ये बातें उठाई जाएं। इन में से बहुत सी बातें तृतीय वाचन में उठाई जा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मंत्री बोलेंगे तथा वे कितना समय लेंगे । जिन बातों को परिचालित कर दिया गया है, केवल वे ही ले ली जाएंगी।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : यह बात तय हुई थी कि आज साढ़े ग्यारह बजे तक ये बातें प्रस्तुत की जाएंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सच है । परन्तु मैं ने सोचा था कि विभिन्न दल के लोग केवल एक विषय के बारे में बातें उठाएंगे। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक दल केवल एक विषय पर बोले । साम्यवादी कामनवेल्थ सम्बन्धी कार्यालय के विषय में बातें करेंगे। प्रजा सोशलिस्ट दल किस विषय पर बोलेगा ?

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडि) : हम कोल कमिश्नर संगठन के संबंध में मांग ८३ पर चर्चा करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी किस विषय पर चर्चा करेगी ?

श्री आर० एन० एस० देव : (काला-हांडी–बोलनगिर) : हम आयरन तथा स्टील फैक्टरी के विषय में बोलेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस विषय पर कटौती प्रस्ताव रखा जा चुका है और वह अस्वीकृत हो गया है तो उस पर फिर से चर्चा न की जाएगी ।

श्री आर० एन० एस० देव : वह प्रस्ताव गलत मांग पर किया गया था । उत्पादन मंत्रालय पर बिलकुल चर्चा नहीं हुई ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तावित ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था । यह प्रश्न नहीं उठता कि उसका संबंध किस मंत्रालय से था । उस पर फिर से बात न हो सकेगी ।

श्री आर० एन० एस० देव : इस पर चर्चा नहीं हुई है । हम ने मांग १३३ के लिए कटौती प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

डा०कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्): वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से संबंधित कटौती प्रस्ताव का संबंध शायद वैयक्तिक उपक्रम से रहा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुका है । उस पर फिर से चर्चा न होगी । मेरी समझ में आप उत्पादन मंत्रालय के अधीन विभिन्न कारखानों के प्रबंध पर चर्चा करना चाहते हैं ।

असंबद्ध सदस्य किस पर बोलेंगे ?

डा० लंका सुन्दरम् : मैं अम्बर नाथ की मशीन टूल फैक्टरी के बारे में चर्चा करूंगा ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : भारत में अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा के विषय पर मैं बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवसर के लिए यह बहुत विस्तृत विषय है । मैं उक्त चार विषयों को छोड़ अन्य बातों पर चर्चा न होने दूंगा । आप के प्रश्न पर बात न होगी । क्योंकि विनियोग विधेयक के अवसर पर सामान्य महत्व की विशिष्ट बातों पर ही चर्चा की जा सकती है । समय भी पर्याप्त नहीं है । मैं केवल चार विषयों पर चर्चा होने दूंगा । अन्य लोग वित्त विधेयक के समय प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : श्रीमान कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं के विषय में आप ने क्या तय किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों को यह अवसर दिया जायगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): में प्रस्ताव करता हूं ।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) श्रीमान् औचित्य प्रश्न है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे भी लूंगा ।

माननीय मंत्री कब उत्तर देना चाहेंगे ? प्रत्येक सदस्य १५ मिनिट बोलेगा । कितने मंत्री बोलेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : हम सब को आप आधा घंटा दे दीजिए ।

पंडित अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम): हर सब्जेक्ट पर अपोजीशन के लोगों को ही बोलने का अख्त्यार है या हम लोगों को भी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, सब लोगों को अख्त्यार है ।

श्री आर० डी० मिश्र : मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर यह है कि जितने हम मैजारिटी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं उन को बोलने का, अपने ग्रीवान्सेज को बताने का अपनी कांस्टिटुएन्सी को रिप्रेजेन्ट करने का क्या कोई अख्त्यार नहीं है, जब कि अपोजीशन के मेम्बरों को पूरा अख्त्यार दिया जाता है कि वह कितना प्रोपेगेन्डा चाहें करें और कितना देश का सत्यानाश करना चाहें करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन चार सदस्यों के अतिरिक्त औरों को भी बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं तो अपने राइट के मुताल्लिक बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल चार विषयों पर चर्चा होगी।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : हम चुनाव के नियमों पर बोलना चाहेंगे। इस की सूचना दी जा चुकी है।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मुझे इसकी सूचना साढ़े तीन बजे मिली थी फिर भी कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : "विभिन्न उद्योगों का प्रबन्ध" इस विषय के स्थान पर "चुनाव नियमों" पर चर्चा की जाएगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं अपने भाषण को केवल मात्र 'राष्ट्रमंडलीय सम्पर्क कार्यालय' के लिए बिना इस सदन को राष्ट्रमंडल की गति विधियों के सम्पर्क लाये, संयुक्त राष्ट्र की सरकार को दिय जाने के हेतु बजट में किये गये १०,२०,००० रुपये के प्रावधान के प्रश्न तक ही सीमित रखूंगा। बजट में हमारे लंदन स्थित प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय के लिए पहले ही २.०८ लाख रुपये का प्रावधान किया हुआ है। इस में दस लाख और मिला कर अतिरिक्त धन-राशि राष्ट्रमंडलीय कार्यालय के खर्च के लिए संयुक्त राष्ट्र सरकार को दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं इस कार्यालय के काम के लिए यह धनराशि ब्रिटिश सरकार को क्यों दी जा रही है।

स्वभावत: प्रश्न हमारे और राष्ट्रमंडल के परस्पर सम्बन्ध का उठता है। यह प्रश्न इस सदन में बार बार उठाया गया है और यह हमारी राजनीति का एक गलत अंग बन गया है। मेरे समक्ष प्रश्न यह है कि क्या हम ने ब्रिटश साम्राज्य के प्रति केवलमात्र द्वेष भावना से ही विरोध प्रकट किया था अथवा ब्रिटश राष्ट्रमडल के विरुद्ध हमें कुछ अनुयोग भी थे। हमें देखना यह है कि राष्ट्रमडल से जो हमारे सम्बन्ध रहे चले आ रहे हैं वह हमारी देशभक्ति की भावना से संगत भी हैं या नहीं। एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाये कि हम केवलमात्र एक व्यापारिक दृष्टिकोण से ही राष्ट्रमंडल का एक अग बने हुए हैं तो भी प्रश्न यह है कि क्या हमारा यह नाता हमारे आत्म सम्मान के आड़े नहीं आता है। कभी कभी राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन होते हैं। गत नवम्बर मास में एक सम्मेलन हुआ था और हमारे वित्त मंत्री ने उस में भाग लिया था। प्रधान मंत्री ने इस के सम्बन्ध में एक वक्तब्य १९ नवम्बर, १९५२ को दिया था और कांग्रेस दल के वयोवृद्ध नेता श्री बी० दास ने यह इच्छा प्रकट की थी कि इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिये कि हमें राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में भाग लेना चाहिये अथवा नहीं। यह प्रति-क्रिया हुई भी उन पर। इस सम्मेलन के लाभों के सम्बन्ध में ऊट पटांग बातें कहीं गईं और वित्त मंत्री के लौटने पर एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया था। उस सम्मेलन में क्या हुआ यह तो हम समझ ही नहीं सके। मैंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की शरण ली और उन में निकले लेखों को पढ़ कर यह परिणाम निकाला कि उक्त सम्मेलन में ऊट पटांग बातों पर चर्चा होती रही थी।

हम जानते हैं कि कुछ बहुत निश्चित वास्तविक तथ्यों पर जो हमारे राष्ट्रमडल का सदस्य बनने के कारण हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, वहां चर्चा हुई थी। और मुख्य बात भी ब्रिटिश साम्राज्यशाही का हमारे आर्थिक जीवन

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

पर प्रभुत्व । यह हमें ज्ञात है कि हमारे कुछ उद्योगों को ब्रिटश पूंजी नियंत्रित करती है । वह अत्यधिक लाभ उठाते हैं और उसे बाहर भेज देते हैं। इस के अतिरिक्त ब्रिटश स्वामित्व वाले बैंकों, बीमा कम्पनियों, नौपरिवहन कम्पनियों इत्यादि द्वारा अर्जित लाभ हमारी अर्थ व्यवस्था पर निर्णयात्मक प्रभाव रखती है। हमारे व्यापार में ब्रटेन की बात अन्तिम बात होती है । कुछ विनिमय बैंक ऐसे भी हैं जो हम को अपने माल की निकासी के लिए न केवल संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन अपितु संयुक्त राज्य अमरीका पर निर्भर कर देते हैं । और हम को बाध्य हो कर युद्ध के कारण नष्टभ्रष्ट हुई संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका की नीति से गठबन्धन करना पड़ता है । हमें अपने माल के लिए राष्ट्रमंडल और डालर क्षेत्र के देशों का मुँह ताकना पड़ता है परन्तु हम संसार के सभी देशों से व्यापार बढ़ाने के पक्ष में हैं परन्तु इस बन्धन के कारण हम राष्ट्रमंडल के अतिरिक्त अन्य देशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

यह बात में पूर्ण निश्चय के साथ कह रहा हूं । २३ मार्च को रायटर का यह समाचार था कि संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन की सरकार के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध विभाग का अवर सचिव भारत, पाकिस्तान, लंका तथा अन्य सरकारों से चीनी बन्दरगाहों से व्यापार करने पर लगाये गये प्रतिबन्धों को और दृढ़ करने के अपने निर्णय के सम्बन्ध में परामर्श कर रहा था । साथ ही यह भी समाचार था कि राष्ट्रमंडल द्वारा दबाव डाले जाने पर लंका ने कोलम्बो होकर रबड़ जैसी आवश्यक वस्तुओं का चीन को भेजा जाना रोक दिया था। यह हम को ज्ञात है कि लंका और चीन ने रबड़ और चावल के परस्पर विनिमय के सम्बन्ध में एक व्यापारिक करार किया हुआ ह । यह प्रयत्न उसी करार को समाप्त कर देने के लिए है और लंका पर यह निर्णय थोपा गया है कि वह चीन को कोलम्बो होकर जाने वाले रबड़ तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के भेजे जाने को रोक दे । इस के सम्बन्ध में लंका सरकार के वैदेशिक कार्य सचिव ने, जिस ने चीन से यह करार किया था, यह कहा था कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर यह एक प्रकार की ठगी थी । राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध ऐसे दलदलों में फंसा देते हैं ।

हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं ही क्यों ? हमें क्या लाभ हो रहा है ?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

संसार में कुछ अविकसित क्षेत्र हैं, भारत उनमें से एक है, और इन देशों में अत्यधिक ग़रीबी फैली हुई है । ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री भी भारत की गरीबी को देखकर सिहर उठे थे । इसी प्रकार अन्य अविकसित क्षेत्र भी अत्यधिक ग़रीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं ।

हमें राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते जो लाभ होने चाहिए थे वह भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं । उधर केनिया में बर्बरता का नंगा नाच हो रहा है । हम उस के सम्बन्ध में कुछ करने में असमर्थ हैं । हम राष्ट्रमंडल में इस प्रश्न को उठा तक नही सकते हैं । इस

समय दिल्ली में केनिया स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेता आया हुआ है और हम से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। परन्तु हमारे राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के सम्बन्ध में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लंका में भी हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है और हम भी हैं परन्तु तो भी अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए हमें राष्ट्रमंडल से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। इस के विपरीत ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान के प्रश्न को बढ़ावा दे कर दोनों देशों के बीच वैमनस्य को बढ़ा रहे है। वह पाकिस्तान को 'मीडो' में शामिल हो जान के लिए लालच दे रहे हैं। इसी प्रकार से एन्जस और नाटो हैं और यह जानते हुए भी कि यह हमारे लिए घातक हैं हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं। हर प्रकार के अवांछनीय व्यक्ति न जाने किन किन उद्देश्यों से हमारे देश में आते हैं और हमको जाल में फांसने की कोशिश करते हैं।

राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध के विषय में इस सदन का कोई सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है। वहां क्या हो रहा है यह भी हम को मालूम नहीं है। अतः हमें यह जानने का अधिकार है कि राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध किस प्रकार बनाये रखे जा रहे हैं। सदन की स्थायी समितियों के समापन के समय दिए गये वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करें गे, वह विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के इच्छुक थे। मेरे विचार से यदि माननीय सदस्यों को प्रशासनिक व्यवस्था के चलाये जाने के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात करने का अवसर दिया जाये तो कोई हानि नहीं होगी। प्रशासन तथा सदन के बीच अधिकाधिक सम्पर्क स्थापित कर सकने वाले सुझावों का उन्होंने स्वागत किया था। हमें ज्ञात है कि विदेशी नीति के सम्बन्ध में वर्ष भर में केवल एक बार चर्चा हुई है। सरकार का क्या दृष्टिकोण है यह तो मुझे ज्ञात नहीं परन्तु हम राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के प्रति बहुत उत्सुक हैं। हमें देश को राष्ट्रमडल में होने के लाभ का कोई स्पष्ट प्रमाण देना चाहिये। मेरे विचार में राष्ट्रमंडल एक धोखा है जिसमें हमें फसा लिया गया है। हमें इस जाल से निकलना है। प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय पर होने वाले व्यय के प्रति मुझे कोई एतराज नहीं है परन्तु एक दूसरी संस्था के बनाये जाने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। हम राष्ट्रमंडलीय सम्पर्क कार्यालय पर १०,२०,००० रुपये व्यय क्यों करे? यह केवल-मात्र व्यय का ही प्रश्न नहीं है यह अधारभूति नीति का प्रश्न है और इसीलिए मैंने विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में इस की चर्चा की है।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : उत्पादन मंत्रालय का निर्देश करना आवश्यक है इस प्रश्न पर कि क्या इसे पृथक् मंत्रालय के रूप में बनाये रखा जाये अथवा हमे रसद मंत्रालय तथा कुछ अन्य विभागों के साथ फिर मिला दिया जाय, अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु अब इस मंत्रालय को विकसित करके देश के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण बात है। इस मंत्रालय के

[श्री वल्लाथरास]

अन्तर्गत ६ चीजें हैं, कोयला जिन में सब से आवश्यक वस्तु है ।

जहां तक कोयला उद्योग का सम्बन्ध है यह एक प्राचीन उद्योग है । इस का अधिकांश भाग विदेशी स्वामित्व में है और अब समय आगया है कि इस का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय । सरकार का कदाचित यह दृष्टिकोण है कि इस उद्योग से लाभ उठाने के लिए हम पर कुछ नियंत्रण रखना ही काफी होगा परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया है कि वह महत्वपूर्ण नियंत्रण है क्या । जब तक हमें उन का ज्ञान न हो हम यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि विदेशी स्वामित्व तथा प्रबन्ध है । यह एक आधारभूत उद्योग है परन्तु हमारा न उस पर नियंत्रण है और न प्रबन्ध व्यवस्था ही हमारे हाथ में है । देश के औद्योगीकरण का कितना बुरा पहलू है यह । व्यक्तिगत स्वामित्व तथा राज्य स्वमित्व के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं । विभिन्न व्यापार मंडलों की बैठकों में जिन में हमारे मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया है, यह कहा है कि व्यक्तिगत स्वामित्व को वरीयता दी जानी चाहिए । औद्योगिक प्रभुओं ने कुछ समय पूर्व सरकार से यह मांग की थी कि वह स्पष्ट शब्दों में बताये कि निजी व्यवसायों के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या था । किसी प्रकार का कोई समझौता न होने की अवस्था में वह सहयोग देने को प्रस्तुत नहीं थे । अभी हुई एक व्यापार मंडल की बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि राष्ट्रीयकरण को लागू नहीं किया जायेगा । अतः निजी व्यवसाय हमारी अर्थ व्यवस्था के अभिन्न अंग रहते हैं किन्हीं एक दो उद्योगों में एक दो करोड़ रुपये के विनियोजन का अर्थ यह नहीं है कि हम सभी मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं । इस प्रकार के समाजवाद के फैलने की कोई संभावना नहीं है । उन्हें निजी व्यवसायों के द्वारा समाजवाद पर अकुंश रखा जा रहा है । दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस द्वारा पोषित समाजवाद भी अप्रिय लग रहा है । किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और निजी पूंजी को बढ़ने दिया जायगा । सरकार चाहे सभी पूंजीपतियों को साथ ले ले चाहे सभी दलों को अपने अनकूल कर ले पर तो भी जनता के सहयोग के बिना पंचवर्षीय योजना चालू नहीं की जा सकेगी । हमे देश की समृद्धि चाहते हैं परन्तु सरकार के शासन क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हैं जो खादी पर विश्वास नहीं रखते हैं, जिनको गांधीवाद ढकोसला लगता है जिन को ग्राम्य पुनरुत्थान में कोई रुचि नहीं है और जिन को भूख से मरते गरीबों का कोई ध्यान नहीं है । दिखावा वह अवश्य करते हैं परन्तु मन से वह धोखा देना चाहते ह । और ऐसी परिस्थिति में हम से जनता के प्रतिनिधियों से लोक हितकारी राज्य की नींव रखने की आशा की जाती है । मैं चाहता हूं कि सरकार समझे कि हवा का रुख क्या है । हम कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, यह बात ठीक नहीं है । यदि हम जनता से अपील करें कि गांधी जी के नाम को बढ़ाने के लिए हम ५०० करोड़ रुपया चाहिए तो दो महीने ही में आपको यह धन राशि जनता से मिल जायेगी । इस से हमें योजना को चलाने के लिए पूंजी मिल जायेगी । परन्तु दुःख है कि यह प्रयत्न किए ही नहीं जा रहे हैं ।

बंगलौर में मशीनी औज़ार उद्योग हैं । उस में न जाने कितने विदेशी विशेषज्ञ काम करते हैं वह मोटो २ तनख्वाहें लेते हैं परन्तु उत्पादन का काम अभी शुरु नहीं हुआ है । हीराकुड बांध निर्माण का काम सन् १९५० में प्रारम्भ होने को था परन्तु करोड़ों रुपये का सामान सन् १९४८ में ही मंगा लिया गया था और वह सामान वर्षों यूंही खुला पड़ा रहा । सामान की अत्यधिक हानि हुई, बहुत सा नष्ट भी होगया । लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते मुझे ज्ञात है कि किस प्रकार करोड़ों रुपये का सामान यूंही नष्ट हो चुका और उस की वापसी असंभव हो गई है। काम शुरु होने ही पहले मैसूर में विदेशी विशेषज्ञ आ गये है और वह एक दम बेकार हैं । टैलीफून केबिल फैक्टरी की बात लीजीये । संयग तथा मशीनें अभी आ रही हैं । चितरंजन में फैक्टरी का कार्यालय खोल दिया गया है । मेरा सरकार से यही निवेदन है कि यह सामान अब न खोने पाये जिस से लोक लेखा समिति को आलोचना करने का अवसर मिले ।

इस मंत्रालय के पास पर्याप्त काम नहीं है, इतना काम तो रसद मंत्रालय ही कर सकता था । मंत्री और उपमंत्री के लिए क्या काम है यह हमें ज्ञात नहीं मंत्रालय की कार्यवाही के सम्बन्ध में हुए प्रकाशन में बताया गया है कि कच्चे लोहे के दो उद्योग हैं पर कहां हैं यह नहीं बताया गया है । सरकार द्वारा दी गई सूचना ग़लत तथा अपूर्ण हैं ।

गत तीन वर्षों से कड़ी आलोचना की जा रही है और सरकार सदैव पंच-वर्षीय योजना की आड़ लेती रही है । हम भी योजना में हाथ बटाना चाहते हैं अतः हमें परस्पर सहयोग देकर उसे लागू करना है । आज की स्थिति में बेकारी हमारी मुख्य समस्या है । इसको दूर करने के लिए सरकार ने कोई सुयोजित नीति नहीं बनाई है । कुटीर उद्योगों की भी यही कहानी है । उनकी नौका भी मंझधार में है । यह बेकारी की समस्या कैसे सुलझाई जाये ? जब तक हम सब मिल कर द्वेष भावों को मिटा कर सहयोग से कार्य नहीं करेगे यह समस्या हल नहीं होगी । सरकार संसद् सदस्यों की उपेक्षा करती । लोक लेखा समिति मे ४५ बैठकों में समवेत होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी । परन्तु रिपोर्ट की उपपत्तियों के प्रतिकूल माननीय मंत्री ने हीराकुड की प्रशंसा में अपना शब्दकोष खाली कर दिया- इस का अर्थ क्या है। हम देश के प्रत्येक उद्योग को स्वयं देखना चाहते हैं, सरकार को आवश्यक है कि वह हमें इसे करने की सुविधा दे । आस्ट्रेलिया, जापान और इंगलड में संसद् सदस्यों को सारे देश का दौरा करके चीज़ों को स्वयं दखने और जांचने की सुविधा दी जाती है । हम भी वैसा ही चाहते हैं, हमें मंत्रियों की कहानियों पर विश्वास नहीं हो रहा है । हमारा सहयोग तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम देश के कम से कम सभी सारभूत उद्योगों की स्वयं जांच कर लें और अपना मत निश्चित करें । इस सदन के अधिकांश सदस्यों की यही समिति है । कुछ करने का प्रयत्न किये बिना लम्बी चौड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा और न ऐसे प्रयत्नों से सरकार का कार्य सुचारु रूप से चल ही सकेगा । आज तो सभी राजकीय उद्योगों का भविष्य संकटपूर्ण दिखाई दे रहा है ।

डा० लंका सुन्दरम : मैं सदन का ध्यान संक्षेप में अम्बरनाथ की 'मशीन टूल फैक्टरी' की ओर दिलाना चाहता हूं। इस फैक्टरी का औपचारिक रूप से उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस वर्ष १३ जनवरी को किया गया था। मेरे पास उस फैक्टरी के विषय में कुछ जानकारी है जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यदि यह जानकारी ग़लत हो तो इसे फौरन सुधार दिया जाय। मुझे पूर्ण आशा है कि जो कुछ मुझे पता है यदि वह सत्य है तो श्री त्यागी इस दिशा में तुरन्त ही कोई पग उठावेंगे।

लगभग तीन बर्ष हुए भारत सरकार ने एक स्विस सार्थ के साथ एक करार दिया था जिसके अन्तर्गत उक्त सार्थ को ३० स्विस टैकनीशियन तथा ५०० मशीनें देनी हैं जो देश में मशीन औज़ार बनाने के लिये अधिष्ठापित की जाती है। मेरे पास उन पदाधिकारियों की योग्यताओं के सम्बन्ध में विवरण मौजूद हैं जो इस करार के अन्तर्गत उक्त स्विस सार्थ द्वारा भारत बुलाये गये हैं। मुझे पता लगा है कि अब इन पदाधिकारियों की पदावधि बढ़ा दी जायेगी और करार का नवीकरण कर दिया जायेगा। मैं स्विस कम्पनी के इन पदाधिकारियों का ज़िक्र यहां इसलिये कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं तो उन्हें वापस भेज कर उनके स्थान पर दूसरे योग्य व्यक्तियों को रखा जाये। इन ३० स्विस टैक्नीशियनों में से अधिकांश की आयु २५ वर्ष से भी कम है। यह एक अजीब सी बात है कि उन्हें यहां विशेषज्ञों के रूप में भेजा गया है। उनके वेतन १२०० से लेकर २५०० रुपये तक हैं और उन्हें मूल वेतन का अधिकांश भाग स्विस सिक्कों में दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इतना अधिक धन देश से बाहर जाता है। इसके विपरीत, मुझे पता लगा है, वहां १६ भारतीय पदाधिकारी हैं जो उच्चप्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्ति होने पर भी बहुत कम वेतनों पर उन स्विस पदाधिकारियों के नीचे काम कर रहे हैं।

दो वर्ष काम करने के बाद इन विदेशी टैक्नीशियनों ने एक तो १४×२० इंच का 'टूल ग्राइन्डर' तैयार किया है--जिसका डिज़ायन भी उनका अपना नहीं है--और तीन प्रकार की मशीनों की 'ड्राइंग' बनाई है। इसके अलावा उन्होंने एक मशीनगन के 'प्रोटोटाइप' की नकल की है और यह भी बहुत कठिनाई के साथ। क्या रक्षा मंत्रालय इस कार्य से सन्तुष्ट है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री त्यागी से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह बतलाने की कृपा करें कि आखिर इस फैक्टरी का उत्पादन कार्यक्रम क्या है। 'ड्राइंग' या 'प्रोटोटाइप' की नकल करना या कुछ और भी? फैक्टरी कितने मशीन-औज़ार, 'प्रोटोटाइप' या यद्ध उप-करणों का निर्माण करेगी? मैं समझता हूं कि विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय सदन को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का हक्क है।

एक दूसरा प्रश्न, जो मैं उठाना चाहता हूं, यह है कि क्या रक्षा मंत्री ने कतिपय भारतीय कम्पनियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो पिछले कई वर्षों से उत्पादन-कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिये, 'इन्वेस्टा मशीन टूल फ़ैक्टरी', 'केरलोस्कर' आदि कितनी ही कम्पनियां ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करती रही हैं जिन पर देश को गर्व है। मैं समझ नहीं सकता कि भारतीय टैक्नीशियनों को मौका दिये बिना यह सफ़ेद हाथी क्यों बांध रखा गया है।

मुझे यह भी पता लगा है कि अम्बरनाथ की फैक्टरी का प्रभारी पदाधिकारी बंगलौर के एक इंस्टीटूयूट में रेडियो इंजीनियरिंग का अध्यापक रह चुका है। यदि मैं ग़लत होऊं तो माननीय मंत्री ठीक कर दें। मैं एक बात और जानना चाहता हूं। मुझे यह पता लगा है कि इस फैक्टरी का प्रबन्ध, जहां तक रक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, आर्डनेन्स फैक्टरियों के महानिदेशक के हाथ में है। परन्तु मुझ से कहा गया है कि मशीन-औज़ार बनान या मशीन-गन तथा युद्ध-उपकरण बनाने के क्षेत्र में उन्हें कोई अनुभव नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये बातें कहां तक ठीक हैं।

अन्त में एक बार फिर मैं यह कहूंगा कि उक्त सार्थ के हुए करार का अगले कुछ काल के लिये नवीकरण करने तथा इन टैक्नीशियनों आदि की पदावधि में वृद्धि करने से पूर्व उनकी योग्यता आदि की पूर्णतः जांच कर ली जाये। बस मुझ इससे संतोष हो जायेगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं निर्वाचनों सम्बन्धी विधियों की कुछ बातों तथा उन से सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों की संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं।

सदन में 'जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक, १९५३' नामक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। परन्तु उस विधेयक में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन मामलों में क्या करेगी।

साधारण निर्वाचन के बाद संसद् के पहले सत्र का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया था उस पर वाद विवाद के दौरान में भी मैं ने इन बातों की चर्चा की थी और प्रधान मंत्री ने वाद विवाद का उत्तर देते हुए यह कहा था कि सरकार उन सुधारों पर विचार करेगी।

एक प्रश्न तो मतों के गिने जाने के सम्बन्ध में उठाया गया था। हमारा सुझाव यह था कि मत निर्वाचन वाले दिन ही, निर्वाचन समाप्त होने के यथा शीघ्र पश्चात्, गिने जाने चाहियें। परन्तु इस संशोधन विधेयक में मतों के यथाशीघ्र गिने जाने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है।

दूसरा सुझाव यह दिया गया था कि निर्वाचन में खड़े होने वाले व्यक्तियों के चिन्ह मत डालने की पेटियों पर चिपकाये न जायें बल्कि चित्रित कर दिये जाया करें क्योंकि यदि चिपके हुए लेबिल रहते हैं तो बेईमानी की जा सकती है। ये दो विशिष्ट सुझाव थे जो विरोधी दल के नहीं बल्कि कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा भी दिये गये थे। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सुझावों पर विचार करे।

दूसरी बात मंत्रियों तथा अन्य सरकारी लोगों को निर्वाचन के समय दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में थी। इस सम्बन्ध में मैं ने संयुक्त राजतन्त्र में प्रचलित प्रथाओं का उल्लेख किया था। वहां इसके लिये बड़े अच्छे अच्छे उपबंध हैं और मुझे इस बात का कोई कारण नज़र नहीं आता कि हम वैसे ही नियमों तथा रूढ़ियों का अनुसरण क्यों न करें। गत साधारण निर्वाचन में इंगलैण्ड के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री ऐटली ने अपनी निजी कार में दौरा किया था और उन्हों ने सरकार से कोई सहायता नहीं ली थी। मंत्रियों के निर्वाचन सम्बन्धी दौरे के विषय में वहां कुछ विशेष नियम हैं जिनका वे अनुसरण करते हैं। स्थानीय पदाधिकारियों को भी इस बात के स्पष्ट अनुदेश दे दिये जाते हैं कि उन्हें निर्वाचन के प्रयो-

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

जनार्थ जाने वाले मंत्रियों आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये। गत बार जब हमने इस प्रश्न पर चर्चा की थी तो माननीय प्रधान मंत्री ने यह बात स्वीकार की थी कि अगले निर्वाचन सम्बन्धी नियम बनाते समय इस विषय पर ठीक तरह से विचार विनिमय किया जायेगा। परन्तु मुझे खेद है कि प्रस्तुत संशोधक विधेयक में इन में से किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है।

संयुक्त राजतन्त्र में निर्वाचन के समय प्रत्येक पक्ष को, एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जनता से अपील करने के लिये देश के प्रसारणतंत्र का प्रयोग करने दिया जाता है। फिर कोई कारण नहीं है कि हम अपने विरोधी दलों को अखिल भारतीय रेडियो की सहायता क्यों न प्राप्त करने दें।

एक दूसरा प्रश्न, जो इस विषय से सम्बन्धित है, उन व्यक्तियों को मताधिकार दिये जाने के बारे में है जो पाकिस्तान से आये हैं। हमारे संविधान के अधीन, जो लोग—मैं समझता हूं—२४ जुलाई, १९४९ के बाद भारत आये हैं वे तब तक भारतीय नागरिक नहीं बन सकते जब तक कि संसद् उन्हें नागरिकता का अधिकार देने वाली कोई विधि न पारित कर दे। दुर्भाग्यवश् यह मामला गत साधारण निर्वाचन होने से पहले नहीं निबटाया जा सकता था। अब हमें समाचारपत्रों से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि वह विधेयक कब प्रस्तुत किया जायेगा और हमें उस पर बोलने का अवसर कब मिलेगा। परन्तु यह बात स्पष्ट है यह मामला अविलम्ब निबटाया जाना चाहिये क्योंकि इसमें लाखों व्यक्तियों के मताधिकार का प्रश्न सन्निहित है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में ठीक ठीक स्थिति क्या है।

अन्त में मैं भाग 'ग' राज्यों के भविष्य का प्रश्न लेता हूं। यह प्रश्न भी उठाया गया था कि इन राज्यों को पृथक एककों के रूप में ही रहना चाहिये या इनसे सम्बन्धित नीति में फेरबदल की जानी चाहिये। उदाहरण के लिए अजमेर एक भाग 'ग' राज्य है और उसकी जनसंख्या केवल साढ़े सात लाख है। इतने छोटे से राज्य पर इतना अधिक व्यय हो रहा है। तो इन सब बातों पर विचार किया जाता है। हम खर्चे में कमी करना चाहते हैं। अति विकेन्द्रीकरण तो हम भी नहीं चाहते परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं है कि छोटे-छोटे क्षेत्रों में भी मंत्रालय, विधान-मंडल आदि स्थापित कर दिये जायें। अब तो सरकार को चाहिये कि वह, जहां कहीं सम्भव हो सके, ऐसे क्षेत्रों का समीपवर्ती क्षेत्रों में विलय कर दे या उनका उपयुक्त रूप से पुनः समायोजन करे।

श्री अलगू राम शास्त्री : दिल्ली के विषय में क्या रहा ?

डा० एस० पी० मुकर्जी : दिल्ली के प्रश्न पर कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाये। वैसे यदि सरकार दिल्ली के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करना चाहे तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा।

इन मामलों के सम्बन्ध में विनिश्चय शीघ्र ही किए जाने चाहियें। निर्वाचन

सम्बन्धी नियमों के बारे में मैं ये ही कुछ बातें कहना चाहता था ।

श्री आर० डी० मिश्र : चेयरमैन साहब, आज इस एप्रोप्रियेशन बिल पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

इस हाउस में मैंने यह देखा कि जिस तरीके पर प्रजातन्त्र का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है वह शायद ही और कहीं उठाया जाता होगा । सब से बड़ी रियायत इसे देश में अपोजीशन वालों को दी जा रही है सब जानते हैं कि यहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसलिए हमारा यह फर्ज है कि हम कांग्रेस के सिद्धान्तों के मुताबिक अपने देश की सरकार को चलावें और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को बनावें । लेकिन हम जो कांग्रेस वाले हैं जिनकी बड़ी भारी कसरत राय है उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता । बल्कि रूल्स और कायदे और कानून के मुताबिक अपोजीशन पार्टी के मेम्बरान को ज्याद मौका मिलता है हर बिल पर मिलता है, हर कट पर मिलता है और बजट के हर ग्रांट पर मिलता है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई मौका नहीं मिलता है जैसे कि जिस कांस्टीट्यूएंसी से हम आये हैं उसमें हम लोगों की कोई शिकायत ही नहीं है हम उसे दूर कराना नहीं चाहते हैं । आज अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है तो वह कांग्रेस गवर्नमेन्ट कांग्रेस की मैजारिटी की वजह से है । अभी मेरे मित्र श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इलेक्शन के मुताल्लिक बात कही और उसी के सिलसिले में मैं यह जवाब देना चाहता हूं कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने इस देश के इलेक्शन के कानून के अन्दर कुछ खराबियां बताई कि जिन की वजह से उनको मुश्किलात पेश आई, वहां इलेक्शन होने के बाद जो मुश्किलात हमारे सामने पेश आ रही हैं वह भी तो हम आपके सामने लावें ।

सभापति महोदय : इसका निर्वाचन विधि से कोई सम्बन्ध नहीं है । आप प्रासंगिक मामलों पर बोलिए ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं श्रीमान् की रूलिंग के मुताबिक अपने सबजैक्ट को बदलता हूं क्योंकि आप की राय में इससे उसका सम्बन्ध नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : मुश्किल तो बताइये ।

श्री आर० डी० मिश्र: लेकिन मुश्किल यह है कि मैं आपको अपनी मुश्किल बता नहीं सकता हूं । हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब संस्कृत में इंटरैस्टैड हैं । इसलिए मैं संस्कृत का एक वैदिकन मंत्र बताता हूं जिसके अनुसार यह बजट बनाया जाना चाहिये । मन्त्र साधारण है जिस को हम रोजमर्रा संध्याओं में कहा करते हैं । लेकिन जो मन्त्र है वह जहां ईश्वर से सम्बन्ध रखता है, वहां आर्थिक मामलात से भी वह सम्बन्ध रखता है । वेद मंत्रों का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों से अर्थ होता है मैं उस मन्त्र को आप को बताता हूं ।

"अग्नेय नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि
देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते
नम उक्तिं विधेम ॥

इसका अर्थ भी मैं संक्षेप में बतला देता हूं । अर्थ है :

हमारे नेता, अभी आर्थिक योजना बनाने में हमारा पथप्रदर्शन कीजिये

[श्री आर० डी० मिश्र]

कांग्रेसी होने के नाते आप कांग्रेसियों के विचारों से परिचित हैं। अतः ऐसा ही आय-व्ययक बनाइये। युयोध्यस्मज्जुहुराणामेनो इसका यह अर्थ है कि जो आपके मार्ग में रुकावट डाले उनसे लड़ने की शक्ति दो।

इसलिए मैं आप से अपील करता था कि बजट एक ऐसी चीज है कि बजट बनाने से देश उन्नतिशाली हो सकता है और बजट से ही देश नीचे को जा सकता है। आपको रुपया चाहिये। रुपये की जहां तक बात है, आप बहुत होशियार हैं आप की काबलियत में कोई शक नहीं है। आप ने और देश के नेताओं ने मिल कर जो कानून बनाया, अपने देश के लिए जो विधान बनाया, वह बहुत बढ़िया है। जो आप ने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट दी और जो रिपोर्ट फाइव ईयर प्लान की बनी है वह बहुत बढ़िया है। और भी जितनी बातें हो सकती हैं वे बढ़िया हैं लेकिन कसर क्या है। कसर यह है कि हमारी कैबिनिट एक कौने में जा पड़ी। इधर अपोजीशन में कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं। वे गवर्नमेन्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। प्रजा सोशियलिस्ट पार्टी आप को क्रिटिसाइज करती है।

सभापति महोदय: मेरा आप से निवेदन है कि आप अपनी वे बातें कहिये जो प्रासांगिक हों।

श्री आर० डी० मिश्र: मैं यह कह रहा हूं कि बजट के सम्बन्ध में हमारे फायनैंस मिनिस्टर को तमाम पार्टियां क्रिटिसाइज़ करती हैं और इधर जो हम चुपचाप बैठे हैं हम भी यह देखते हैं कि बजट में हमें भी कुछ बातें कहनी चाहिए तो मैं अपील करता हूं कि जहां रुपये के लिए आप यह तमाम बजट बनाते हैं और विरोधी लोग उसको क्रिटिसाइज़ करके देश में असंतोष फ़ैलाते हैं तो वहां हमको भी देश के सामने ऐसी बातें कहने का मौका मिलना चाहिए जिस से असंतोष दूर हो और गवर्नमेंट कामयाब हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस में कोई ज्यादा ऐसे की बात नहीं है। आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं इस बजट के सिलसिले में ही सब प्रकार की बातें कही गई और हम चुपचाप सुनते चले आ रहे हैं। मैं कह रहा था कि एक ओर जुमला विरोधी पार्टियां मिल कर आप को घेरे हुए हैं। इधर हम देखते ह कि कहा जाता है कि कांग्रस गवर्नमेंट है। ज़रूर कांग्रेस गवर्नमेंट है इस माने में कि हम जितने कांग्रेस वाले हैं वह अक्सरियत राय में इलैक्ट हो कर आए हैं और हम से ही मिनिस्टर बने हैं। लेकिन...

सभापति महोदय: आप चर्चा से सम्बन्धित विषय पर नहीं बोल रहे हैं। यदि आप चर्चा के मामलों पर ही बोलना चाहें तो बोलिये अन्यथा आप बैठ जाइये।

श्री त्यागी: डा० लंका सुन्दरम् की बात से मुझे भारत में हाल ही में स्थगित की गई एक बड़ी फैक्टरी के विषय में कहने का मौका मिला। तीन वर्ष पहले हमने इस फैक्टरी को बनाना शुरू किया। सदन को शायद मालूम होगा कि यह न केवल एशिया की बड़ी फैक्टरियों में से एक है अपितु दुनिया की बड़ी फैक्टरियों में से एक है।

विगत काल में जब युद्ध जैसी आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाती थी तो हथियार, कच्चे माल, मशीनें तथा अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए भारत विदेशों पर निर्भर

रहता था। किन्तु गत युद्ध काल में और उसके बाद हमने बहुत सी फैक्टरियां बनाई और इस समय देश में २० आर्डनेंस फैक्टरियां हैं जो इस समय रक्षा सेनाओं की आवश्यकता के लिए अस्त्र शस्त्र बना रही है। अंग्रेज़ी शासन काल में हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अंग्रेज़ों पर निर्भर रहते थे। अंग्रेज़ों के चले जाने पर भी हमें सब प्रकार के हथियारों के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर मान लीजिये युद्ध छिड़ जाय और ऐसी स्थिति हो जाय कि हम विदेशों से अस्त्र शस्त्र नहीं मंगा सकते तो उस समय हमारी स्थिति क्या होगी? अतः इन फैक्टरियों को स्थापित करने वाले हमारे बधाई के पात्र हैं। मैंने आयव्ययक पर वाद विवाद के दौरान में बताया था कि ये आर्डनेंस फैक्टरियां कितना उत्पादन कर रही हैं। किन्तु आवश्यक मशीनों के न होने से यह उत्पादन रुक जायगा जो कि निरन्तर प्रयोग किये जाने से खराब हो जाती हैं। अतः हमें इन फैक्टरियों को चलाने के आवश्यक मशीनों की भी ज़रूरत है। इस फैक्टरी से हमें आर्डनेंस फैक्टरी स्टोरों तथा अस्त्रशस्त्रों से सम्बन्धित हमारी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में मूल नमूने, ड्राइंग तथा विशिष्ट विवरण प्राप्त होंगे। डा० लंका सुन्दरम् ने पूछा कि समें किन किन चीज़ों का उत्पादन होगा। इसमें अस्त्र शस्त्रों से सम्बन्धित चीज़ों का उत्पादन होगा और जो चीज़ें यह फ़ैक्टरी तय्यार करेगी उसकी पूरी सूची देना मेरे लिये सम्भव नहीं। यद्यपि यह औज़ार फैक्टरी कहलाती है किन्तु यह केवल औज़ार ही नहीं बनाती। इसका प्राथमिक उद्देश्य तो अस्त्र शस्त्रों से सम्बन्धित वस्तुओं को बनाना है। वास्तव में यह उन मशीनों का निर्माण करेगी जो आर्डनेंस फैक्टरियों में प्रयुक्त की जायेंगी। जब हमारी अस्त्र शस्त्र सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी तो यह मशीनों के औज़ार बनायेगी जो न केवल आर्डनेंस फैक्टरियों के लिये ही परमावश्यक हैं अपितु गैर-सैनिक फ़ैक्टरियों के लिए भी आवश्यक हैं। यह २० अन्य आर्डनेंस फैक्टरियों के समान एक आर्डनेंस फैक्टरी ही है। यह रक्षा सेनाओं के लिए आवश्यक सामान तय्यार करने वाली फैक्टरियों में सबसे मुख्य है। अतः हमने इस कार्य में, विश्व में सबसे अधिक विशेषज्ञ स्विट्ज़रलैंड के एक फ़र्म की सहायता ली। इस बड़े विशेषज्ञ फ़र्म के सहयोग से दक्षिणी कमान के मुख्य इंजीनियर तथा कर्मचारियों ने इस फैक्टरी को बनाया। यह फैक्टरी सदा इस फ़र्म के नियंत्रण में नहीं रहेगी। अन्य आर्डनेंस फैक्टरियों के समान यह भी सीधे सरकार के नियंत्रण में कार्य करेगी। ये विशेषज्ञ तो यहां उन मूल नमूनों तथा अन्य ऐसी बातों के लिए बुलाये गये हैं जिन्हें हम जानते नहीं। विशेषज्ञ तो हमें रखने ही पड़ेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी भेदभाव से काम नहीं लिया जाता है और न इस मामले में कोई प्रतिबन्ध है। इस मामले में हम एक ऐसे तटस्थ देश के, जो कि किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं है, विशेषज्ञों के विशेष ज्ञान का फायदा उठा रहे हैं। इस समय २९ या ३० विदेशी विशेषज्ञ काम पर लगे हैं। हम पूर्ण रूप से विदेशी विशेषज्ञों पर ही निर्भर नहीं हैं और इसके लिए हमने एक स्कूल चलाया है जिसमें लगभग १०० टैक्निशियन प्रशिक्षण पा रहे हैं। यह स्कूल इस फैक्टरी से सम्बद्ध है और तीन वर्ष में इसमें ३०० टैक्निशियनों को प्रशिक्षण मिल जायेगा। बहुत से इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्विट्ज़रलैण्ड भेजा गया है जो अब वहां से वापिस आ रहे हैं। बहुत शीघ्र हमारे अपने टैक्निशियन इस फैक्टरी म कार्य करने लगेंगे।

डा० लंका सुन्दरम : क्या आप इस काम के लिए और तीन वर्ष के लिए ठेका देंगे ?

श्री त्यागी : इस फ़र्म को ठेका नहीं दिया गया था। हमने तो इस फ़र्म के साथ यह प्रबन्ध किया था कि वह इस फैक्टरी को बनाने में कमीशन लेने की शर्त पर हमारी सहायता और सहयोग करेगा। इस फैक्टरी के लिए हमे कुछ मशीनें खरीदनी थीं तो हमने इस फर्म से उन मशीनों को मंगाने की व्यवस्था पर बात तय की और उसने हमारे मशीन मंगा कर देने वाले एजेन्ट के रूप में काम किया और उसकी सहायता तथा परामर्श से मशीन मंगाने के लिए हमने उसे कुछ कमीशन भी दिया। इस काम के लिए ठेका तीन वर्ष के लिए दिया गया था और इस ठेके की अवधि को बढ़ाया नहीं जायगा। मैं सदन को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि यदि उनकी और अधिक आवश्यकता नहीं हुई तो उनके ठके की अवधि बढ़ाई नहीं जायगी। जब हमारे अपने प्रशिक्षित आदमी इस फैक्टरी में काम करने लगेंगे तो इन सबको इस काम से हटा दिया जायगा।

डा० लंका सुन्दरम् : इस फैक्टरी में कितने प्रकार के मशीनों के औज़ार बनते हैं ?

श्री त्यागी : केवल दो महीनों से ही फैक्टरी ने उत्पादन कार्य आरम्भ किया है। इसमें मशीनों के ये औज़ार बनते हैं : टूल ग्राइंडर्स, डबल हैंडेड ग्राइंडर्स, पालिशिंग मशीनें, मोनोड्राइव्स, हेडं टर्निंग और माउथ रीमिंग मशीनें। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने इस फैक्टरी की आलोचना नहीं की। मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि इसके विषय में और भी जो कोई बातें पूछी जायेंगी मैं उन्हें सदा बताने के लिए तय्यार हूं और सदन से कोई बात छिपाई नहीं जायगी। अन्त में मैं सदन को इस बात का फिर आश्वासन् देता हूं कि यह फैक्टरी सीधे सरकार के नियंत्रण में ही रहेगी।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): समय के अभाव के कारण उन मांगों पर जो मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं, सदन वाद विवाद नहीं कर सका। मैं समझता हूं कि आगामी वर्ष के आय-व्ययक सत्र में इन पर चर्चा की जा सकेगी और मेरे मंत्रालय की कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा हो सकेगी। विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान में श्री वल्लाथरास ने सरसरी तौर से कुछ बातें कहीं। मैं उनके विषय में कुछ कहूंगा। उन्होंने बंगलौर में स्थापित की जाने वाली मशीन औज़ार फैक्टरी के विषय में कहा और पूछा कि स्विटज़रलैंड से जो विशेषज्ञ यहां आये हैं, वे यहां क्या करते रहें हैं ? उनकी यह धारणा है कि वे यहां अपना समय बर्बाद करते रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूं कि ये विशेषज्ञ केवल कुछ सप्ताह पहिले यहां आये हैं और वे पूरी तरह से काम में व्यस्त हैं और अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। ये विशेषज्ञ अभी आये हैं अतः यह उचित नहीं होगा कि उनके कार्य की इस प्रकार आलोचना की जाय।

उन्होंने टेलीफून केबुल फैक्टरी का निर्देश किया जो कि रूपनारायणपुर में स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस फैक्टरी का सामान आ रहा है और उसकी खूब देखभाल करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि यह उन्होंने आलोचना के रूप में नहीं कहा और केवल मित्रता पूर्ण चेतावनी के रूप में भविष्य में होने वाली गड़बड़ी से सावधान रहने के लिये कहा। वह यह भी समझते हैं कि मंत्रालय के लिये कोई काम नहीं इस मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं और उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिये एक मंत्री तथा उपमंत्री की आवश्यकता नहीं। यदि उन्होंने वास्तविकता जानने का प्रयत्न किया होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि उत्पादन मंत्रालय में कोई उपमंत्री नहीं। जहां तक इस मंत्रालय की आवश्यकता का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि वे १९५२-५३ की रिपोर्ट को पढ़ लेते, जो सदस्यों को दे दी गई है। उसमें यह दिया हुआ है कि मई १९५२ में भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों का पुनर्रचना तथा पुनर्वर्गीकरण राष्ट्रीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भिक कार्य के रूप में था। इस योजना से अप्रैल, १९४८ के औद्योगिक नीति संकल्प के उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत किया गया। मैं समझता हूं कि उन्होंने औद्योगिक नीति संकल्प को पढ़ा होगा जिस में यह दिया हुआ है कि सम्यक् प्रकार से आयोजित देश के शीघ्र औद्योगीकरण, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के कुछ उद्योगों में राज्य भी भाग ले, के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाय। इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिये सरकार की व्यवस्था का पुनर्संगठन करना बाकी रहा है। जब कि यह योजना बनाई जा रही थी उस समय यह उत्तरदायित्व इस नई क्रियाहीन उद्योग तथा रसद् मंत्रालय पर छोड़ना सम्भव तथा सुविधाजनक था, तब यह स्पष्ट हो गया कि यदि सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग का विकास किया जाना है तो इसके लिये एक विशेष संगठन स्थापित करना पड़ेगा। अतः सरकारी उद्योगों में नीति के समायोजन, नियंत्रण तथा उनका प्रबन्ध करने के लिये उत्पादन मंत्रालय बनाया गया। यह भी अनुभव किया गया था कि नई उत्पादक यूनिटें बनाने के लिये, और जिस नीति से कार्य हो रहा है उसको शीघ्र कार्यान्विति के लिये और जो उद्योग इस उत्पादन कार्य को कर रहे हैं उनका और अधिक अच्छा प्रबन्ध करने के लिये पूर्ण रूप से स्थापित मंत्रालय से सुचारू रूप से कार्य लिया जाय। मुझे खेद है कि मेरे पास इतना समय नहीं कि इस रिपोर्ट में दी हुई इन बातों पर कि यह मंत्रालय क्या करता रहा है, अधिक बोल सकूं।

माननीय सदस्य तथा सदन के सूचनार्थ यह बता दूं कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत इस समय ये बातें हैं :

कोयला ;

सिन्दरी कृषिसार फैक्टरी ;

टेलीफून केबुल फैक्टरी ;

जलाहाली में मशीन ओज़ार फक्टरी ;

पूना के समीप पिम्परी स्थित पैनीसिलिन फैक्टरी ;

दिल्ली में डी० डी० टी० फैक्टरी बनाई जा रही है ;

विशाखापटनम् में जहाज बनाने का यार्ड ;

हिमाचल प्रदेश में नाहन फाउन्डरी ;

कच्चा लोहा तथा इस्पात योजना जिस के सम्बन्ध में कार्य हो रहा है ;

हैवी इलैक्ट्रिकल पावर प्लांट, इसके सम्बन्ध में भी कार्य हो रहा है ;

नेशनल इंट्रमेंट्स फैक्टरी, कलकत्ता ;

[श्री के० सी० रैड्डी]

गवर्नमेंट हाउसिंग फैक्टरी ; दिल्ली; नमक ;

भारत में तेल साफ करने के कारखाने स्थापित करना ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : कोई मुर्गियों को पालने का फार्म नहीं ?

श्री के० सी० रड्डी : मेरा निवेदन है कि क्योंकि इन पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा जिन फैक्टरियों का काम हाथ में लिया गया है उन्हें पूरा करना है इसलिये उत्पादन मंत्रालय के पास काफ़ी काम है तथा कोई भी कीमती समय को नष्ट नहीं कर रहा है ।

माननीय सदस्य ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सामान्य रूप से चर्चा की थी किन्तु उन्होंने कोयले के राष्ट्रीयकरण पर विशेष ज़ोर दिया था । जहां तक कोयले का राष्ट्रीयकरण करने का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य का ध्यान भारत सरकार द्वारा अप्रैल, १९४८ में पारित किये गये औद्योगिक नीति संकल्प की ओर आकर्षित करता हूं । उस संकल्प के अनुसार कोयला भी उन छः उद्योगों में से एक था जिनके सम्बन्ध में, भविष्य में, केवल केन्द्रीय या राज्य सरकार ही नये उपक्रम आरम्भ कर सकती हैं । यह दूसरी बात है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ग़ैर-सरकारी सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो जाये किन्तु ऐसा भी केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण और पाबन्दियों के अनुसार करना होगा । इस संकल्प पर मई १९४९ में पुनः विचार किया गया था । प्रश्नों का उत्तर देते समय मैं बतला चुका हूं कि कोयले की खानों में लगी हुई विदेशी तथा ग़ैर-सरकारी पूंजी लगभग २५ करोड़ रुपये है तथा विदेशी पूंजी अधिक नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े भी प्रस्तुत कर चुका हूं यदि हम कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो हमें वर्त्तमान सिद्धान्तों तथा संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलना होगा, अर्थात् हमें क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग ७५ करोड़ रुपये देने होंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए ५० से ७५ करोड़ रुपये तक की व्यवस्था करने जा रहे हैं या आप उपलब्ध राशि को अन्य आधारभूत उद्योगों में लगाने जा रहे हैं, जैसे लोहे और इस्तपात का कारखाना बिजली की भारी मशीनों का कारख़ाना आदि, जिनकी देश को इस समय परम आवश्यकता है ।

राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना । हमें ऐसी वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना है जिससे औद्योगीकरण में सहायता प्राप्त हो । क्या आप राष्ट्रीयकरण में ७५ करोड़ रुपये व्यय करके कोयले का उत्पादन बढ़ा सकेंगे ? मेरे विचार में नहीं । अतएव हमें परिणामों पर ध्यान रखते हुए अपनी परिसीमाओं के अनुसार ही काम करना होगा । आपको अपनी जनशक्ति, धन-राशि आदि का ध्यान रखना होगा । पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट में इन बातों पर विस्तार में चर्चा की गई है । यदि माननीय सदस्य ने उसे पढ़ने का प्रयत्न किया.....

श्री बल्लाथ रास : मैं ने उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है । यदि सरकार राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती तो माननीय मंत्री का यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया ।

मुझे एक वर्ष के लिए सरकार का भार दे दीजिए ; देखिये मैं हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण कर पाता हूं या नहीं। मैं चुनौती देता हूं।

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के हाथों में एक वर्ष के लिए सरकार का भार नहीं सौंप सकता।

माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने पंच-वर्षीय योजना का अध्ययन किया है। उनका यह भी कहना है कि उसमें राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया है। स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया है किन्तु किस तरह से, और कैसी परिस्थितियों में यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन मंत्रालय, जिसे देश का औद्योगीकरण करने के लिए विशेषरूप से स्थापित किया गया है, न केवल वर्त्तमान उद्योगों का विकास करने में लगा हुआ है बल्कि उन नये उद्योगों को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है जिनकी देश को परम आवश्यकता है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं उस विषय के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा जो माननीय सदस्य प्रो० मुखर्जी ने बजट में १०,२०,००० रुपये की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उठाया था। यह राशि राष्ट्रमण्डल सम्पर्क कार्यालय के व्यय को पूरा करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को दी जानी है। परन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि यह बात इस प्रकार क्यों कर उठाई गई है। शायद प्रो० मुखर्जी यह सोचते हैं कि इसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार हमारे राष्ट्रमण्डल में रहने से है। परन्तु मैं उनको बतला दूं कि इसका हमारे राष्ट्रमण्डल में रहने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस मद का सम्बन्ध मुख्यतः कुछ निवृत्ति-वेतनों तथा अन्य बातों से हैं जिनको हम समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुराने दिनों में भूतपूर्व भारत कार्यलय ने अनेक प्रकार के कार्य अपने हाथ में ले रखे थे। उनमें से अधिकतर कार्यों को अब हमारे लन्दनस्थित उच्च आयोग ने अपने हाथों में ले लिया है तथा कुछ को समाप्त कर किया गया है। फिर भी कुछ मोटे कार्य रह गए है जैसे निवृत्ति-वेतनों का देना जो कि वे हमारी ओर से देते हैं अर्थात् हमारे लिए एजेन्सी का काम करते हैं। वास्तव में हम इन कार्यों को दो प्रकार से समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं : एक तो हम उनको अपने हाथों में ले रहे हैं तथा दूसरे हम ब्रिटिश सरकार से प्रबन्ध कर रहे हैं जिससे वह इन बातों से निबटे तथा हम से कोई सम्पर्क न रहे। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होने में कितना समय लग जायेगा। परन्तु इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जायेगा। कुछ भी हो इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि हम राष्ट्रमण्डल में हैं या नहीं। यह तो निवृत्ति-वेतन आदि देने का प्रश्न है जिसका कुछ भाग हम स्वयं सीधे दे रहे हैं तथा कुछ उनके द्वारा दिलवा रहे हैं। कदाचित हमारी ओर से वे जो एजेन्सी कार्य कर रहे हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।

अब मैं राष्ट्रमण्डल में रहने के सामान्य प्रश्न को लेता हूं। मैं इस विषय पर सदन में बोल चुका हूं तथा मैं यह नहीं समझ पाता कि मेरे द्वारा अब फिर से सदन का समय लेना ठीक है अथवा नहीं क्योंकि सामने बैठे हुए सदस्यों के मन में

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

जो सन्देह बना हुआ है उसको तर्क द्वारा दूर करना ज़रा मुश्किल ही काम है। परन्तु मेरा निवेदन है कि वे इस बात पर एक दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करें। राष्ट्रमण्डल से हमारा जो सम्बन्ध है उसका हमारी किसी आर्थिक कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं है। यह दोनों अलग बातें हैं। योरुप तथा अन्य महाद्वीपों में अनेक ऐसे देश हैं जो स्टर्लिंग गुट में हैं किन्तु वे राष्ट्रमण्डल में नहीं हैं। यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम स्टर्लिंग गुट में रहें या न रहें। हमें इस बात पर स्वाभावतः राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा हम किसी भी दिन यह निश्चय कर सकते हैं कि हमें स्टर्लिंग गुट में नहीं रहना है। मामला यहीं खत्म हो जायेगा। इसका हमारे राष्ट्रमण्डल में रहने अथवा न रहने से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे भी देश हैं जिनका इंग्लैण्ड से आर्थिक सम्बन्ध है किन्तु वे राष्ट्रमण्डल में नहीं हैं और ऐसे भी देश हैं जो राष्ट्रमण्डल में हैं किन्तु स्टर्लिंग गुट में नहीं हैं, उनका और ही प्रकार का सम्बन्ध है। यह दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं तथा हम को इन पर राष्ट्र का हित ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। यह तो निवृत्ति-वेतन देने का प्रश्न है और अधिकतर मामलों में हम उसे सीधे ही दे रहे हैं। परन्तु कुछ छोटे मोटे मामले ऐसे हैं जिनमें हम उनके द्वारा भुगतान करते हैं और यह एजेन्सी कार्य अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है।

हमारा ब्रिटेन या राष्ट्रमण्डल से कोई आर्थिक सम्बन्ध हो सकता है अथवा नहीं यह बात परिस्थितियों पर निर्भर करती है किन्तु जहां तक राजनैतिक मामले का सम्बन्ध है मैं इस पर पहले ही चर्चा कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को याद रखे कि हमारा राष्ट्रमण्डल में रहना हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालता न ही हमारे ऊपर कोई पाबन्दियां लागू करता है। हम राजनैतिक दृष्टि से अथवा आर्थिक दृष्टि से ज़रा भी नहीं बंधे हैं। माननीय सदस्य हमारी किसी भी कार्यवाही पर, जो हम इस सम्बन्ध में करें, आपत्ति कर सकते हैं और चाहे वह गलत हो या सही हम उस पर विचार करेंगे। परन्तु केवल यह सोचना कि चूंकि हम राष्ट्रमण्डल में हैं इसलिए ज़रूर कोई बात होगी ठीक नहीं है। मैं तो समझता हूं कि राष्ट्रमंडल में रहने स सब प्रकार से हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता मिलती रही है और हमने इस स्वतंत्रता का फायदा उठाया है और आगे भी उठायेंगे। माननीय सदस्य शायद यह सोचें कि राष्ट्रमंडल में रहकर या दूसरों के दबाव में आकर हम कुछ देशों से अपने सम्बन्ध स्थापित करने में डरें। परन्तु ऐसी बात नहीं हैं। हम अपनी व्यापार नीति अपने फायदे और नुकसानों को देखकर निश्चित करते हैं, यह देखकर नहीं कि अमुक देश इस बारे में क्या सोचता है या उसने क्या फैसला किया—जैसे कि अगर कुछ देशों ने चीन की नाकेबन्दी करने का फैसला किया है तो हम भी ऐसा ही करें हम ऐसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। हम तो अन्य देशों से अपने सम्बन्धों को तथा राष्ट्रीय लाभ को ध्यान में रख कर अपनी नीति को निश्चित करते हैं।

इस अवसर पर मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने कुछ दिन

पहले कही थी। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि अपने देश को गणतन्त्र घोषित करने के बाद राष्ट्रमण्डल में रहे चले जाना हमारे लिये ही अच्छी बात नहीं थी वरन दूसरों के लिय भी एक अच्छा उदाहरण था कि राष्ट्रों के बीच बिना एक दसरों को बांधे हुए भी किस तरह अच्छे सबंध बनाये जा सकते हैं। यह केवल राष्ट्रमंडल तक ही सीमित नहीं। मैं अन्य देशों के साथ भी इसी तरह का संबन्ध स्थापित करने के लिये तैयार हूं। मुझे ऐसा करने में का ई रुकावट नहीं है। जैसा मैंने बतलाया था, कुछ देशों के साथ जो राष्ट्रमण्डल में नहीं हैं हाल ही में हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गये हैं। बरमा को ही लीजिए। वह राष्ट्रमंडल में नहीं है। परन्तु उसके साथ हमारे संबन्ध राष्ट्रमण्डल के अन्य किसी देश से कहीं अधिक गहरे हैं। तो इससे कोई रुकावट नहीं होती। इस तरह की बात के, मैं समझता हूं, कोई पूर्व-दृष्टांत भी नहीं है। यह तो एक समझौता सा होता है जिसमें देश आपस में संविधानिक रूप से या कानूनी रूप से बंधे नहीं होते बल्कि भिन्नता की भावना से मिलजुल कर रहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें इससे फ़ायदा ही हुआ है; इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा विकास संबन्धी कार्यवाहियों, माल मंगाने और प्रशिक्षण आदि के मामलों में हमें बहुत कुछ फ़ायदा होता है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि अन्य देशों से हम इन बातों के लिये नहीं कह सकते या उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कोई रुकावट नहीं।

इसके बाद एक बात और याद रखने की है और वह है विदेशों में रहन वाले भारतीयों के बारे में। मैं दक्षिणी अफ़्रीका या लंका के भारतीयों के बारे में नहीं कह रहा हूं। क्योंकि लंका और दक्षिणी अफ़्रीका स्वतंत्र देश समझे जाते हैं। उन की बात दूसरी है परन्तु अन्य बहुत सी जगहों में जैसे मारीशस, फ़ीजी तथा पूर्वी अफ़्रीका में भी बहुत से भारतीय रहते हैं। राष्ट्रमण्डल में रहने से वे हमसे अपना संबन्ध बनाये रख सकते हैं और हम भी उनकी समस्याओं पर अधिक अच्छी तरह विचार कर सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो उनके लिए बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो जायगी। उन्हें यह सोचना होगा कि ारतीय राष्ट्रीयता से संबन्ध जारी रखा जाय या फिर मारीशस फ़ीजी आदि का नागरिक बनाया जाय। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम इस फैसले पर पहुंचे थे और हम समझते हैं कि इससे हमें फ़ायदा ही हुआ है। इसस किसी प्रकार के दबाव में आकर या अपनी इच्छा के विरुद्ध हमने कोई काम नही किया है। इस तर्क को और अधिक दृढ़ बनाना ज़रा कठिन है परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार के मेल जोल से देशों को लाभ ही होता है। हम कोई भी समझौता करें या कोई भी संधि करें उसमें हमें कुछ बातों को मानना ही होता है। यदि कोई सैनिक समझौता हो तो उसमें हमें बहुत कुछ बंधना होता है। परन्तु अन्य प्रकार के समझौते एसे होते है जिनमें हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके भी हमें कुछ बातों का वचन देना पड़ा है और हमारे कुछ उत्तरदायित्व हो गये हैं। यहां हमने राष्ट्रमण्डल में रहना पसंद किया है परन्तु इसमें हम किसी भी प्रकारसे बाध्य नहीं किए जा सकते। हमारे लिए तथा अन्य देशों के लिए यह बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें सब ही का फायदा है।

श्री बिश्वास : मैं कुछ मिनट से अधिक नहीं लूंगा। माननीय डा० एस० पी० मुखर्जी ने चुनावों से संबन्धित कुछ मामलों की ओर ध्यान दिलाया है और कहा है कि प्रस्तावित विधेयक में, जो हाल ही म सदन के समक्ष लाया जाने वाला है, इन मामलों का कोई जिक्र नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह विधेयक कोई व्यापार विधेयक नहीं है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं अभी ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में हमें उपबन्ध करना होगा। हम निर्वाचन याचिकाओं के परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं जिन पर सारे देश में निर्वाचन न्यायाधिकरण विचार कर रहें हैं। यह कोई ब्यापार विधेयक नहीं है। सदन के समक्ष एक और विधान लाया जायेगा जिसमें माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट विषयों को उन पर विचार करने के उपरांत, सम्मिलित किया जायगा। उदाहरण के लिए मत गिनने के प्रश्न को लीजिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि मत गिनने का काम मतदान समाप्त होते ही मतदान-स्थानों पर शुरू कर देना चाहिए। सिद्धांत रूप में तो यह एक बहुत अच्छा सुझाव है परन्तु यह एक व्यवहारिक प्रश्न है। हमें राज्यों से राय लेनी होगी कि वे इस कार्य के लिये पर्याप्त कर्मचारियों की कहां तक व्यवस्था कर सकेंगे। यह मतदान दिन भर होता रहता है और मत गिनने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं। हमें यह देखना है ऐसा करना व्यवहार्य है या नहीं और इसके लिये हमारे पास पर्याप्त साधन हैं या नहीं। हमें इसके लिये विभिन्न राज्यों से राय लेनी होगी। हमने इस विधेयक में केवल वही संशोधन रखे हैं जिन्हें हम अविवादास्पद समझते हैं और जिन्हें हम विभिन्न राज्यों को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं समझते। बस इतनी ही बात है। मत गिनने के बारे में हम ने एक संशोधन किया है। वर्तमान कानून के अनुसार, केवल निर्वाचक पदाधिकारी ही इसमें भाग ले सकते हैं विधेयक में एक संशोधन के अनुसार सहायक निर्वाचक पदाधिकारियों को भी मत गिनने के काम में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इससे गिनने का काम जल्दी हो सकेगा। परन्तु मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि इस सम्बन्ध में अन्य मामले भी हैं जिन पर विचार किया जाना है।

इसके पश्चात्, लेबल चिपकाने का प्रश्न ह जो एक महत्वपूर्ण मामला है। हम निर्वाचन-याचिकाओं के परिणामों की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि कितने मामलों में ऐसी बातें हुई हैं। इन में से बहुत से चुनावों में यही शिकायत की गई थी। निर्वाचन याचिकाओं के परिणामों के बाद इस मामले को लिया जायेगा इस बात के लिये कदम उठाये जायेंगे कि ये लेबल फाड़ न दिये जायें या उन्हें हटा न दिया जाये। बक्सों के बाहर और अन्दर चिन्हों को पेन्ट कर देने का सुझाव काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। इन सब बातों पर विचार किया जायेगा।

जहां तक ऐसे मंत्रियों तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों के बारे में जो कि उम्मीदवार हों सुविधाओं का प्रश्न है कि क्या वह उन सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी होने के नाते उन्हें उपलब्ध होती हैं, तो इस का अधिनियम में उपबन्ध नहीं किया जा सकता। जैसा डा० मुकर्जी ने कहा, ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में हमें अपनी प्रथायें बनने देनी होंगी। यह कोई नहीं कह सकता कि मंत्रियों को विशष सुविधायें होनी चाहियें। चुनावों के मामले में

उन्हें भी वही सुविधायें होनी चाहियें जो एक साधारण नागरिक को, जो कि उम्मीदवार हो, दी जायें।

जहां तक आल इंडिया रेडियो का का विभिन्न दलों द्वारा प्रयोग किये जान को सम्बन्ध है, इस मामले पर विचार किया जा सकता है। क़ानून में संशोधन करन से इसका कोई मतलब नहीं। अन्त में पाकिस्तान से आये हुए लोगों को मताधिकार देने के प्रश्न का जहां तक संबन्ध है, संविधान में इसके लिये पहले से ही उपबन्ध है, यद्यपि वह एक सांक्रमिक उपबन्ध है। जो लोग जुलाई १९४८ तक यहां आ गये हैं, वे भारत के नागरिक हैं। जो १८ जलाई १९४८ और १९४९ को किसी विशेष तारीख के बीच आये हैं, वे भी प्रार्थना पत्र देन पर और अपने आप को रजिस्टर कराने क बाद नागरिक हो सकते हैं।

श्री आर० के० चौधरी : उन्हें मताधिकार नहीं है।

श्री बिस्वास : जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता तब तक इन लोगों के, जो इन श्रेणियों में आते हैं, नाम नहीं लिखे जा सकते और इन्हें मताधिकार नहीं दिये जा सकते।

डा० एस० पी० मुकर्जी: संसद् के अधिनियम द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

श्री बिस्वास: वह अधिनियम आयेगा। हम थोड़ा थोड़ा करके उसे नहीं ला सकते। जब नागरिकता विधेयक आयेगा, तो पाकिस्तान से आये हुए लोगो के लिये उपबन्ध किया जायगा। जहां तक जन तिनिधान अधिनियम का सम्बन्ध है, इस का संबंध केवल निर्वाचन नामावलियों से है। निर्वाचन नामावली नियमों में आवश्यक संशोधन करने से पूर्व हमें नागरिकता विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

सभापति महोदय: अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा। कोई संशोधन नहीं है।

खंड १, २, ३, अनुसूची, नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

सभापति महोदय: सदन की बैठक कल दोपहर के दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती ह।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार ९ अप्रैल १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—C of S—273 PSD—23-12-53—285